खण्ड-431, अंक-2
मंगलवार, 22 आषाढ़, शक संवत् 1921
(13 जुलाई, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1999)

खण्ड 431 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	क
–नियम–311 की सूचनाओं को पहले सुने जाने की मांग (जारी)			....	1
–कारगिल शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि पर मौन धारण			...	1-2
–नियम–311 की सूचनाओं को पहले सुने जाने की मांग			...	2-4
–प्रश्नोत्तर	...	...	...	4-77
–नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	...	78
–जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापित करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना			...	78
–जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के ग्राम पाराताजपुर (रमनी) सीलिंग भूमि नं०–1263 पर भू-माफियाओं द्वारा जबरन कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना			...	78
–उत्तरांचल क्षेत्र में राजस्व पुलिस द्वारा पुलिस कार्यों के बहिष्कार करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	79
–मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा अवैधानिक ढंग से की गयी नियुक्तियों को तत्काल समाप्त करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना			...	79-80
–जनपद गोण्डा के कई कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	80
–उत्तरांचल में पटवारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	80-81
–नगरपालिका रुड़की जनपद हरिद्वार के लघु सीमान्त कृषकों की भूमि जनहित में अधिग्रहण न करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना			...	81
–औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	...	...	...	81
–प्रदेश के निगमों में मनोनीत अध्यक्षों/प्रशासकों द्वारा करोड़ों रुपये अपव्यय किये जाने की नियम–301 के अन्तर्गत सूचना का उत्तर सरकार द्वारा न दिये जाने तथा तद्विषयक दिनांक 13 जुलाई, 1999 की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न सं०–19 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न				82-84
–गत सत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पैकेज का विवरण दिये जाने विषयक सरकार के आश्वासन का अनुपालन न होने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न			...	84-85
–उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	...	...	...	85
–उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	...	...	...	85

विषय	पृष्ठ संख्या
–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1999 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	85
–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1999 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	85
–उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	85
–उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	86
–उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (सदन के पटल पर रखा गया)	86
–उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1999 (सदन के पटल पर रखी गयीं)	86
–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 (सदन के पटल पर रखा गया)	86
–भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–2 (वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	86
–संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1313/सत्रह–सं०–1-99-71 सं/98 दिनांक 05 मई, 1999 (सदन के पटल पर रखी गयीं) ...	87
–उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998..... (विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना)	87
–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1995 ..... (विधान परिषद् से वापसी तथा सहमति की सूचना)	87
–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	87
–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	88
–उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	88
–उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	88
–उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	88

विषय	पृष्ठ संख्या
–कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	89-91
–तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री बालचन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–169 पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य	91-92
–तृतीय सत्र, 1998 के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित चौधरी रवीन्द्र प्रताप, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–130 पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य	92
–उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (पुरःस्थापित) ...	92
–स्त्रियों की प्रतिष्ठा और कल्याण की अभिवृद्धि विषयक संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प ..... (स्वीकृत)	93-112
–नियम– 311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	112-120
–चयनित सूचनाओं की ग्राह्यता पर बोलने की स्वीकृति समयाभाव के कारण न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता की व्यवस्था	120-121
–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण	121
–नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..... (जारी)	122
–विपक्ष के अन्य सदस्यों का विचार आने के उपरान्त ही शासन द्वारा उत्तर दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	122-124
–नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	124-150
–उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999. ..... (पारित)	150-152
–लोक सभा एवं विधान सभाओं को पांच वर्ष के पूर्व विघटित न किये जाने के संबंध में नियम–103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	152
–नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	152-153
–नत्थियां	154-164

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	23–मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
2–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	24–महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
3–अमर मणि, श्री	महराजगंज	25–मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
4–ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	26–मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
5–गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	27–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
6–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	28–राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
7–छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी	29–राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
8–जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	30–राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
9–जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	31–राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
10–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	32–लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
		33–विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
11–ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़	34–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
12–दयाशंकर, श्री	जालौन		
13–दीपलाल भारती, श्री	पडरौना	35–विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
14–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	36–वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
15–धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	37–शिव शंकर, श्री	बांदा
16–धनीराम वर्मा, श्री	इटावा	38–शिवाकान्त, श्री	प्रतापगढ़
17–परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	39–श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली
18–पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	40–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
19–वंश नारायण सिंह, श्री	भदोही	41–सुशील शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
20–बांके लाल सोनकर, श्री	जौनपुर	42–हर प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
21–बाबूराम, श्री	जालौन	43–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
22–बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर		

सत्यमेव जयते

मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम-311 की सूचनाओं को पहले सुने जाने की मांग

(विपक्ष के सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले कृपया आप सभी लोग स्थान ग्रहण कर लें । मुझे नियम-311 के अन्तर्गत प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में, जल भराव के बारे में तथा अनेक अन्य विषयों के बारे में सूचनायें प्राप्त हुई हैं । मैंने इन सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है । जितनी चर्चानित हो गई हैं, माननीय सदस्यों को मालूम है, हम समय पर क्रमानुसार उन पर विचार करेंगे और उन पर सुनवाई करेंगे । नदवा से सम्बन्धित करीब-करीब सभी समस्यायें आ गयी हैं । शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित सभी सूचनाओं को एक साथ कर दिया गया है और माननीय सदस्य उस समय अपने विचार व्यक्त कर देंगे ।

कारगिल शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि पर मौन धारण

श्री अध्यक्ष-

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हम सब ने कारगिल शहीदों को कल श्रद्धांजलि दी थी । माननीय सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की है कि हमें मौन श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी चाहिए इसलिए आज सदन का कार्य समाप्त होने से पहले कारगिल शहीदों के प्रति मौन श्रद्धांजलि हम दो मिनट मौन रखकर देंगे ।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब समय आयेगा तो आप अपनी बात कह दीजिएगा । नियम-56 में आपकी सूचना आ गई है । श्री राम कृपाल जी की भी सूचना नियम-56 में आ गयी है । दोनों सूचनाओं पर मैं सुन लूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कारगिल शहीदों के प्रति मौन श्रद्धांजलि की बात आपने कही है कि हम इसे अन्त में रखेंगे । कल जब यहां पर निधन निर्देश हो रहे थे तो उसी के साथ मौन रखने की भी कार्यवाही चलती रही है । कल भूलवश मौन श्रद्धांजलि छूट गयी थी तो आज इसे शुरू में कर लें ।

श्री अध्यक्ष-

शुरू में करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही चले । शोक प्रस्ताव तो पारित कर ही दिया गया है और आपने शाब्दिक श्रद्धांजलि दे दी है । मैंने पूर्व दृष्टान्त भी देखे हैं । ऐसा नहीं हुआ है लेकिन सब की भावनाओं का समादर करते हुए आज की सदन की कार्यवाही के बाद कर लेंगे ।

रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, ऐसा करने से सम्मान जो है वह घटेगा नहीं लेकिन अगर पहले कर दिया जाता तो अच्छा होता ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर; अभी चौधरी साहब आपसे अनुरोध कर रहे थे और मैंने भी नियम–300 के अन्तर्गत सूचना दी है। मान्यवर, यह सदन की सामान्य और मान्य परम्परा रही है कि जब किसी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो दो मिनट के लिए मौन खड़े होते हैं। यह कोई प्रक्रिया नहीं है यह तो कदाचित उन मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि है जो सीमाओं पर रखवाली कर रहे हैं और वे शहीद हो गये और एक अनुकरणीय इतिहास लिख रहे हैं अपनी शहादत से। अगर कल किन्हीं कारणों से उन्हें हम मौन श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाये थे तो यह आज कहीं से अनुचित नहीं होगा यदि आज हम उन रणबांकुरों के लिये जिन्होंने अपनी शहादत देकर, अपने प्राणों को कुर्बान करके हमारे देश की रक्षा की है। अगर हम प्रारम्भ में उनके लिये दो मिनट का मौन रखें तो यह कहीं से अनुचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

अनुचित की बात नहीं है। अगर सारा सदन तैयार है तो ठीक है। सामान्यतया श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही नहीं होती है इसीलिये मैंने कहा था।

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने प्रस्ताव रख दिया है, जो विरोध कर रहे हैं वह सामने आ जायं।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन वीर सिपाहियों ने शहीद होकर कारगिल में अपने प्राण न्योछावर किये हैं उनके प्रति समूचे सदन ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कल सभी ने उनको सम्मान देने के लिये भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। यदि कहीं त्रुटिवश दो मिनट का मौन धारण नहीं किया जा सका तो जैसा कि पूरा सदन सहमत है आपसे अनुरोध है कि इस पर विचार कर लें और पहले ही दो मिनट का मौन धारण करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें यह उचित होगा। आप इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

कल हमने कारगिल के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की थी। एक समूचा प्रस्ताव तीन बातों को लेकर था। किसी कारण हम मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सके। आज जब सब की यह भावना है कि कारगिल में शहीद हुए लोगों के प्रति दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाय तो यह प्रस्ताव का जो सभी पक्षों की ओर से आया है स्वीकार योग्य है जो कारगिल में शहीद हुए हैं हम सब लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उनकी आत्मा की शान्ति के लिये और उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिये भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सब खड़े होकर दो मिनट का मौन रखेंगे।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।)

नियम–311 की सूचनाओं को पहले सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जिस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं यह सरकार....

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना आ गई है आपकी सूचना चयनित हो गई है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । नियम–311 में सूचना दी है । इस लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही रोककर तत्काल सुनने की कृपा करें...

श्री अध्यक्ष–

उचित समय पर बात कहें, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा । कृपया स्थान ग्रहण करें, जब नियम–56 लिया जाएगा तब अपनी बात कहिएगा ।

(व्यवधान)

लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं लिखा जाएगा ।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोल रहे थे ।)

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री राजाराम पाल, श्री सतीश जतारिया, श्री जगदीश नारायण राय, श्री मुराद लारी आदि बसपा के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए ।)

(घोर व्यवधान)

(सदस्य सदन के फ्लोर से–नारे लगा रहे थे ।)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह के व्यवहार से सत्तापक्ष को ही लाभ होगा उसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहेगी । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे और नारे लगाते रहे ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । इससे सत्ता पक्ष के लोगों को ही फायदा होगा क्योंकि उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(सदन में घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 12 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री अम्बिका चौधरी व श्री रामजग के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

जब नियम–56 लेंगे, तब सूचनायें आ जायेंगी, जो चयनित हो गयी हैं । समय पर विचार रख दीजियेगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

पूरे प्रदेश में सरकार नहीं है, सदन में भी सरकार नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह गंभीर प्रश्न है ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

उत्तर पढ़ने तो दें, पढ़ रहा हूं ।

प्रदेश की नहरों में पानी न आने के कारण सिंचाई न करने के बावजूद सिंचाई कर लेने का प्रकरण

**1–श्री केशो मेहरा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में उन क्षेत्रों में जिनमें नहर होने के बावजूद सिंचाई हेतु किसानों को पानी नहीं मिल पाता है । किसानों से सिंचाई शुल्क वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार ऐसे सिंचन क्षेत्रों के कृषकों को उक्त शुल्क से मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश में जिन क्षेत्रों में नहर चलते समय सिंचाई हेतु कृषकों को पानी नहीं मिल पाता है, उन पर सिंचाई शुल्क नहीं लगाया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, सिंचाई शुल्क लेने की जो व्यवस्था है, वह उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 जो है, उसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1994 निर्गत की गयी है । इस नियमावली में आवपाशी की दरें लिखी हैं । इस नियमावली में कहीं किसी प्रकार का यह उल्लेख नहीं है कि जहां पर पानी नहीं पहुंचेगा वहां सिंचाई शुल्क नहीं

लिया जायगा । मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर में कहा है कि जहां सिंचाई नहीं की जा रही है वहां शुल्क नहीं लगेगा । लेकिन जो यह अधिनियम और नियमावली है उसमें इस तरह का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । यह निश्चित जानकारी है कि जहां पर जल नहीं पहुंचता वहां भी कहीं-कहीं सिंचाई शुल्क लग जाता है ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जहां किसानों के खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा उन्हीं से शुल्क लिया जायेगा । पिछले वर्ष भी हमने यह निर्देश दिये थे कि जहां भी सिंचाई की सुविधा नहीं है अगर कोई विवाद है तो उसका लाभ किसान को ही दिया जायेगा । हमने यह भी निर्देश दिये थे कि सिंचाई सही दर्ज हो । किसी ऐसे किसान के खेत की जिसकी सिंचाई नहीं हुई है उस पर नीचे का कर्मचारी कोई शुल्क दर्ज नहीं करेगा । ऐसा हमने अधिकारियों की बैठक में भी कहा था और इसके लिए हमने माननीय विधायकों को भी पत्र लिखा । इस बार विभागीय स्तर पर सिंचाई पर्चियों का वितरण करने का कार्य किया गया है जिससे हर किसान को पता चल जाये कि उसके खेत की कितनी सिंचाई हुई और उसका जिन्स क्या लिखा गया ?

मान्यवर, विधायक वन्धुओं को हमने 5-4-99 को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है और हमने इस पर यह निर्देश किया है कि 20 अप्रैल तक प्रत्येक गांव में व्यापक स्तर पर सिंचाई पर्चियों का वितरण हो जिससे किसान जान सके कि उसकी सिंचाई हुई है, और जिसको गलत पर्ची मिली है वह अपील कर सके । हमने सभी माननीय सदस्यों को लिखा है कि अगर भ्रमण पर जायें और शिकायत मिलती है कि पर्चियां नहीं मिली है तो अवगत करायें । यह हमने राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों को भी दिया है इसलिए इस वात की पूरी चेष्टा की जा रही है कि किसी को बिना सिंचाई के, सिंचाई शुल्क की पर्ची या सिंचाई शुल्क लेने की जो एक गलत परम्परा पड़ गई थी पिछले कई वर्षों से, वह समाप्त हो । लेकिन इसके वावजूद भी मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं अभी भी जो व्यवस्था है सिंचाई पर्ची गलत मिलने से अपील करने की, उसका समय तो निकल गया लेकिन मै पूरे सदन को यह वताना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों के हित में काम करना चाहती है, सुविधाएं देना चाहती है इसलिए आपके पास आपके क्षेत्र की कोई ऐसी शिकायत हो तो 30 जुलाई तक दे दीजिए । मैं उसका परीक्षण कराकर पूरी राहत दूंगा । अगर किसान कहता है कि पानी नहीं मिला है और विभाग कहता है कि पानी मिला है, तो मैं लाभ किसान को दूंगा, यह हमारी नीति है ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंत्री जी का, कि उन्होंने एक गलत परम्परा जो पड़ गई थी, उसकी सच्चाई को स्वीकार करते हुए उसको दूर करने की दिशा में काम किया है । मान्यवर, जो नियमावली 1994 की सिंचाई की दरों के लिए निर्धारित है उसमें यह व्यवस्था नहीं है । मैं मंत्री जी से साफ आश्वासन चाहता हूं कि 1994 में जो नियमावली निर्गत की गई है इसमें यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी जाए कि जिन क्षेत्रों में नहरों का या सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पायेगा उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा ? ताकि यह स्थिति न आये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह स्पष्ट व्यवस्था है । इसीलिए अपील की व्यवस्था की गई है कि किसी को अगर गलत पर्ची मिल जाती है, अगर सिंचाई नहीं हुई और शुल्क लगा दिया है तो अधिशासी अभियन्ता के यहां वह अपील करे अधिशासी अभियन्ता उसका निपटारा करेंगे । इसके वावजूद भी मैं पुनः आश्वस्त करता हूं कि माननीय विधायक भी किसी स्पेसिफिक केस, कि इन-इन किसानों की गलत सिंचाई दर्ज हुई है

सूचना देंगे तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं अपने स्तर पर उच्च स्तर के अधिकारियों से जांच कराकर उसकी राहत किसानों को दूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, किसान को अपील करना पड़े कि हमारे नहरों में पानी नहीं पहुंचा और सिंचाई शुल्क देना पड़ा, उसकी पर्चियां आ गई हैं तो इसमें एकरूपता लाने के लिए 18 अक्टूबर, 94 में जो नियमावली निर्गत की गई है उस नियमावली में यह व्यवस्था कर दी जाए ताकि प्रदेश के किसानों को कठिनाई न हो । उन नहरों में टेल इण्ड तक पानी नहीं गया है अथवा चला गया है, यह कैसे माना जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, वार-वार यही प्रश्न उठ रहा है । मैंने पहले ही बताया कि स्पष्ट निर्देश हैं कि नहर में पानी चला या टेल तक पानी पहुँचा, यह शुल्क लेने का आधार नहीं है । किसी किसान के खेत में कम से कम एक बार पूरा पानी पहुंचा, तभी उसकी सिंचाई दर्ज होती है । सिंचाई विभाग के पानी का जो नियम है, वह प्रोटेक्टिव पालिसी है, फसल को सुरक्षा देने का है इसलिये कहीं भी ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पहुंचा, तव भी शुल्क लिया जा सकता है । शुल्क तभी लिया जायेगा, जब खेत में पानी पहुंचेगा, अब आगे से पड़ताल का काम जिलाधिकारी के लेखपाल करेंगे, भविष्य में सिंचाई विभाग, रेवन्यू स्टाफ के द्वारा इस काम को नहीं करेगा ।

श्री राम जग–

सिंचाई की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें गलत ढंग से पड़ताल हो जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि गलत ढंग से काश्तकार से पैसा वसूल लिया गया है तो ऐसे कर्मी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और काश्तकार को पैसा वापस दिलाये जाने की व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इसके संबंध में व्यवस्था यह है कि अगर वाद में जांच कराने पर यह सिद्ध हो जाता है कि सिंचाई बिना हुये शुल्क ले लिया गया है तो अगली सिंचाई जब होती है और खेत में पानी पहुंचता है तो अगली सिंचाई के एमाउंट में उस पैसे को डिटक्ट कर दिया जाता है और जो कर्मचारी गलत कार्यवाही करते हुये पाया जाता है, उसको पहले भी दण्डित किया है और आगे भी करेंगे । अब तो आगे से यह काम जिलाधिकारी के नियंत्रण में चला जायेगा । इस बार जो हुआ है, उसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं । किसानों के हित में, यदि आपको अपने क्षेत्र में ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उसे सीधे मेरे पास भेज दें, हम जरूर किसान को राहत दिलायेंगे और ऐसे कर्मचारी को अवश्य दंडित करेंगे ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी माइनर हैं, जहां पर माइनर की खुदाई तो हो रही है लेकिन वहां पर टेल तक पानी नहीं पहुचता । इस संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी को दो-दो पत्र लिखे । मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोहावल में बदरपुर-बैरावा माइनर है, उस माइनर में आज तक पानी नहीं पहुंचा और मंत्री जी चाहें भी तो पानी नहीं पहुंचा सकते । जबकि इस माइनर पर लाखों-करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे संवंधित अभियन्ताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही आप करेंगे और पानी पहुंचाने के लिये अलग से कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शारदा सहायक परियोजना जो वनी थी, वह 23 हजार क्यूसेक पानी के लिये बनी थी । दो साल पहले यह 14–15 हजार क्यूसेक से चलती थी और पिछले साल जो सत्र बीत गया है उसमें 18–20 हजार क्यूसेक चला । मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह परियोजना अभी पूर्ण

नहीं हुई है, 9 किलोमीटर की लाइनिंग बाकी है । हमारा लक्ष्य है कि इसको सन् 2000 तक पूरा करा दिया जाये । इसको हमें उस समय तक चलाना है और हमारा यह प्रयास है कि नहरों के टेल तक पानी पहुंचाया जाये । बलिया जिला अन्तिम जिला है और इसलिये सन् 2000 तक पानी बलिया में पहुंच जायेगा ।

खरीफ 1999–2000 की विभिन्न फसलों के अन्तर्गत धान, गेहूं, जौ एवं चना के घोषित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को अतिरिक्त बोनस देने का विचार

**2–श्री राम औतार शाक्य, श्री राम ललित चौधरी तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1999–2000 के लिये घोषित धान, गेहूं, जौ एवं चना के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त क्या प्रदेश सरकार किसानों को अतिरिक्त बोनस देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

खरीफ 1999–2000 को विभिन्न फसलों के अन्तर्गत धान का समर्थन मूल्य अभी भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाना है । गेहूं, जौ, चना के घोषित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को अतिरिक्त बोनस दिया जाना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, सदन स्थगित हो गया था, इसलिये मैं समझता था कि अब प्रश्न नहीं आ पायेगे इसलिये मैं पत्रावली नहीं लाया हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसको कल के लिये स्थगित किया जाता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य कर्मचारियों की भांति सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान देने की मांग

*1–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री को जानकारी है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को आठ साल की सकुशल सेवा के उपरान्त समयमान वेतनमान दिये जाने का प्राविधान है परन्तु सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों को अभी भी 10 साल की सकुशल सेवा के उपरान्त ही समयमान वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या समता समिति, 1989 की संस्तुतियों के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों कों आठ साल की सेवा पर समयमान वेतनमान दिये जाने संबंधी शासनादेश निर्गत करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समता समिति, 1989 की संस्तुतियों में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों को 8 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान देने की संस्तुति नहीं की गयी थी । अतः 8 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश निर्गत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बनवारी लाल दोहरे–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिया जा रहा है, उसी प्रकार से निगमों को भी दिये जाने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

इस प्रकार का कोई विचार नहीं चल रहा है ।

तारांकित प्रश्न

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति अनुशासन व सुनिश्चित करने की सरकार की योजना

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति व अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रभावी योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जी हां ।

आकस्मिक निरीक्षण किये जा रहे हैं तथा अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों का प्रशासन ग्राम पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई प्रभावी योजना बनायी है, जिससे विद्यालयों में अध्यापक उपस्थित हो सकें और बच्चों की पढ़ाई का स्टेंडर्ड ऊंचा हो सके ? मैंने योजना के बारे में पूछा था कि जो उत्तर आया है वह यह आया है कि आकस्मिक निरीक्षण किये जा रहे हैं । मान्यवर, यह कोई पालिसी नहीं है, यह तो एक प्रक्रिया है, तो माननीय मंत्री जी कोई पालिसी बताने की कृपा करें ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

अध्यापकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये ग्राम पंचायतों को विद्यालयों की व्यवस्था में सहभागी बनाया है, जिससे विद्यालय ठीक प्रकार से चलें और अध्यापक बच्चों को ठीक से पढ़ायें । इसमें सबके हितों का ध्यान रखा गया है और गांवों के निवासियों का भी हित है, इसलिये उनको सहभागी बनाया गया है । ग्राम शिक्षा समिति की सिफारिश पर उनके वेतन आदि रोके जाने की कार्यवाही की जायेगी स्थानान्तरण किये जायेंगे अनुशासन की कार्यवाही की जायेगी यह सभी व्यवस्थाएं किये जाने की कार्यवाही गतिमान है, ताकि पूर्ण नियंत्रण हो सकें और अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आप प्राइमरी शिक्षा को पंचायत को स्थानान्तरित करने की बात कर रहे हैं तो क्या कोई ऐसा मानक है कि जिससे विद्यालय में जो अध्यापक

पढ़ाने नहीं ज़ाते हैं और जिन विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है, यह व्यवस्था आप सुनिश्चित करायेंगे, इसमें आपने क्या कार्यवाही की, क्या कोई कार्ययोजना की तैयारी की है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि शिक्षा के संबंध में शासनादेश जारी हो गया है कि प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था पंचायतों के अधीन होगी । परिसम्पत्तियों के स्थानान्तरण की कार्यवाही गतिमान है ।

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश सचिवालय परिसर में तीन वर्षों में सफाई पर व्यय धन तथा परिसर में पान मसाला को प्रतिबन्धित करने की जानकारी

*3–डा० राम बाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय/विधान भवन परिसर विधान सभा एवं विधान परिषद् के परिसरों को छोड़कर विगत तीन वर्षों में सफाई पर कितना धन व्यय हुआ है ? क्या सचिवालय में पान की पीक द्वारा जगह-जगह फैलायी जा रही गन्दगी को रोकने हेतु सरकार कोई नीतिगत फैसला ले रही है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार उक्त परिसर में पान, पान मसाला आदि खाने पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

उत्तर प्रदेश सचिवालय/विधान भवन परिसर (विधान सभा एवं विधान परिषद् के परिसरों को छोड़कर) में विगत तीन वर्षों में सफाई की वस्तुओं के क्रय पर निम्न विवरण के अनुसार धनराशि व्यय हुई :–

वर्ष 1996-97 रु० 3,62,595.00

वर्ष 1997-98 रु० 5,06,156.00

वर्ष 1998-99 रु० 5,54,979..00

जी हां, उत्तर प्रदेश सचिवालय के भवनों व परिसर में पान, पान-मसाला आदि खाने को प्रतिबन्धित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न करें ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 1 लाख 92 हजार रुपया वर्ष 1998-99 में खर्च हुआ है वह वर्ष 1996-97 की तुलना में अधिक है । सरकार इस खर्च को रोकने पर क्या विचार कर रही है । क्या सरकार के सामने कोई प्रस्ताव विचाराधीन है । मैं मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, वर्ष 1998-99 में पांच लाख 54 हजार रुपया खर्च किया गया है जो 1996-97 की तुलना में दो लाख रुपया अधिक है । मान्यवर, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है तो इसके लिए हमें अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ेगी । जिस प्रकार से सफाई की अपेक्षा है वह हो सके इसके लिये मुख्य सचिव स्तर पर मामला विचाराधीन है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे क्या उनको दण्डित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा तारांकित प्रश्न संख्या–2 है । इसमें मैंने सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में प्रश्न किया था लेकिन मेरा यह प्रश्न गोपनीयता के आधार पर निरस्त कर दिया गया है इसमें मैंने ऐसी कोई बात नहीं पूछी थी जिसमें गोपनीयता भंग होती हो । मैं जानना चाहता हूं इसे किन कारणों से निरस्त कर दिया गया है ?

*4–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[2रे शुक्रवार में ता०प्र०सं० 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के अभ्यारण्यों में अवैध शिकार की रोकथाम हेतु सरकार के कदम

*5–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के अभ्यारण्यों में अवैध शिकार बड़े पैमाने पर हो रहा है ? क्या सरकार शिकार रोकने हेतु कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

जी नहीं, प्रदेश के अभ्यारण्यों में बड़े पैमाने पर अवैध शिकार नहीं हो रहा है ।

अवैध शिकार की रोकथाम हेतु प्रदेश के अभ्यारण्यों में तैनात फील्ड स्टाफ द्वारा लगातार गश्त की जाती है तथा अवैध शिकार का प्रयास करने वाले अपराधियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

माध्यमिक विद्यालयों के साथ संचालित प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को मृतक आश्रित शिक्षकों की भांति प्रशिक्षण में छूट किये जाने की मांग

*6–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माध्यमिक विद्यालयों के साथ संचालित प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को मृतक आश्रित शिक्षकों की भांति पांच वर्ष की सेवा होने पर प्रशिक्षण से छूट दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में हर ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में प्राइमरी पाठशालायें खोलने की सरकार की योजना की जानकारी

*7–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के हर ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तर पर एक किमी० की दूरी में प्राइमरी पाठशालायें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा एवं सबको शिक्षा के

नोट :–नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

संकल्प के आधार पर स्थापित हैं ? क्या अब भी कुछ ग्राम पंचायतों में प्राइमरी स्कूल नहीं खोले गये हैं ? यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है ? सरकार प्रत्येक ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में कब तक प्राइमरी स्कूल स्थापित कर देगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रदेश में हर ग्राम सभा में 1 कि०मी० की दूरी पर प्राथमिक पाठशाला की स्थापना का मानक नहीं है ।

प्रदेश में 300 की आबादी तथा 1.5 कि० मी० की दूरी (पर्वतीय क्षेत्र में 1 कि० मी०) में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के मानक के आधार पर प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये जा चुके हैं । तद्नुसार सभी ग्राम पंचायतें सेवित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त मानक के अनुसार विद्यालयों की स्थापना के बाद भी शेष बची ऐसी बस्तियों, जिनमें 30 बच्चे उपलब्ध हों (पर्वतीय क्षेत्र में 20 बच्चे) और 1 कि० मी० के अन्दर कोई प्राथमिक विद्यालय न हो, वहां स्थानीय ग्राम पंचायत के माध्यम से एक शिक्षा केन्द्र शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें कक्षा 1 व 2 के अध्यापन की व्यवस्था होगी ।

*8–श्री रमेश राही–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*9–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के औद्योगिक विकास में गति लाने हेतु नई सरकार की नीति तथा उद्योग धन्धों की स्थापना की जानकारी

*10–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1999–2000 में प्रदेश में औद्योगिक विकास में गति लाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु नये उद्योग धन्धों की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो उनके स्थापना का आधार क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी हां ।

प्रदेश के औद्योगिक विकास में गति लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 1998, निर्यात नीति, खनिज नीति तथा फिल्म नीति 1999 की घोषणा की गई है ।

प्रदेश में भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लोहगढ़ा, इलाहाबाद में रिफाइनरी की स्थापना तथा कृषकों द्वारा गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लान्ट की स्थापना प्रस्तावित है । प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी उद्योग धन्धे की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है, वरन प्रदेश में उद्योग धन्धे की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र की सहभागिता लिये जाने की नीति है ।

उपरोक्तानुसार ।

साप्ताहिक, पाक्षिक और दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के लिए शासन की नीति

*11–श्री अफजाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि साप्ताहिक, पाक्षिक और दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के लिये शासन ने कौन-कौन सी श्रेणी अथवा मानक बनाये हैं ? क्या सरकार छोटे और मझौले तथा साप्ताहिक समाचार पत्रों को विकसित करने के लिये विशेष पैकेज देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना विभाग द्वारा जारी कार्यकारी आदेश संख्या–2849/सू० एवं ज०सं०वि० (विज्ञापन)–1173/89, दिनांक 21 फरवरी, 91 में साप्ताहिक, पाक्षिक तथा दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी करने हेतु विज्ञापन मद में आवंटित कुल बजट का 70% लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के लिये उपयोग किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12–डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

अतारांकित प्रश्न

जनपद बलिया में मान्यता प्राप्त सहायक जूनियर हाई स्कूलों में एक ही समय में नियुक्त अध्यापकों में से कतिपय अध्यापकों को न्यायालय के आदेश के बावजूद वेतन भुगतान न किया जाना

1–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में मान्यता प्राप्त सहायक जूनियर हाई स्कूलों में एक ही साथ तिथि व माह में नियुक्त ऐसे कितने अध्यापक हैं, जिन्हें न्यायालय के आदेश से वेतन भुगतान किया जा रहा है तथा कौन-कौन ऐसे अध्यापक हैं जिन्हें न्यायालय के आदेश के बावजूद वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार ऐसे अध्यापकों को भी वेतन भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रकरण की जानकारी है । शिक्षा निदेशक (बेसिक) को निदेशित किया गया है कि निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय । जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मथुरा के जैन इण्टर कालेज चौरासी में रसायन विज्ञान प्रवक्ता के पद पर की गयी नियुक्ति में अनियमितता विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

2–डा० मुस्लिम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जैन इण्टर कालेज, चौरासी मथुरा में रसायन विज्ञान प्रवक्ता के पद पर की गयी नियुक्ति में जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में श्री भगवान दास, संयोजक संघर्ष समिति, उ० प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ, मथुरा का पत्र

श्री अक्षयवर लाल, विधायक के उपरिपत्र माह सितम्बर/अक्टूबर, 1998 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

जी हां ।

इस मामले की जांच के आदेश मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा को दे दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के अवकाश प्राप्त एवं मृतक कर्मचारियों के सामूहिक बीमा की धनराशि के भुगतान में हो रहे विलम्ब की शिकायत

3–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों एवं मृतक कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान लम्बित है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसावां, ग्राम सभा सरोसा में राम दुलारी रामवती कन्या इण्टर कालेज के प्रबन्धक द्वारा धन के दुरुपयोग की जांच

4–श्री उदय राज यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसावां, ग्राम सभा सरोसा में राम दुलारी रामवती कन्या इण्टर कालेज के प्रबन्धक श्री अवनीश बाजपेई पुत्र श्री पृथ्वीराज बाजपेई द्वारा छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं की फर्जी आमद दिखाकर धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी अविलम्ब जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जनपद में इस नाम का कोई भी इण्टर कालेज संचालित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी पाठशाला हथौड़ा विकास खण्ड बलदेव, जिला मथुरा के निर्माण हेतु मुख्य विकास अधिकारी के आदेश को निरस्त करने के संबंध में पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

5–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला हथौड़ा, विकास खण्ड बलदेव, जिला मथुरा के निर्माण हेतु मुख्य विकास अधिकारी के आदेश को निरस्त किये जाने हेतु विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम०–3/15727/मथुरा/98, दिनांक 1-9-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ के अन्तर्गत ग्राम सभा मधवापुर के रेवेन्यू ग्राम गोविन्दापुर और बंगरिया के बीच प्राइमरी पाठशाला के निर्माण हेतु पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

6–श्री राम ललित चौधरी–

क्या वेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत परसादमया, वि० खं० सल्टौआ, जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम सभा मधवापुर के रेवेन्यू ग्राम गोविन्दापुर और बंगरिया के बीच प्रधान के प्रस्ताव के अनुसार प्राइमरी विद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में जनवरी, 99 के द्वितीय सप्ताह में प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० के [illegible]मानुसार यथोचित कार्यवाही प्रशस्त करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रख-रखाव सहायता के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन द्वारा धन के दुरुपयोग की जांच

7–श्री श्रीराम पाल–

क्या वेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रखरखाव व साज-सज्जा हेतु वित्तीय सहायता देने की कोई योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में चल रही है ? यदि हां, तो क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन द्वारा पक्षपात पूर्ण तरीके से विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया तथा धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उच्च स्तरीय जांच कराकर धन के सदुपयोग का सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उर्दू विषय का पाठ्यक्रम बदले जाने एवं पाठ्य पुस्तकों के बाजार में उपलब्ध न होने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

8–श्री अकबर हुसैन–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1999 जो उर्दू विषय का पाठ्यक्रम बदले जाने एवं पाठ्यपुस्तकों के बाजार में उपलब्ध न होने के कारण छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होने से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रदेश में हाई स्कूल स्तर पर दस वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम लागू किये जाने एवं कक्षा 9 तथा 10 के पाठ्यक्रम के विभाजित किये जाने के फलस्वरूप उर्दू विषय का पाठ्यक्रम भी तदनुसार विभाजित किया गया । नये पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा–9 में विद्यालयों में अध्ययन/अध्यापन चल रहा है । उर्दू विषय की

पुस्तकों का मुद्रण निजी प्रकाशकों द्वारा कराया जाता है और इस संबंध में उर्दू विषय की पुस्तकों की अनुपलब्धता नहीं है । इण्टर में उर्दू विषय के पाठ्यपुस्तक/पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम हुलासा नगला क्षेत्र पंचायत कटरा (खुदागंज) में विद्यालय भवन के निर्माण का मामला

9–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-6-98 या इसके आसपास जो ग्राम हुलासा नगला क्षे० पं० कटरा (खुदागंज) जनपद शाहजहांपुर में विद्यालय भवन के स्थान के चयन से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

उल्लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ किन्तु ग्राम हुलासा नगला, क्षेत्र पंचायत कटरा खुदागंज में चयनित स्थल पर प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के ब्लाक फरह, मांट, गोवर्धन, बल्देव में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति के खिलाफ कार्यवाही

10–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के ब्लाक फरह में 31, मांट में 8, गोवर्धन में 28, बल्देव में 23 फर्जी नियुक्ति पाने वाले शिक्षक व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? क्या इसकी सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा ने वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, मथुरा को सौंपी है ? यदि हां, तो क्या शासन ने इन फर्जी नियुक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सम्प्रति कार्यरत नहीं हैं ।

जी हां ।

जांचोपरान्त सभी फर्जी स्थानान्तरित कर्मचारियों का पद स्थापन समाप्त कर उनके विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेदकर नगर के श्री शंकर संस्कृत विद्यालय, भीटी श्री शिशु संस्कृत विद्यालय सरैया सया श्री शंकर जी पू० मा० विद्यालय, खरिका भारी, गोसाईगंज तथा आदर्श प्रौद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय, गोसाईगंज फैजाबाद में फर्जी वेतन भुगतान पर रोक की मांग

11–श्री विश्वनाथ–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर संस्कृत विद्यालय, भीटी–अम्बेडकर नगर, श्री शिशु संस्कृत विद्यालय–सरैया-संया, अम्बेडकर नगर, श्री शंकर जी पू०मा० विद्यालय, खरिका भारी, गोसाईगंज, अम्बेडकर नगर, आदर्श प्रौद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय, गोसाईगंज, फैजाबाद के विद्यालयों में फर्जी तरीके से वेतन भुगतान प्राप्त कर रहे अध्यापकों के वेतन भुगतान पर शीर्घ रोक लगाने के लिए, क्या मा० शिक्षा मंत्री, उ० प्र० शासन, सचिव शिक्षा, उ० प्र० शासन एवं शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ० प्र० लखनऊ द्वारा स्पष्ट रूप में लिखित आदेश उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, फैजाबाद की जांच आख्या दिनांक 27-3-98 के अनुसार दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए सम्बन्धित चारों विद्यालयों के फर्जी वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रश्नगत विद्यालयों का वेतन भुगतान मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के आदेश दि० 29-4-99 द्वारा रोक दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में भीषण बाढ़ के समय मुख्य मंत्री द्वारा छात्रों की फीस माफी की घोषणा के अनुरूप गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मण्डल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में छात्रों की फीस माफी की व्यवस्था

12–श्री नरेन्द्र सिंह तथा रवीन्द्र प्रताप उर्फ पप्पू चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयी जुलाई, अगस्त, 1998 की भीषण बाढ़ के समय मुख्य मंत्री द्वारा घोषित छात्रों की फीस माफी की घोषणा का अनुपालन सुनिश्चित हो गया है ? यदि हां, तो क्या गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मण्डल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में छात्रों को फीस माफी की व्यवस्था सुनिश्चित हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

तदनुसार शासनादेश संख्या–4406/15-7-98–शिक्षा–7 दिनांक 20-9-98 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर ग्राम बहेड़ा भगवानपुर एवं ग्राम शाहपुर, विकास खण्ड जलालाबाद के विद्यालय भवन में प्रयुक्त घटिया सामग्री सम्बन्धी शिकायती-पत्र तथा जांच की मांग

13–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-98 या इसके आसपास जो ग्राम बहेड़ा भगवानपुर एवं ग्राम शाहपुर वि० खं० जलालाबाद, शाहजहांपुर में कुछ वर्ष पूर्व दो विद्यालय भवनों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्न में इंगित पत्र प्राप्त नहीं हुआ किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक विद्यालय बहेड़ा भगवानपुर के भवन का निर्माण जो कि ब्लाक स्तर से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा करवाया गया था, में घटिया सामग्री का प्रयोग होने के कारण विभाग द्वारा भवन को अधिग्रहीत नहीं किया गया है ।

जांच आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर को कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।

प्राथमिक विद्यालय शाहपुर, विकास क्षेत्र जलालाबाद के भवन निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के ब्लाक राही में प्राथमिक विद्यालय सूरजकुण्डा का वर्ष 1994 की कक्षा–5 का वार्षिक परीक्षाफल घोषित न करने की शिकायत तथा जांच रिपोर्ट

14–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्राथमिक विद्यालय सूरजकुण्डा, ब्लाक–राही, जनपद–रायबरेली में वर्ष 1994 की कक्षा–5 का वार्षिक परीक्षाफल समय से घोषित न किये जाने की जांच पत्रावली 31-1-95 को पत्रांक संख्या–166 द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० को भेजी गयी है एवं दूसरी जांच नायब तहसीलदार तथा जिला विद्यालय निरीक्षक रायबरेली से करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच में दोषी शिक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि जांच के शिकायतकर्ता श्री सदाशिव पाण्डेय का दो वार प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

पत्रांक 166 दिनांक 31-1-95 द्वारा कोई जांच पत्रावली शिक्षा निदेशक (बे०) को नहीं भेजी गयी । वार्षिक परीक्षाफल समय से घोषित न किये जाने की जांच नायब तहसीलदार तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गयी ।

संबंधित शिक्षकों का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

जी हां , जिलाधिकारी, रायबरेली तथा मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली के आदेशों के अनुपालन में श्री पाण्डेय के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया किन्तु कालान्तर में उच्चादेशों के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया ।

जनपद गोरखपुर में गत वर्ष 1998 की बाढ़ व बरसात से ध्वस्त/क्षतिग्रस्त माध्यमिक (मान्यता प्राप्त) परिषदीय विद्यालय भवनों की मांगी गयीं रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

15–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–गोरखपुर में गत वर्ष 1998 की बाढ़ व बरसात से ध्वस्त व क्षतिग्रस्त माध्यमिक (मान्यता प्राप्त व सरकारी), परिषदीय विद्यालयों के भवनों की क्षति का विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के माध्यम से तकनीकी विभाग की आख्या व नक्शे के साथ माह अगस्त, 1998 से दिनांक 31-1-99 तक मांगा गया था ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता व श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद गोरखपुर के उक्त अवधि में कितने पत्र शासन के स्थानीय अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर व मुख्य मंत्री को प्राप्त हुये हैं ? ऐसे विद्यालय कौन-कौन हैं ? उक्त को कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत है और कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

पत्र प्राप्त होने की पुष्टि की जा रही है ।

गोरखपुर जनपद के 46 विद्यालय हैं ।

प्रकरण स्वीकृति हेतु राहत आयुक्त के माध्यम से भारत सरकार को संदर्भित किया गया है ।

उक्तवत ।

श्री अरुण कुमार सिन्हा, उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, फैजाबाद की जांच आख्या पर सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन करने के सम्बन्ध में जानकारी

16–श्री विश्वनाथ–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरुण कुमार सिन्हा, उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, फैजाबाद की जांच आख्या दिनांक 27-3-98 के आधार पर संबंधित चारों विद्यालयों में अवैध वेतन प्राप्त करने वाले अध्यापकों के वेतन को शीघ्र रोकने के लिये शासनादेश संख्या : वी० आई० पी०/5522, दिनांक 6-8-98 द्वारा प्रमुख सचिव शिक्षा को लिखित रूप से स्पष्ट आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? क्या संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

मा० शिक्षा मंत्री जी द्वारा जांच कराकर आख्या 15 दिन में प्रेषित करने का आदेश दिया गया है मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29-4-99 द्वारा संबंधित विद्यालयों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा सचिव को स्मिथ, इण्टर कालेज अजमतगढ़, आजमगढ़ के सम्बन्ध में भेजा गया माननीय सदस्य श्री राम प्यारे सिंह का पत्र तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त आख्या पर कार्यवाही

17–श्री राम प्यारे सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो प्राप्त आख्या पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (मा०) से अन्तरिम आख्या प्राप्त हो गयी है ।

सम्बन्धित अध्यापक के विरुद्ध निदेशक (मा०) के स्तर पर इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16–ई(10) के अन्तर्गत कार्यवाही गतिमान है ।

–तदैव–

जनपद जौनपुर की स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा महन्त श्री राम आसरेदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लपरी के प्रचार के विरुद्ध फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के सत्यापन सम्बन्धी जिलाधिकारी को प्रेषित गोपनीय जांच आख्या

18–श्री अफजाल अहमद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद की स्थानीय अभिसूचना इकाई ने 17-6-97 को जिलाधिकारी, जौनपुर को फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु संबंधित महाविद्यालय

के प्राचार्य का बयान भी संलग्न कर प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के बारे में प्राचार्य के बयान क्या हैं ? क्या प्राचार्य का बयान नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जौनपुर जनपद की स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा दिनांक 17-6-97 को जिलाधिकारी जौनपुर को महन्त श्री राम आसरे दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लपरी जनपद जौनपुर के प्रधानाध्यापक श्री छोटे लाल यादव के विरुद्ध श्री जीता यादव विवादित प्रबन्धक उक्त विद्यालय द्वारा लगाये गये आरोपों की गोपनीय जांच आख्या सौंपी गयी है ।

गोपनीय जांच में खुली जांच की भांति बयान लेने की परम्परा नहीं है । अतः इसे संलग्न कर प्रेषित किये जाने का प्रश्न ही नहीं है ।

गोपनीय जांच में लिखित बयान की परम्परा नहीं है । संकलित तथ्यों को गोपनीय जांच आख्या में समाविष्ट कर गोपनीय जांच आख्या प्रेषित की गयी है ।

प्रदेश सरकार द्वारा निगमों में मनोनीत किये गये अध्यक्ष तथा उनके वाहनों में प्रयुक्त डीजल पेट्रोल के खर्च तथा घाटे में चल रहे निगमों की जानकारी

19–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन निगमों में वर्तमान सरकार ने अध्यक्ष मनोनीत किये हैं ? उनके वाहनों में प्रयुक्त वित्तीय वर्ष 1998-99 में उनके द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों पर डीजल/पेट्रोल पर कितना-कितना खर्चा हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त निगमों में से कौन-कौन निगम घाटे में चल रहे हैं ?

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री जय नारायण तिवारी)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई विकास खण्ड बिलग्राम, परसौला, रामेश्वर पुरवा तथा विधौटी नेवादा ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

20–डा०, धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर सरकार ने घोषणा की थी कि एक हजार से अधिक की आबादी वाले ग्राम मुख्य सड़क से जोड़ दिये जायेंगे ? यदि हां, तो जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड बिलग्राम में 1600 की आबादी वाले ग्राम जरसेना मऊ, ग्राम–बघियारी कटरी परसोला का ग्राम रामेश्वर पुरवा तथा ग्राम बिंधौरी नेवादा को अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे मुख्य सड़क से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जी हां ।

जी हां ।

एक हजार से अधिक आवादी के ग्रामों को मुख्य मार्गों से वर्ष 2005 तक जोड़ने की योजना है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

21–श्री संजय गर्ग–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लोक सेवा आयोग उ० प्र० की प० सं० 16 आर०वी० 62–63 टी० सी० कवर के गायब होने के सन्दर्भ में चल रही जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

22–श्री रामसेवक सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उ० प्र० की प० सं० 16 आर० वी० 62-63 टी० सी० कवर के गायब होने के संदर्भ में कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच हेतु कब आदेश निर्गत किये गये थे और अब तक कौन-कौन से अधिकारी उक्त प्रकरण की जांच के लिए नियुक्त किये गये ? क्या विभागीय जांच की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है ? यदि नहीं, तो जांच की कार्यवाही वर्तमान में किस स्तर पर है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त जांच के संदर्भ में किन-किन कर्मचारियों से साक्ष्य एवं बयान लिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

दिनांक 19 सितम्बर, 1996 को लोक सेवा आयोग द्वारा जांच हेतु आदेश जारी किये गये थे । ारम्भिक जांच हेतु श्री इष्टदेव प्रसाद राय, संयुक्त सचिव, लोक सेवा आयोग तथा औपचारिक/विभागीय जांच हेतु श्री डी०बी० सिंह, अपर सचिव (वित्त) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ।

जी नहीं ।

जांचा अधिकारी की आख्या के उपरान्त विभागीय कार्यवाही में अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्रकरण ासन के परीक्षणाधीन है । जांचाधिकारी द्वारा लोक सेवा आयोग के श्री राजेन्द्र नाथ सरकार, वा निवृत्त प्रवर वर्ग सहायक, श्री गंगा प्रसाद मिश्र, उप सचिव श्री अविनाश चन्द्र साहू, अनुभाग धिकारी, श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डेय, दैनिक वृत्त कर्मचारी श्री वीरेन्द्र प्रसाद, प्रवर वर्ग सहायक एवं ी दिनेश चन्द्र शुक्ल, अनुभाग अधिकारी के साक्ष्य एवं बयान लिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1985 के परीक्षाफल के प्रामक प्रकाशन के सम्बन्ध में जानकारी

3–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 998 को प्रेस हेतु सूचना/विज्ञप्ति संख्या–209/01/सी–1/85-86 प्रकाशनार्थ प्रेषित की गई थी ? यदि , तो वह सूचना/विज्ञप्ति किस विषय के संदर्भ में और किन-किन समाचार पत्रों के सम्पादकों को प्रेषित ो गई थी ? आयोग के सचिव द्वारा प्रेषित सूचना किन-किन समाचार-पत्रों में एवं किस-किस तिथि को काशित की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ी कल्याण सिंह–

जी हां ।

सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1985 में सम्मिलित बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के छड़े वर्ग के पदों के सम्बन्ध में घोषित परीक्षाफल के सम्बन्ध में, नार्दन इण्डिया पत्रिका सहित कतिपय

अन्य समाचार पत्रों में भ्रामक एवं तथ्यहीन समाचारों के प्रकाशित होने के कारण, जन-साधारण को वस्तु स्थिति की सही जानकारी देने के संदर्भ में उक्त विज्ञप्ति को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ एडनैक एडवरटाइजिंग एजेन्सी को उपलब्ध कराया गया था । उक्त सूचना दिनांक 11 नवम्बर, 1998 को नार्दन इण्डिया पत्रिका, समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

24–श्री रंग बहादुर पटेल–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ, रामनगर तथा साऊंघाट में वर्ष 1998 में आई भीषण बाढ़ एवं जलभराव के कारण राज्य मार्ग को काटे जाने तथा कटे स्थानों पर पुलिया व पुल बनाने की मांग

25–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया वतायेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ, रामनगर तथा साऊंघाट में बर्ष 1998 में आयी भीषण वाढ़ एवं जल भराव के कारण राज्य मार्गों एवं जिला मार्गों पर कितने स्थानों पर पानी निकासी के लिए मार्गों को काटा गया था ? क्या उक्त मार्गों का सर्वेक्षण कराकर मंत्री जी उन स्थानों पर पुल-पुलिए के निर्माण की स्वीकृति समयवद्ध तरीके से जारी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ रामनगर तथा साऊंघाट में वर्ष 1998 में आई भीषण वाढ़ एवं जल भराव के कारण कोई राज्य मार्ग नहीं काटा गया था । रामनगर ब्लाक में केवल एक प्रमुख जिला मार्ग दो स्थानों पर, एक अन्य जिला मार्ग एक स्थान पर ग्राम वासियों द्वारा काट दिया गया था ।

पुल/पुलियों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

सरकार द्वारा रिज्वाइन्डर एफीडेविट उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में दाखिल करने की मांग

26–श्री रामपाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया वतायेंगे कि रिट याचिका संख्या 930 (एस० बी०) आफ 1998 को दाखिल करने में मिसलेनियस खर्च सहित वकील फीस इत्यादि कुल कितना रुपया 30-5-1999 तक खर्च हुआ है ? प्रतिवादी का काउन्टर एफीडेविट स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से लोक निर्माण अनुभाग–4 को कब प्राप्त हुआ है ? कितने रुपयों का क्लेम काउन्टर एफीडेविट में दर्शाया गया है ? सरकार की तरफ से किस कारण रिज्वाइन्डर एफीडेविट आज तक दाखिल नहीं किया जा रहा है ? सरकार रिज्वाइन्डर एफीडेविट कब तक उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, में दाखिल करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

रिट् याचिका सं०–390(एस०वी०)/ आफ 1998 को दाखिल करने में कुल धनराशि रु० 2,205/- व्यय हुआ । प्रतिवादी का प्रतिशपथ-पत्र दिनांक 14-7-98 को प्राप्त हुआ है, जिसमें कुल रु० 4,106.40 पैसे का दावा किया गया है । यद्यपि रिज्वाइन्डर एफीडेविट दायर करने के बारे में मा० उच्च न्यायालय

के कोई निर्देश नहीं है फिर भी यदि विधिक परामर्श के अनुसार आवश्यक हुआ तो रिज्वाइन्डर एफीडेविट दायर किया जायेगा ।

27–श्री रामपाल वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लक्ष्मी नारायण भगवती विद्या मन्दिर गर्ल्स हाई स्कूल सुभाष मार्ग, लखनऊ में कार्यरत प्राइमरी (बेसिक) शिक्षा की अध्यापिकाओं को पेंशन लाभ न देने का कारण

28–श्री रामपाल वर्मा–

क्या वेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या–2745/15-6-97–28 (10)/96 (टी०सी०) दिनांक 23-5-1998 के अनुसार वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत 1985 से राजकोष से मासिक वेतन प्राप्त कर रही लक्ष्मी नारायण भगवती विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल, सुभाष मार्ग, लखनऊ में कार्यरत प्राइमरी (वेसिक) सेक्शन की अध्यापिकाओं को क्या पेंशन का लाभ अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विद्यालय की प्राइमरी सेक्शन की 30-6-1999 तक सेवा निवृत्ति किन-किन अध्यापिकाओं को पेंशन सहित ग्रेच्युटी व जी० पी० फण्ड का भुगतान उपलब्ध करवाया जा चुका है ? शेष सेवा निवृत्त अध्यापिकाओं को कब तक पेंशन सहित ग्रेच्युटी व फण्ड का भुगतान उपलब्ध करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्नगत राजाज्ञा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग पर लागू नहीं है ।

विद्यालय के प्राइमरी अनुभाग को 30-6-99 तक सेवा निवृत्त निम्नलिखित अध्यापिकाओं को मात्र जी०पी०एफ० का भुगतान किया गया है ।

1–श्रीमती सरोजनी श्रीमाली

2–श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव

3–श्रीमती सरला श्रीवास्तव

4–श्रीमती शकुलबाला किरन

5–विद्या बाजपेयी

पेंशन व ग्रेच्युटी माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न प्राइमरी अनुभाग की अध्यापिकाओं को देय नहीं हैं । जी०पी०एफ० का भुगतान शेष सेवा निवृत्त अध्यापिकाओं को नियमानुसार शीघ्र कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण सचिव शाखा में कार्यरत सन्तराम कनिष्ठ लिपिक सम्परीक्षा कोष्ठ के अनुसार अधिक भुगतान किये गये वेतन एरियर की कटौती

29–श्री प्रमोद कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक सेवा अधिकरण–5 के जजमेन्ट 25-9-1985 के साथ पठित उच्च न्यायालय के जजमेन्ट दिनांक 18-2-1987 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या–6974 बी०एस/23–सा०नि०अनु०–4-18 वी०एस/80, दिनांक 12-10-1982 व शासनादेश संख्या 353 बी०एस/

23–सा०नि०अनु०–4-18 बी०एस/82. दिनांक 17-1-1983 के पैरा 2 व 3 के अनुपालन में भी सन्त राम, कनिष्ठ लिपिक, सम्परीक्षा कोष्ठ लो० नि० सचिव शाखा के मासिक वेतन में से 1-7-79 से 12-10-82 अवधि तक के अधिक भुगतान किये गये वेतन एरियर की कटौती दिनांक 17-1-1983 से आज तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो सरकार कितनी किश्तों में किस माह व दर से कटौती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–6974 बी०एस०/23–सा०नि०अनु०–4–78 बी०एस०/80, दिनांक 12-10-1982 व शासनादेश सं०–353 बी०एस०/23-सा०नि०अनु०–4-18 बी०एस०/82 दिनांक 17-1-1983 के पैरा 2 व 3 के अनुपालन में श्री सन्तराम, कनिष्ठ लिपिक प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लो० नि० सचिव शाखा को अधिक भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष उनके मासिक वेतन से 01-7-79 से 12-10-82 तक की अवधि में रु० 1,850.30 पैसे की कटौती हो चुकी है । अवशेष धनराशि की कटौती करने हेतु बकाये का सत्यापन कराया जाना है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम अकबरपुर पसनामऊ को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

30–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर सरकार ने घोषणा की थी कि एक हजार से ऊपर की आबादी वाले ग्राम मुख्य सड़क से जोड़ दिये जायेंगे ? क्या जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम का अकबरपुर पसनामऊ (91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र) लगभग 1400 की आबादी वाला ग्राम आजादी के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? क्या सरकार उक्त अकबरपुर पसनामऊ ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

एक हजार से अधिक आबादी के ग्रामों को वर्ष 2005 तक मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम के बैफरिया ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

31–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड बिलग्राम का लगभग 1100 की आबादी वाला ग्राम बैफरिया आजादी के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? क्या आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर सरकार ने घोषणा की थी कि एक हजार से ऊपर की आबादी वाले ग्राम मुख्य सड़क से जोड़ दिये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बैफरिया ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को वर्ष 2005 तक मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम के कुतुबापुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

32–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड बिलग्राम का लगभग 1400 की आबादी वाला ग्राम कुतुबापुर आजादी के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? क्या आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर सरकार ने घोषणा की थी कि एक हजार से अधिक की आबादी वाले ग्राम मुख्य सड़क से जोड़े जायेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कुतुबापुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को वर्ष 2005 तक मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम बसहर, कुतुलुपुर तथा ग्राम तरौली को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

33–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर सरकार ने घोषणा की थी कि एक हजार से ऊपर की आबादी वाले ग्राम मुख्य सड़क से जोड़े जायेंगे ? यदि हां, तो जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खंड बिलग्राम जो लगभग 1400 की आबादी वाला बसहर कुतुलुपुर ग्राम तथा लगभग 1800 आबादी वाला ग्राम–तरौली ग्राम को अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं, बसहर, कुतुलुपुर ग्राम पहले ही मुख्य सड़क से तथा ग्राम तरौली मुख्य मार्ग से खड़न्जा स्तर तक के मार्ग से जुड़ा है। एक हजार से अधिक आवादी वाले गांवों को सन् 2005 तक पक्के मार्ग से जोड़ने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

अशासकीय तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण तथा इनमें असमानता के कारण

34–श्री चेतराम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में किस तिथि तक के तदर्थ नियुक्त शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जा चुका है तथा इसके विपरीत शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में किस तिथि तक के तदर्थ नियुक्त शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जा चुका है ? क्या इनमें कोई असमानता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या सरकार इस असमानता को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 6-8-93 तक नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण हेतु आदेश दिये गये हैं तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 1-10-86 तक कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के आदेश हैं। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 21-11-95 के अन्तर्गत पर्वतीय संवर्ग में दिनांक 1-10-90 के पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त प्रवक्ता/एल०टी० ग्रेड के शिक्षकों के विनियमितीकरण के आदेश हैं।

जी हां। शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में उक्त तिथि के पश्चात से तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विभाग में रिसेप्सनिस्ट (स्वागती) के पद पर दिसम्बर, 1994 से पूर्व फिक्स/दैनिक वेतन में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का मामला

35–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्यटन विभाग में रिसेप्सनिस्ट (स्वागती) के पद पर दिसम्बर, 1994 से पूर्व कौन-कौन से कर्मचारी किस अवधि से फिक्स वेतन एवं दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं ? क्या शासन द्वारा इनको नियमित किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह सही है कि शासन द्वारा कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में पर्यटन विभाग को आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक उपरोक्त कर्मचारियों को विनियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम करेहका चौगवां को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

36–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर सरकार ने घोषणा की थी कि एक हजार से अधिक की आवादी वाले ग्राम मुख्य सड़क से जोड़े जायेंगे ? यदि हां, तो क्या जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खंड विलग्राम का लगभग 2600 की आबादी वाला ग्राम करेहका चौगवां आजादी के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त करेहका चौगवां ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

एक हजार से अधिक आवादी वाले ग्रामों को वर्ष 2005 तक मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मी नारायन इण्टर कालेज, मेजा, इलाहाबाद की प्रबन्ध समिति का अवैधानिक ढंग से चुनाव कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

37–श्री रामसेवक सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी सेवा समिति इलाहाबाद द्वारा संचालित श्री लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज मेजा, इलाहावाद की प्रवन्ध समिति का चुनाव संस्था के संविधान के अनुसार सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स इलाहाबाद द्वारा जारी सूची से कराये जाने के आदेश हैं ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक इलाहाबाद ने अवैधानिक तरीके से छः सदस्यों को उपरोक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति में चुनाव हेतु बढ़ा दिया है जिसकी रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्या जिला विद्यालय निरीक्षक इलाहाबाद के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

श्री लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज मेजा, इलाहाबाद की प्रवन्ध समिति का चुनाव अनुमोदित प्रशासन योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत कराये जाने का नियम है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी फैजाबाद द्वारा लेखा लिपिक के पद पर की गई नियुक्तियों की जांच की मांग

38–श्री लालजी वर्मा–

क्या पर्यटन मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, फैजावाद द्वारा दिनांक 27-7-1997 को लेखा लिपिक के पद पर कतिपय व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्ति के संवंध में तत्कालीन क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने अपने पत्रांक वी० आई० पी०/1018/एस०एन०ए०डी०/97 दिनांक 5-9-97 द्वारा श्री सन्तोष कुमार वर्मा के शिकायती-पत्र

की जांच कराये जाने का निर्देश आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । दिनांक 27-8-97 को कनिष्ठ लेखा लिपिक के एक पद पर नियुक्ति की गई है ।

जी हां ।

जी हां ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में वर्ष 1995 में समूह 'ग' में विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

39–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन वर्ष 1995 में तत्कालीन राज्य सम्पत्ति अधिकारी श्री चन्द्रमा प्रसाद व श्री रामकुमार प्रसाद उप सचिव द्वारा समूह 'ग' में विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियों में अपनायी गयी अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांचोपरान्त दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

राज्य सम्पत्ति विभाग में वर्ष 1995 में समूह 'ग' में विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर उच्च स्तरीय प्राथमिक जांच करायी गयी । प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये तत्कालीन राज्य सम्पत्ति अधिकारी श्री चन्द्रमा प्रसाद एवं तत्कालीन उप सचिव श्री राम कुमार प्रसाद के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही उनके प्रशासनिक विभागों यथा–नियुक्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग में मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पद पर सिंचाई विभाग से मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के अधिकारी की तैनाती का मामला

40–श्री रामपाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1999 से रिक्त मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पद पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–7256 वीएस–23–सा०नि०अनु–4–1982–133 वीएस/81, दिनांक 1-10-1982 के पैरा–4 के अनुसार मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

कार्यालय ज्ञाप संख्या–7256/23-सा०नि०–4-82-133 बीएस/81 दिनांक 1-10-82 के प्रस्तर–4 के अनुसार मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पद पर सिंचाई विभाग से मुख्य अभियन्ता–(स्तर–2) के अधिकारी की तैनाती करने का अनुरोध लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 17-4-99 एवं 10 जून, 1999 को भेजे गये अर्द्ध शासकीय पत्रों में किया जा चुका है ।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में अंशकालिक अध्यापकों को समायोजित करने संबंधी आदेश तथा डा० जयानन्द तिवारी को समायोजित न किये जाने की जानकारी

41--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में अंशकालिक अध्यापकों को समायोजित किये जाने हेतु कार्य परिषद के निर्णय दिनांक 20-4-93, कुलाधिपति द्वारा कुलपति जी को भेजा गया प्रपत्र दिनांक 31-1-94, कुल सचिव के आदेश दिनांक 25-3-91 और 13 जुलाई, 91 के आदेश के विपरीत विद्यापीठ में समाज कार्य विभाग में अंशकालिक अध्यापक पद पर कार्यरत डा० जयानन्द तिवारी, निवासी--वाराणसी को समायोजित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त को महामहिम राज्यपाल (चांसलर) द्वारा दिनांक 31-1-94 में समायोजित किये जाने हेतु कुलपति को निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या डा० तिवारी को समायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)---

जी हां ।

मा० कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत उक्त के विनियमितीकरण के मामले पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था ।

जी नहीं ।

न्यायमूर्ति ए०एस० श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित समिति ने डा० जयानन्द तिवारी की समायोजन हेतु अपात्र पाया । तदनुसार कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 20-1-96 में डा० जयानन्द तिवारी के समायोजन संबंधी प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया ।

नैनीताल, कलकत्ता, लखनऊ, नई दिल्ली में मा० विधायकों, सांसदों एवं मा० मंत्रियों के ठहरने के लिए राज्य सम्पत्ति विभाग के निर्मित अतिथि गृहों के रूमों का किराया

42--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल, कलकत्ता, लखनऊ, नई दिल्ली तथा अन्य कहां-कहां विधायकों, सांसदों एवं पूर्व विधायकों एवं मंत्रियों के ठहरने हेतु राज्य सरकार के आवास निर्मित हैं ? उक्त आवासों में ठहरने हेतु मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं उनके परिवार जनों तथा पूर्व विधायकों को किस दर से किराया देय है ?

श्री कल्याण सिंह--

लखनऊ, नैनीताल, नई दिल्ली एवं कलकत्ता में मा० विधायकों, सांसदों एवं पूर्व विधायकों तथा मंत्रियों के ठहरने हेतु राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के अतिथि गृह निर्मित हैं । उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर राज्य सम्पत्ति विभाग के अतिथि गृह निर्मित नहीं हैं ?

मा० मंत्रियों को निःशुल्क ठहरने की सुविधा है । मा० सांसदों, विधायकों से प्रथम सात दिन तक नान ए/सी सिंगल रूम सूट का किरांया रु० 20/- डबल रूम सूट का किराया रु० 25/--तथा ए/सी सिंगल रूम सूट का किराया रु० 25/--डबल रूम सूट का किराया रु० 30/--एवं काटेज का किराया रु० 50/- प्रतिदिन की दर से देय होगा । उसके बाद ठहरने पर 10वें दिन तक दुगनी दर से किराया देय होगा । यदि 10 दिन के बाद भी कोई महानुभाव ठहरते हैं तो उनसे अन्य व्यक्तियों की श्रेणी के लिए निर्धारित किराया नान ए/सी सिंगल रूम सूट का किराया 300/--डबल रूम सूट का किराया रु० 450/--तथा ए/सी सिंगल रूम सूट का किराया रु० 450/--डबल रूम सूट का किराया रु० 600/--प्रतिदिन की दर से देय होगा । उक्त महानुभावों के साथ उनके आश्रित पुत्र/पुत्रों/पुत्री/पुत्रियों के प्रवास करने पर उन्हें उपलब्धता

के आधार पर एक अतिरिक्त कक्ष उसी किराये पर (सामान्य दर पर) दिया जा सकता है । जिन मा० सांसदों/विधायकों को शासकीय आवास आवंटित है वे अतिथि गृह में ठहरने के लिए पात्र नहीं होंगे । यदि उनके अनुरोध पर उन्हें कक्ष उपलब्ध कराया जाता है तो उन्हें अन्य व्यक्तियों हेतु निर्धारित दर पर किराया देय होगा ।

पूर्व विधायकों के लिए नान ए/सी सिंगिल रूम सूट का किराया रु० 50/–डबल रूम सूट का किराया 60/–तथा ए०सी० सिंगल रूम सूट का किराया रु० 60/–डबल रूम सूट का किराया 75/- प्रतिदिन की दर से देय होगा ।

नैनीताल स्थित अतिथि गृहों में सीजन के दौरान (15 अप्रैल से 15 जुलाई तक) दुगुनी दर से किराया देय होगा ।

वाराणसी की सड़कों के निर्माण/विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि तथा कार्यों का भौतिक सत्यापन कर अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की मांग

43–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 26 मई, 1993 से 3 मई, 1996 तक की अवधि में वाराणसी की सड़कों के निर्माण हेतु अनुदान एवं विशेष अनुदान के रूप में सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग को कितने रुपये दिये गये और उससे कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य कब पूरा किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कार्य हेतु विभाग को दिये गये धनराशि का सही उपयोग न करके हेरा-फेरी की गयी ? क्या सरकार उक्त कार्यों का स्थलीय सत्यापन करायेगी और अनियमितता के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

शासनादेश संख्या–643/23-1-318सी/95 दिनांक 5-2-96 द्वारा वाराणसी के शहरी मार्गों की विशेष मरम्मत हेतु रु० 245 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त धनराशि से निर्मित कराये गये मार्गों का विवरण संलग्न है ।

जांच कराई जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 154–155 पर ।]

44–श्री रामपाल वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद बहराइच एवं श्रावस्ती के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेषों तथा बोनस आदि के भुगतान में विलम्ब का कारण

45–डा० वकार अहमद शाह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 4थे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या–165 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष का बजट मार्च, 99 को पारित होने एवं समस्त अनुमोदित बजट धनराशियां 30 अप्रैल, 99 को जारी होने के उपरान्त प्रश्नगत देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अब यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ? इसके कालातीत होने पर उत्तरदायी कौन होगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण ।

अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराकर भुगतान यथाशीघ्र कराया जायेगा ।

धनाभाव ।

कालातीत होने का प्रश्न नहीं उठता ।

बी०टी०सी० वेतनमान में कार्यरत शिक्षिकाओं को एल०टी० वेतनमान में संविलीन/प्रोन्नत करने के प्रस्ताव का शासनादेश निर्गत करने में विलम्ब के कारणों की जानकारी

46–डा० वकार अहमद शाह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले मंगल को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–13 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश निर्गत किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासनादेश कब तक निर्गत किया जायेगा ? इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रश्नगत प्रकरण अभी विचाराधीन है ।

माध्यमिक विद्यालयों के एल०टी० शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान एवं प्रवक्ता के चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का संशोधन तथा निहित शर्तों की जानकारी

47–डा० वकार अहमद शाह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 5वें मंगल हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–52 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में वित्त विभाग के शासनादेश दि० 10-7-98 एवं दि० 7-10-98 में राजकीय शिक्षकों के लिए निहित शर्तें क्या हैं ? क्या ये शर्तें पूर्ववत् हैं ? यदि हां, तो इस संशोधन का औचित्य क्या है ?

डा० नैपाल सिंह–

राजाज्ञा सं० वे० आ०–2-1007/10-17 (जी०)–98 दिनांक 10-7-98 एवं राजाज्ञा सं० वे० आ०–2–1282/10-17–(जी०)–98 दिनांक 7-10-98 में कोई शर्तें नहीं दी गयी हैं । अपितु 10-7-98 को पुनरीक्षित वेतनमान को राजाज्ञा दिनांक 7-10-98 द्वारा पुनः संशोधित किया गया है ।

शासनादेश सं० वे० आ०–2–1007/10-17 (जी) 98 दिनांक 10-7-98 एवं शासनादेश सं० वे०आ०–2-1282/10-17 (जी०)98 दिनांक 7-10-98 की प्रति संलग्न है । राजाज्ञा दिनांक 10-7-98 की अपेक्षा राजाज्ञा दिनांक 7-10-98 द्वारा शिक्षकों की आवश्यकता एवं अपेक्षा के अनुसार उच्च वेतनमान स्वीकृत किया जाना ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 156–160 पर ।)

जनपद बहराइच के राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय की शिक्षिकाओं को पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष का भुगतान

48–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय की शिक्षिकाओं को पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

बिल कोषागार में लगा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोषागार से चेक प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

49–श्री संजय गर्ग–

[2सरे सोम० में अता० प्र० संख्या–1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पी०सी०एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

50–डा० रामबाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने पी० सी० एस० अधिकारी जनपद आगरा में 5 वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर चुके हैं ? क्या सरकार इन अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद आगरा में तैनात किसी भी पी०सी०एस० अधिकारी का कार्यकाल लगातार 5 वर्ष से अधिक नहीं हैं परन्तु पूर्व तैनातियों को सम्मिलित करने पर तीन अधिकाारियों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक है ।

फिलहाल अभी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्हें जनहित में तैनात रखा गया है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम दिवाली पुरवा, ग्राम क्रोइलरा, ग्राम हर्रैया करादपुर को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

51–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर सरकार ने घोषणा की थी कि एक हजार से ऊपर की आबादी वाले ग्राम मुख्य सड़क से जोड़े जायेंगे ? यदि हां, तो क्या जनपद हरदोई में 91–मल्लांवा निर्वाचन क्षेत्र के विकास खंड बिलग्राम का लगभग 1800 की आबादी वाला ग्राम दिवाली पुरवा, 1500 आबादी वाला ग्राम क्रोइलरा तथा विकास खण्ड मल्लावां का

1500 आवादी वाला ग्राम हर्रैया करादपुर आजादी के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़े गये हैं ? क्या सरकार उक्त ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

एक हजार से अधिक आवादी के ग्रामों को मुख्य मार्गों से वर्ष 2005 तक जोड़ने की योजना है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में लोक निर्माण विभाग में श्रेणी 1, 2 व 3 में 8 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण

52–डा० राम बाबू हरित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग के कितने श्रेणी–2 व 3 के अधिकारी/कर्मचारी जनपद आगरा में विगत 8 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार इन अधिकारियों/कर्मचारियों को आगरा से अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद आगरा में श्रेणी–2 के 1 अधिकारी तथा श्रेणी–3 के कुल 131 कर्मचारी, जिनमें 21 तकनीकी तथा 110 गैर तकनीकी अर्थात लिपिक वर्गीय कर्मचारी सम्मिलित है, विगत 8 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ।

जी नहीं । क्योंकि शासनादेश संख्या–1/3/96–का०–4-1999, दिनांक 8-4-99 द्वारा जारी की गयी स्थानान्तरण नीति के अनुसार वर्तमान स्थानान्तरण सत्र शून्य माना गया है और सामान्यतया निर्धारित नीति के अनुसार लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद के बाहर नहीं किया जाता है ।

53–श्री अम्बरीष कुमार–

[2रे सोमवार में अता० प्र० सं०–44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बागपत में बड़ौत छपरौली सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायतों पर जांच तथा दोषीजनों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

54–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में बड़ौत छपरौली सड़क बनवाने में अनियमितता की शिकायतों पर कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाए गये और दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

निर्माण कार्य से संबंधित निम्नलिखित अधिक़ारी/कर्मचारी प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये :–

1–श्री एच०एम० शर्मा, तत्कालीन अधि० अभियन्ता ।

2–श्री के०के० बंसल, सहायक अभियन्ता ।

3–श्री राम प्रकाश, सहायक अभियन्ता ।

4–श्री पी० आर० शर्मा, अवर अभियन्ता ।

कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

55–श्री रंग बहादुर पटेल

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लोक सेवा आयोग में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक श्री राजेन्द्र नाथ सरकार द्वारा अवकाश ग्रहण का दिनांक, उनके विरुद्ध की जा रही विभागीय जांच तथा पेंशन भुगतान की जानकारी

56–श्री राम सेवक सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक श्री राजेन्द्र नाथ सरकार ने किस वर्ष अवकाश ग्रहण किया ? क्या वर्तमान में श्री सरकार के विरुद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह जांच किस संदर्भ में अपेक्षित है ? क्या श्री सरकार को नियमित पेंशन का भुगतान अवकाशोपरान्त किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री क़ल्याण सिंह–

श्री राजेन्द्र नाथ सरकार ने दिनांक 31 जुलाई, 1996 को अधिवर्षता आयु के उपरान्त अवकाश ग्रहण किया ।

जी हां ।

सिंचाई विभाग के एक चयन से संबंधित पत्रावली के अभिलेखागार से गुम हो जाने के कारण उक्त जांच संस्थित की गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हंडिया पालीटेक्निक, हंडिया, इलाहाबाद में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक श्री राम नरेश की सेवा समाप्ति का प्रकरण

57–श्री राम सेवक सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हंडिया पालीटेक्निक, हंडिया, इलाहाबाद में श्री रामनरेश कनिष्ठ लिपिक के पद पर अस्थाई रूप से वर्ष 1995-96 के दौरान परिवीक्षा अवधि में कार्यरत थे ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति कब और किसके आदेश पर की गयी थी ? क्या उक्त कर्मचारी अब कार्यरत है ? यदि नहीं, तो उसकी सेवा कब और किसके आदेश से समाप्त की गयी ? क्या उक्त कर्मचारी को कार्यकाल के पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा संस्था के पत्र दिनांक 7-7-94 से दैनिक वेतनभोगी के लिये अनुमन्य रु० 40/–की दर से श्री राम नरेश की नियुक्ति की गई तथा कालान्तर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 18-5-95 से बिना चयन प्रक्रिया के अनियमित रूप से एक वर्ष के परिवीक्षा अवधि के लिये नियुक्ति की गयी ।

जी नहीं । श्री राम नरेश की अनियमित नियुक्ति निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के संज्ञान में आने पर निदेशक के निर्देश के अनुपालन में श्री राम नरेश को दिनांक 3-4-96 से हटा दिया गया । श्री राम नरेश को दिनांक 7-7-94 से 31-10-95 तक की ही अवधि का भुगतान किया गया है । शेष अवधि 1-11-95 से 2-4-96 तक की अवधि का भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि नियुक्ति अनियमित थी ।

श्री राम नरेश ने सेवा समाप्ति के विरुद्ध एवं वेतन भुगतान के लिए मा० उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जो विचाराधीन है ।

जनपद गोरखपुर बड़हलगंज, में राष्ट्रीय राज मार्ग पर रोडवेज विभाग द्वारा अवैधानिक रूप से विश्रामालय का निर्माण

58–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय राज मार्ग (गाजीपुर) की लम्बाई कितनी है तथा उसके दोनों तरफ़ कितनी दूरी तक निर्माण नहीं हो सका है ? क्या उक्त खाली प्रतिबन्धित भूमि के अन्तर्गत रोडवेज विभाग द्वारा अवैधानिक निर्माण विश्रामालय के नाम पर कराया जा रहा है जिससे आम लोगों का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है ? क्या सरकार इसे तत्काल रोकने का आदेश देते हुए अवैध निर्माण कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 2.5 कि०मी० है । मार्ग की मध्य रेखा से 110 फीट दोनों ओर स्थायी भूमि पर कोई अवैधानिक निर्माण नहीं किया जा सकता है । जी नहीं । जिलाधिकारी, गोरखपुर की अनुमति से विश्रामालय शेड का निर्माण हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समूह 'क' तथा उससे नीचे के राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर निलम्बन प्रक्रिया में दोहरे मापदण्ड का औचित्य

59–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि समूह 'क' तथा उससे नीचे के राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एंवं कर्मचारियों को उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभाग द्वारा कराई गयी प्राथमिक जांच के बाद निलम्बन की कार्यवाही कर दी जाती है ? क्या आई०ए०एस० अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्टीकरण मांगा जाता है ? यदि हां, तो निलम्बन की प्रक्रिया में दोहरे मापदण्ड का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस प्रकार के दोहरे मापदण्ड को समाप्त करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रारम्भिक जांच या अन्यथा शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाये जाने और उनके गंभीर होने की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गुण-दोष के आधार पर राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचरियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बन की कार्यवाही की जातीं है ।

आई०ए०एस० अधिकारिंयों के विरुद्ध सतर्कता जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्पष्टीकरण मांगे/न मांगे जाने की अनिवार्यता नहीं है तथापि आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

60–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री हरदेव सिंह, श्री कोबिद कुमार तथा श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय महिला महाविद्यालय रामपुर की प्राचार्या श्रीमती साईदा बेगम के जून, 96 के रोके गये वेतन का भुगतान

61–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय , रामपुर द्वारा श्रीमती साईदा बेगम, प्रवक्ता, उर्दू का माह जून, 1996 का वेतन बिना किसी कारण के अनियमित रूप से रोक दिया था, जिसकी शिकायतें तत्कालीन सचिव, उच्च शिक्षा और निदेशक उच्च शिक्षा से की गयी थीं ? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

श्रीमती साईदा बेगम को माह जून, 96 का वेतन प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, रामपुर द्वारा भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय महिला महाविद्यालय रामपुर की वर्तमान प्राचार्या द्वारा चार स्टाफ क्वाटर्स की बाउन्ड्री तोड़कर स्वयं प्रयोग किये जाने की जांच तथा दण्डित करने की मांग

62–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, रामपुर द्वारा चार स्टाफ क्वाटर्स प्रवक्ताओं के आवास हेतु निर्मित कराये गये थे ? क्या यह सही है कि वर्तमान प्राचार्या द्वारा उन चारों क्वाटर्स की बाउन्ड्री तुड़वाकर उन आवासों को स्वयं प्रयोग में लाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस अवैध कार्य हेतु वर्तमान प्राचार्या को सरकार जांचोपरान्त दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

प्रकरण पर जांच के आदेश कर दिये गये हैं ।

जांचोपरान्त ही कार्यवाही किया जाना सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती लुम्बिनी मार्ग पर बढ़ते यातायात एवं दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए चौड़ा करने हेतु धन आवंटन की मांग

63–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री जनपद बस्ती लुम्बिनी मार्ग पर बढ़ते यातायात एवं दुर्घटना को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र उसे चौड़ा करने के लिए धन का आवंटन करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद बस्ती एवं सिद्धार्थनगर में पड़ने वाला लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग को चौड़ा किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उ० प्र०, लखनऊ के पत्र सं०–6154 सी/27सी/चौड़ीकरण/98,दिनांक 22–6–99 द्वारा रु० 184.54 लाख का आवंटन किया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

64–श्री समर पाल सिंह–

[1ले बुधवार में अता० प्र० सं०–189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र हरगांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ब्लाक स्थानान्तरण समिति नीति के अन्तर्गत श्री रामलाल प्र० अ० के स्थानान्तरण आदेश का निरस्तीकरण तथा ब्लाक कसमण्डा के श्री राजकुमार शुक्ल के पदास्थापित करने का प्रकरण

65–श्री रमेश राही–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र हरगांव के पूर्व मा० विद्यालय हरगांव में शासनादेश सं०–3249–3583/98-98, दि० 19-5-98 के अनुसार ब्लाक स्थानान्तरण समिति द्वारा प्रस्तावित श्री राम लाल, प्र० अ० के स्थानान्तरण को माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के आदेश सं०–3930 (एस०एस०) 98 के बावजूद बिना किसी कारण के निरस्त करके बिना जिला स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन के ही ब्लाक कसमण्डा के श्री राजकुमार शुक्ल को अवैधानिक रूप से पदास्थापित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वर्ष 1997 में आयोजित परीक्षा का परीक्षाफल लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित करने के उपरान्त नियुक्ति न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण

66–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य अभियंत्रण सेवा, 1997 से संबंधित लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के विज्ञापन सं०–ए–4/ई–/97-98 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा सहा० अभि०, सिविल एवं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल (सिंचाई विभाग) सामान्य/विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गयी थी ? क्या उक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम आयोग द्वारा दिनांक 5 मई, 1998 को घोषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या एक वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी नियुक्ति संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिये गये हैं । लोक निर्माण विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जा रही हैं, जिनके प्राप्त होते ही उनके द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिये जायेंगे । सिंचाई विभाग में नियुक्ति संबंधी कतिपय औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के उपरान्त संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन हो जाने तथा कतिपय खण्डों के पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों में कमी हो जाने अथवा उन्हें सरप्लस घोषित कर दिये जाने के कारण रिक्तियों का आंकलन किया जा रहा है । रिक्तियों का पुनः आकलन करने के उपरान्त नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

67–श्री महेन्द्र कुमार सिंह तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सिद्धार्थनगर में बूढी राप्ती नदी पर स्थित ककरही पुल निर्माण की लागत तथा टोल टैक्स से वसूली

68–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थ नगर में बूढ़ी राप्ती नदी पर स्थित ककरही सेतु का किस वर्ष में कितनी लागत से निर्माण हुआ था ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 31-5-99 तक कुल कितनी धनराशि टोल टैक्स के रूप में वसूल की गयी ? क्या उक्त धनराशि से पुल की लागत पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त पुल पर से टोल टैक्स समाप्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत सेतु का निर्माण वर्ष 1959 में हुआ था जिसकी निर्माण लागत रु० 9.00 लाख थी ।

दिनांक 31-5-99 तक टोल टैक्स के रूप में रु० 87,23,964.00 मात्र की कुल वसूली की गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि नियमानुसार न तो सेतु के निर्माण की कुल लागत जिसमें व्याज, व्यवस्थापन व्यय व अनुरक्षण व्यय आदि सम्मिलित है की पूर्ण वसूली हो पायी है और न ही पथकर वसूली के दिनांक से 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं ।

आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ के वाराणसी निवासी छंटनीशुदा अधिकारी श्री अमल कुमार गांगुली के समायोजन का प्रकरण

69–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ के वाराणसी निवासी छटनीशुदा अधिकारी के समायोजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश, याचिका

संख्या–34296/95 एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 3-6-96 के पत्र संख्या–2120/18-4-95 (ए०टी०एल०) का अनुपालन न किये जाने का क्या कारण है ? मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों का सम्मान करते हुए उक्त अधिकारी को कब तक न्याय प्रदान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ के वाराणसी निवासी छंटनीशुदा अधिकारी श्री अमल कुमार गांगुली द्वारा दायर रिट याचिका सं० 34296/95 में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पारित आदेश/निर्णय दिनांक 29-11-95 द्वारा श्री गांगुली के आवेदन-पत्र को तीन महीने के अन्दर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये थे । जिस पर सम्यक विचारोपरान्त मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप –2695/18-4-96 दिनांक 22-7-96 द्वारा निस्तारित करते हुए प्रत्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया तथा तद्नुसार श्री गांगुली को उनको स्थायी पते पर सूचित कर दिया गया है । श्री गांगुली द्वारा पर्यटन विभाग उ० प्र० में रु० 850-1660 (प्री-रिवाइंड) वेतनमान में समायोजन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसको आवेदित पद के सृजित न होने के आधार पर श्री गांगुली को समायोजित कराना संभव न था । पर्यटन निदेशालय में श्री गांगुली द्वारा लेखा परीक्षक पद हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके संदर्भ में उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया गया किन्तु श्री गांगुली द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित न होने के कारण उसकी उपयुक्तता न आंकी जा सकी, जिसके कारण उनका समायोजन नहीं किया जा सका ।

पर्यटन विभाग में दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने का प्रकरण

70–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन पर रखे गये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने लोगों को तथा कितने वर्षों से दैनिक वेतन पर रखा गया है ? क्या सरकार इन्हें नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विभाग ने दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित न करके विगत वर्ष बाहर से चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां की हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वर्ष 1987 में दो, वर्ष 1989 में दो तथा वर्ष 1994 में एक अर्थात कुल पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन पर रखे गये हैं ।

दैनिक वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की नियमावली प्रख्यापित हो जाने एवं माननीय उच्च न्यायालय में उक्त दैनिक वेतन कर्मचारियों द्वारा दायर मुकदमों में मा० न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार यथासमय विचार किया जायेगा ।

दैनिक वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की नियमावली प्रख्यापित नहीं है । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाते हुए चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति की गई है ।

जनपद बस्ती में प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षण की समुचित व्यवस्था हेतु अध्यापकों की भर्ती

71–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में प्राइमरी पाठशालाओं में कुल कितने प्राइमरी अध्यापकों की आवश्यकता है जिससे शिक्षण कार्य समुचित रूप से हो सके ? इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वालेश्वर त्यागी–

1:40 के अनुपात में कुल 5769 अध्यापकों की आवश्यकता है ।

जी हां ।

प्रदेश में वी० एड०/एल० टी० आदि प्रशिक्षित अर्हता के अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया है । विशिष्ट वी० टी० सी० प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष्य तैनात किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र योजनान्तर्गत अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को बनाये रखने हेतु शिक्षा मित्रों की संविदा पर सेवायें प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग की राजकीय कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास आवंटन में अनियमितता

72–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की राजकीय कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ में ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी के आवंटी हैं जिन्हें तृतीय श्रेणी कर्मचारियों हेतु निर्धारित आवास आवंटित हैं ? क्या ऐसे आवंटन शासन की नीति के अन्तर्गत नियमानुसार किये गये हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियम विरुद्ध आवंटन को सरकार निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मात्र दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त कालोनी में आवास आवंटित है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73–श्री राम सेवक सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ के गेट की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

74–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय ऐशवाग, लखनऊ के गेट (पुराना व नया गेट) पर कुछ माफियाओं द्वारा प्रेस की जमीन पर कब्जा कर अनधिकृत मकान व भूसे की दुकानें खोल ली गयी हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अनाधिकृत कब्जे को हटवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशवाग, लखनऊ के गेट (पुराना व नया गेट) के बाहर अनधिकृत रूप से कब्जा की गयी जमीन मुद्रणालय की नहीं है ।

राजकीय इण्टर कालेज कोटद्वार (सुखरी) गढ़वाल में एल० टी० ग्रेड में संस्कृत अध्यापक की नियुक्ति का प्रकरण

75–श्री मुन्ना चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज कोटद्वार (सुखरी) गढ़वाल में एल०टी०ग्रेड में दिनांक 30-6-98 को संस्कृत विषय में सहायक अध्यापक का स्थान रिक्त हो गया है ? क्या इस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा संस्कृत विषय के सहायक अध्यापक की व्यवस्था करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल पौड़ी की दिनांक 25-11-98 तथा दि० 15-3-99 को पत्र दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? संस्कृत विषय के अध्यापक की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

पद कला विषय का रिक्त होने से संस्कृत विषय के अध्यापक की पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालय की मांग एवं नये पद के सृजन हेतु प्रस्ताव प्राप्त एवं स्वीकृत होने पर संस्कृत विषय हेतु अध्यापक की व्यवस्था हो सकती है ।

गढ़वाल मण्डल पौड़ी में एल० टी० ग्रेड (बायोलोजी) विषय के अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

76–श्री मुन्ना चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल मण्डल पौड़ी में एल०टी० ग्रेड में (बायोलोजी) विषय के कुल कितने पद रिक्त हैं और कितने आवेदकों द्वारा नियुक्ति के लिये आवेदन किया गया था ? इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी की जायेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रश्नगत कुल 55 रिक्त पदों के समक्ष 522 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । समस्त रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत किये जा चुके हैं ।

लैंसडौन वन प्रभाग में दिनांक 1-10-98 से 31-3-99 तक डी० एफ० ओ० द्वारा नाप भूमि से इमारती तथा कोकाट (गैर इमारती) के पेड़ों का पातन तथा प्राप्त धनराशि की जानकारी

77–श्री मुन्ना चौहान–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लैंसडौन वन प्रभाग में 1-10-98 से 31-3-99 तक डी०एफ०ओ० लैंसडौन वन प्रभाग द्वारा कितने इमारती तथा कोकाट (गैर इमारती) के पेड़ों को (नामखेत से) काटने की अनुमति दी गई थी ? उक्त से सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? क्या यह सत्य है कि उप जिलाधिकारी, कोटद्वार दि० 20-4-99 को डी०एफ०ओ० लैंसडौन के विरुद्ध शासन को एक पत्र जिलाधिकारी, पौड़ी के माध्यम से भेजा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

लैंसडौन वन प्रभाग के अन्तर्गत दिनांक 1-10-98 से 31-3-99 तक डी० एफ० ओ० लैंसडौन वन प्रभाग द्वारा नापभूमि से इमारती तथा कोकाट (गैर इमारती) के क्रमशः 245 तथा 21 पेड़ों कुल 266 पेड़ों के पातन की अनुमति दी गई ।

कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई ।

उप जिलाधिकारी, कोटद्वार का पत्र दिनांक 20-4-99 शासन में प्राप्त नहीं हुआ ।

जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का एक पत्र दिनांक 10-5-99 वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उ० प्र० को प्राप्त हुआ, जिसमें उप जिलाधिकारी, कोटद्वार द्वारा लकड़ी से भरे हुए ट्रक संख्या–यू० पी०–06-4550 के पकड़ने के परिप्रेक्ष्य में अवैध कटान व निकासी की अनुमति के संबंध में वन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखा गया है । इस केस में संबंधित वनरक्षक तथा वन विद को वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त द्वारा निलम्बित कर दिया गयों है तथा निकासी मोहर्रिर व गेटकीपर को संबंधित बैरियर से हटा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लैंसडौन वन प्रभाग में माह अप्रैल, 1999 से 31 मई, 1999 तक की अवधि में आग लगने से हुयी हानि और आग बुझाने में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

78–श्री मुन्ना चौहान–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लैंसडौन वन प्रभाग में माह अप्रैल, 1999 से 31 मई 1999 तक आग लगने से इस प्रभाग को कुल कितनी हानि हुई ? आग बुझाने के लिए किस तिथि से किस-किस बीट में कितने लोगों को रखा गया ? इन्हें क्या मजदूरी दी गयी ? आग से इस डिवीजन का कितना भाग प्रभावित हुआ ? उस पर कितनी धनराशि बुझाने में खर्च की गयी ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

लैन्सडौन वन प्रभाग में माह अप्रैल, 1999 से 31 मई, 1999 की अवधि में अग्नि की कुल 78 घटनायें हुयी, जिसमें 423.00 हे० क्षेत्र प्रभावित हुआ तथा रुपये 1,00.679.00 की हानि हुई ।

लैन्सडौन वन प्रभाग में 43 बीटों में 2 श्रमिक प्रति बीट की दर से कुल 86 अग्नि रक्षकों को 16 मार्च से 15 जून, 1999 तक रखा गया तथा जिला प्रशासन द्वारा 8 मई, 1999 से 40 होमगार्डों की तैनाती आग बुझाने के लिये लैन्सडौन वन प्रभाग में की गयी ।

प्रत्येक अग्नि श्रमिक को रुपये 1275.00 प्रतिमाह की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया तथा प्रत्येक होमगार्ड को रुपये 50.00 प्रतिदिन की दर से रखा गया ।

लैन्सडौन वन प्रभाग का कुल 423 हे० क्षेत्र माह अप्रैल, 1999 से 31 मई, 1999 तक आग से प्रभावित हुआ ।

लैन्सडौन वन प्रभाग में वर्ष 1999 अग्निकाल में (15 मार्च से 15 जून तक) कुल 5,66,950.00 की धनराशि व्यय की गयी, जिसमें अग्नि रक्षक तथा होमगार्ड का पारिश्रमिक व अन्य सुसंगत व्यय सम्मिलित है ।

राजकीय इण्टर कालेज कोटद्वार (सुखरी) गढ़वाल में एल० टी० ग्रेड में कार्यरत अध्यापक तथा वाणिज्य अध्यापकों की व्यवस्था हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

79–श्री मुन्ना चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रा०इं० कालेज कोटद्वार (सुखरौ) गढ़वाल में एल० टी० ग्रेड में कला विषय में पांच अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या संस्कृत तथा वाणिज्य विषय में इस विद्यालय में एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापकों की व्यवस्था करने के संबंध में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दि० 25-11-98 तथा 15-3-99 को पत्र द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मंडल, पौड़ी को अवगत कराया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं । कला विषय का मात्र एक एल०टी० ग्रेड शिक्षक कार्यरत है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के पत्र के अनुसार अंशकालिक शिक्षकों के समायोजन का प्रकरण

80–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के अर्धशासकीय पत्रांक–योजना 1782/92-93 दिनांक 14 सितम्बर, 1992 के द्वारा अंशकालिक (प्रवक्ता/प्रशिक्षित स्नातक) शिक्षकों को समायोजन हेतु सूची बनायी गयी थी ? यदि हां, तो कितने अंशकालिक शिक्षकों को उक्त सूची के अनुसार समायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक का प्रश्नगत पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 1992 का है ।

जी नहीं ।

पदों की अनुपलब्धता तथा अनर्ह होने के कारण समायोजित करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)उत्तराखण्ड के पत्र के अनुसार उप शिक्षा निदेशक, कुमाऊं द्वारा अंशकालिक शिक्षकों की सूची में अंकित श्रीमती विनीता विष्ट की नियुक्ति का प्रकरण

81–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अपर शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तराखण्ड के अ०शा० पत्रांक नियुक्ति/ प्रवक्ता/ योजना/3933–46 दिनांक 13-3-95 के द्वारा उप शिक्षा निदेशक, कुमाऊं से अंशकालिक शिक्षकों से संलग्न प्रारूप पर विवरण मांगा था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उप शिक्षा निदेशक, कुमाऊं ने अपने पत्र सं०–प्रबंन्ध–1/2266/पांच–1/95-96 दिनांक 24-4-95 के अनुसार अंशकालिक शिक्षकों के नाम अपर शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तराखण्ड को भेजे गये थे ? क्या उक्त सूची में अंशकालिक स्वयं सेवी शिक्षक (प्रवक्ता इतिहास) श्रीमती विनीता विष्ट का नाम भी अंकित है ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

पद की उपलब्धता न होने के कारण नियुक्ति नहीं प्रदान की गयी है ।

रामचन्द्र शर्मा बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरादाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा सत्र 1997-98 के छात्रों से की गयी अवैध वसूली की जांच तथा कार्यवाही की मांग

82–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रामचन्द्र शर्मा बालिका उ० मा० विद्यालय मुरादाबाद के प्रधानाचार्य ने 1997-98 के सत्र में छात्राओं से प्रगति पत्रिका, परिचय-पत्र एवं बैज आदि के नाम पर

14614 रु० अनियमित रूप से वसूल किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी प्रधानाचार्या के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद मण्डल में गत तीन सत्रों से अशासकीय इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल बालक/बालिका कालेज तथा वित्त विहीन, पूर्ण वित्त पोषित एवं आंशिक रूप से वित्त पोषित विद्यालयों का विवरण

83–श्री. सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद मण्डल में गत तीन शिक्षा सत्रों से कुल कितने अशासकीय इण्टरमीडिएट बालक कालेज, बालिका इण्टरमीडिएट कालेज, बालकों के हाई स्कूल तथा बालिकाओं के हाई स्कूल संचालित थे तथा उनमें से कितने विद्यालय वित्त विहीन, पूर्ण वित्त पोषित एवं आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

मुरादाबाद मण्डल के अधीनस्थ जनपद मुरादाबाद, रामपुर, विजनौर, ज्योतिबाफूलेनगर में गत तीन सत्रों में इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल की स्थिति निम्नवत् है :–

शिक्षा सत्र	अशासकीय इण्टरमीडिएट			अशासकीय हाईस्कूल		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1996-97	119	36	155	94	17	111
1997-98	129	38	167	119	19	138
1998-99	146	42	188	147	27	174

प्रश्नगत विवरण निम्नवत् है :–

शिक्षा सत्र	वित्त विहीन इण्टरमीडिएट विद्यालयों की स्थिति		पूर्ण वित्त पोषित विद्यालयों की स्थिति		आंशिक रूप से वित्त पोषित विद्यालयों की स्थिति	
	इण्टर बा०	हाईस्कूल बालि०	इण्टर बा०	हाईस्कूल बालि०	इण्टर बा०	हाईस्कूल बालि०
1996–97	04	03	39	09	99	26	55	08	16	07	—	—
1997-98	10	04	64	11	99	26	55	08	20	08	—	—
1998-99	18	08	92	19	99	26	55	08	29	08	—	—

84–श्री समर पाल सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

महन्त लाल दास इण्टर कालेज देवगांव फैजाबाद में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन से बीमा की कटौती बीमा कम्पनी को न भेजे जाने के कारण

85–श्री कैलाश सिंह राजपूत–

क्या सरकार को जानकारी है कि महन्त लाल दास इण्टर कालेज देवगांव फैजाबाद में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन से वीमा की धनराशि प्रतिमाह उनके वेतन से काटी जाती है परन्तु उक्त धनराशि वीमा कम्पनी को नहीं भेजी जाती है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और उसके विरुद्ध अव तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार वेतन से काटी गयी बीमा की धनराशि प्रतिमाह नियमित रूप में बीमा कम्पनी को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

नियमित रूप से भेजी जाती है, परन्तु गत दस माह से बैंक द्वारा चेकों पर कमीशन काटे जाने के कारण नहीं भेजी गयी ।

प्रबन्धक ।

वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा–4 के अन्तर्गत विद्यालय के प्रबन्धक को नोटिस निर्गत की गयी ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में शिक्षा सत्र 1998-99 में जूनियर हाईस्कूल/बोर्ड परीक्षा शुल्क हेतु संस्थागत/व्यक्तिगत प्रति छात्र से वसूली गयी धनराशि तथा उसकी वापसी की मांग

86–श्री कैलाश सिंह राजपूत–

क्या सरकार कृपया वतायेगी कि जनपद वाराबंकी में शिक्षा सत्र 1998-99 में जूनियर हाई स्कूल फाइनल परीक्षा हेतु बोर्ड परीक्षा शुल्क के रूप में संस्थागत/व्यक्तिगत छात्र से प्रति छात्र क्रमशः रु० 18.00 एवं रु० 22.00 विद्यालय में जमा करके उसे बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के पी० एल० ए० एकाउण्ट में जमा कराया गया है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि पी० एल० ए० एकाउन्ट्स में जमा की गयी है ? क्या सरकार उक्त धनराशि की वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

रु० 1,69,220.00 पी० एल० ए० में जमा की गयी ।

जी हां । रु०–32,000/- व्यय धनराशि छोड़कर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में अस्सी घाट से राजघाट तक के घाटों के सौन्दर्यीकरण हेतु बनी योजना तथा उसके क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत धन तथा एजेन्सी की जानकारी

87–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या पर्यटन मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में अस्सी घाट से राजघाट तक के घाटों के सौंदर्यीकरण, पैदल पथ निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु कोई योजना वनाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त

योजना हेतु कितना धन स्वीकृत एवं अवमुक्त किया गया है ? उक्त कार्यों को किस एजेन्सी द्वारा कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, अस्सीघाट से राजघाट के मध्य घाटों के सुदृढ़ीकरण तथा प्रकाश व्यवस्था की योजना है ।

घाटों के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल रु० 106.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी एवं आगणन में संशोधनोपरान्त कुल रु० 80.79 लाख अवमुक्त की गयी है तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु रु० 80.66 लाख का आगणन स्वीकृत करते हुए रु० 66.94 लाख अवमुक्त किया गया है ।

उक्त कार्यों को उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के सिविल एवं विद्युत इकाइयों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है तथा वर्ष 99-2000 में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

जनपद हरदोई, सण्डीला में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिकों के विरुद्ध रिश्वत लेने एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

88–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें नगर क्षेत्र सण्डीला जनपद हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिकों के विरुद्ध रिश्वत लेने एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, नगर सण्डीला जनपद हरदोई का शिकायती-पत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1998 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जांच कराई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद मण्डल के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन का नियम विरुद्ध एवं नियमानुसार गठित करने वाले विद्यालयों की जानकारी

89–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद मण्डल के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में से किस-किस विद्यालय में अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन का गठन नियमों के विरुद्ध किया गया है तथा कुल कितने विद्यालयों में अभी तक इसका गठन नहीं किया गया है ?

डा० नैपाल सिंह–

मात्र एक विद्यालय (सार्वजनिक आर्य इण्टर कालेज फीना बिजनौर) ।

34–विद्यालयों में गठन नहीं हुआ ।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का प्रकरण

90–श्री राम ललित चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने ऐसे इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल स्तर के विद्यालय हैं जो अभी तक अनुदान की सूची पर नहीं आए हैं ? क्या सरकार इन विद्यालयों को अनुदान की सूची पर लाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

दिनांक 14-10-1986 से पूर्व मान्यता प्राप्त कुल 68 इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल हैं, जो अभी तक अनुदान सूची पर नहीं आये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण।

लोक सेवा आयोग में अवर अभियंता सिंचाई के चयन से सम्बन्धित वर्ष 1962-63 के विज्ञापन की मूल पत्रावली गायब होने का मामला तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही

91–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग में अवर अभियंता सिंचाई के चयन से सम्बन्धित वर्ष 1962-63 के विज्ञापन की मूल पत्रावली आयोग में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आयोग के उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त पत्रावली के गायब होने के संदर्भ में कोई जांच आज तक करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई प्राथमिकी भी दर्ज कराई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

वर्ष 1962-63 में अवर अभियन्ता, सिंचाई के पदों पर चयन हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

92–श्री राम सेवक सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन नैनीताल क्लब नैनीताल में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में दैनिक भोगी कर्मचारियों को नियमित करने तथा आरक्षण कोटा पूरा करने का प्रकरण

93–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन नैनीताल क्लब नैनीताल में कुल कितने तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं ड्राइवरों के पद हैं, उनमें से कितने पदों पर कर्मी दैनिक वेतन एवं अस्थाई तौर पर कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? उनमें से कितने कर्मी आरक्षण कोटे के हैं ? क्या सरकार उन्हें उनके पदों पर आरक्षण नीति लागू करते हुए नियमित एवं स्थाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन नैनीताल क्लब नैनीताल सम्प्रति राज्य अतिथि गृह, नैनीताल में तृतीय श्रेणी के 14 पद, चतुर्थ श्रेणी के 40 पद स्वीकृत हैं । ड्राइवर का कोई पद स्वीकृत नहीं हैं । उक्त नियमित पदों के विरुद्ध कोई दैनिक वेतन कर्मी कार्यरत नहीं है, किन्तु वर्तमान में राज्य अतिथि गृह, नैनीताल में कुल 15 दैनिक वेतन कर्मी कार्यरत हैं जिनमें 04 कर्मी आरक्षित श्रेणी के हैं ।

रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर विभाग द्वारा दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु नियमजन्म प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ।

बलिया एवं छपरा से जोड़ने हेतु घाघरा नदी पर मांझी सेतु के निर्माण को पूरा करने का प्रकरण

94–श्री भरत सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बलिया एवं छपरा से जोड़ने हेतु घाघरा नदी पर मांझी में सेतु के निर्माण का कार्य राज्य सेतु निगम द्वारा गत 15 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था ? यदि हां, तो मूल रूप से उक्त पुल कब तक बनाया जाना प्रस्तावित था ? अभी तक उक्त पुल का निर्माण पूरा न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उसे शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

उक्त सेतु का निर्माण कार्य फरवरी, 1987 में प्रारम्भ किया था ।

पूर्ण निर्धारित कार्यक्रमानुसार मार्च, 1991 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था ।

धनाभाव के कारण निर्माण कार्य समय से नहीं पूरा हो सका ।

भारत सरकार से सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने के 2 वर्ष पश्चात कार्य पूरा कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती एवं अम्बेडकर नगर जिले के बीच सरयू नदी पर टाण्डा कलवारी के बीच पुल बनाये जाने की योजना का प्रस्ताव

95–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद बस्ती एवं अम्बेडकर नगर जिले के बीच सरयू नदी पर टाण्डा कलवारी के बीच पुल बनाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है और उसके निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार को भी सहायता के लिए संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है और पुल का निर्माण कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ।

जनपद बस्ती/अम्बेडकर नगर में लुम्बनी–दुद्धी मार्ग पर राज्य मार्ग सं०–5 पर रु० 6009.00 लाख की लागत से केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता धनराशि से पुल तथा पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।

भारत सरकार की स्वीकृति तथा सहायता धनराशि प्राप्त होने पर ही निर्माण प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

जनपद मैनपुरी में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1998-99 में अध्यापकों का स्थानान्तरण तथा भोगांव के विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था

96–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 1998-99 में कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण एक ही ब्लाक के अन्तर्गत किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है ? विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्राथमिक विद्यालयों के 414 तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के 89 अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

97–श्री राम औतार शाक्य–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं० 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला रामपुर के अन्तर्गत डांडिया और पीपली रिजर्व फारेस्ट वन अधिनियम लागू होने के बाद (बावजूद) वन निगम द्वारा कराये गये कटाव के कारण हुई खाली भूमि तथा उस पर वृक्षारोपण

98–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर के अन्तर्गत डांडिया और पीपली रिजर्व फारेस्ट वन अधिनियम लागू होने के बाद से वन निगम द्वारा कितना कटान कराया गया है और उससे कितनी भूमि खाली हुई ? क्या खाली भूमि पर दुबारा वृक्षारोपण कराया गया है ? यदि हां, तो उसका कितना भाग जीवित है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जिला रामपुर में वन अधिनियम लागू होने के बाद वर्ष 1990-91 से वर्तमान तक डांडिया आरक्षित वन क्षेत्र में 52364 वृक्षों का तथा पीपली आरक्षित वन क्षेत्र में 113158 वृक्षों का पातन वन निगम द्वारा कराया गया । इस पातन के परिणामतः डांडिया आरक्षित वन क्षेत्र में 127 है० तथा पीपली आरक्षित वन क्षेत्र में 273 है० भूमि खाली हुई ।

वन निगम द्वारा सम्पादित उक्त पातन के परिणामतः डांडिया आरक्षित वन क्षेत्र में 127 है० भूमि पर तथा पीपली आरक्षित वन क्षेत्र में 273 है० क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया ।

उक्त सम्पादित वृक्षारोपण में डांडिया आरक्षित वन क्षेत्र में सफलता प्रतिशत (जीवितता) 73 प्रतिशत तथा पीपली आरक्षित वन क्षेत्र में सफलता 65 प्रतिशत है ।

जिला रामपुर में पीपली रिजर्व फारेस्ट की वन कटान के बाद खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण

99–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि पीपली रिजर्व फारेस्ट जिला रामपुर की कई सौ एकड़ भूमि पिछले लगभग 20 वर्षों से वन कटान के बाद खाली पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त भूमि पर वृक्षारोपण कराया जायेगा ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

पीपली रिजर्व फारेस्ट की कुल आरक्षित भूमि 5013.91 है० में से 2028.20 है० भूमि अतिक्रमित है तथा शेष भूमि वनाच्छादित है । अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण खाली होने तथा वृक्षारोपण कराया जाना संभव नहीं है ।

जिला मुरादाबाद को विश्व बैंक योजना से सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत दी गयी धनराशि तथा उससे वृक्षारोपण

100–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक योजना से सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में जिला मुरादाबाद को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उससे कितना वृक्षारोपण कहां-कहां कराया गया है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां । उ० प्र० वानिकी परियोजना के अन्तर्गत जिला मुरादाबाद को वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में 5.40 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई । उक्त वर्षों में इस धनराशि से कोई वृक्षारोपण नहीं कराया गया ।

प्राथमिक विद्यालय रामपुर कटरा शिक्षा क्षेत्र सिरौली गौसपुर, जिला बाराबंकी की शिकायत के आधार पर श्री सुरेश सिंह सहायक अध्यापक के विरुद्ध लगे आरोप तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री दीप लाल भारती–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित श्री गंगा प्रसाद पुष्कर, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–134 के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम उजागर सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, रामपुर कटरा, शिक्षा क्षेत्र सिरौली गौसपुर, जिला बाराबंकी की शिकायत, दिनांक 25-3-98 पर श्री सुरेश सिंह, सहायक अध्यापक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच जिलाधिकारी, बाराबंकी के आदेश पर सहायक बेसिक अधिकारी, सिरौली गौसपुर एवं तहसीलदार सिरौली गौसपुर क्रमशः दिनांक 30-3-98 व 26-11-98 को की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त सहायक अध्यापक पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप सही पाये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त सहायक अध्यापक के विरुद्ध बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा क्या अग्रेतर कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

आंशिक रूप से ।

प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित स्थानान्तरण कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भरथिया कादीपुर प्राथमिक विद्यालय विकास खण्ड कोपागंज (मऊ) में अध्यापकों के सामूहिक स्थानान्तरण से हुयी क्षति के जिम्मेदार बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

102–श्री समर पाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र वर्ष 1999 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–40 के उत्तर के संबंध में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 1997-98 के प्रारम्भ होने पर भरथिया कादीपुर प्रा० वि० विकास खण्ड कोपागंज (मऊ) के अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया ? क्या उक्त विद्यालय में 42 दिनों तक मात्र एक अध्यापक था ? यदि हां, तो विद्यालय बन्द होने

से छात्रों को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल इण्टर कालेज लखनऊ में सहायक मंत्री/प्रबन्धक श्री राम चन्द्र मिश्र को कालेज के वेतन आहरण के प्रदत्त अधिकार तथा कालेज में पर्यवेक्षक की नियुक्ति व साधारण सभा की बैठक के सम्बन्ध में जानकारी

103–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–177 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल इण्टर कालेज, लखनऊ के जो चुनाव 9 अक्टूबर, 98 को सम्पन्न कराये गये हैं; की नोटिस श्री टी० एन० मिश्र मंत्री/प्रबन्धक के हस्ताक्षरों से दिनांक 23-9-98 को जारी की गयी और दिनांक 14-10-95 से दिनांक 8-10-98 तक की अवधि में श्री टी० एन० मिश्र को कालेज के मंत्री/प्रबन्धक के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा मान्यता दी गयी है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उक्त अवधि में कालेज के वेतन बिलों व अन्य पत्राचार सहायक मंत्री/प्रबन्धक श्री राम चन्द्र मिश्र के हस्ताक्षरों से करके कालेज का वेतन आहरित किया गया है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

स्थायी व्यवस्था होने तक श्री राम चन्द्र मिश्र को प्रबन्ध समिति की संस्तुति के आधार पर वेतनादि के कार्यों के संचालन हेतु अधिकृत किया गया था ।

104–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री उक्त प्रश्न के क्रम में यह भी बतायेंगे कि क्या यह भी सत्य है कि दिनांक 9-10-98 को सम्पन्न चुनाव में पर्यवेक्षक की मांग श्री टी० एन० मिश्र मंत्री/प्रबन्धक द्वारा की गयी है ? पर्यवेक्षक की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश कब जारी किए गए हैं तथा पर्यवेक्षक किसे बनाया गया ? क्या कालेज की प्रशासन योजना के अनुसार साधारण बैठक की नोटिस सदस्यों को एक माह पूर्व दिया जाना चाहिए ? यदि हां, तो उक्त चुनाव में 15 दिनों का समय ही सदस्यों को किन कारणों से दिया गया है ? क्या सरकार विस्तृत जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

दिनांक 9-10-98 को श्री प्रेम प्रकाश मौर्या, एन० डी० एस० आई० को पर्यवेक्षक बनाया गया ।

प्रशासन योजनाओं में ऐसा प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कस्बा बेवर/भोगांव जनपद मैनपुरी से बौद्ध पर्यटक स्थल संकिसा जनपद फर्रुखाबाद से सीधी सड़क, पुल आदि बनाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

105–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया वतायेंगे कि कस्बा बेवर/भोगांव जनपद मैनपुरी से बौद्ध पर्यटक स्थल संकिसा जनपद फर्रुखाबाद से सीधी सड़क व राजघाट काली नदी पर पक्का पुल बनाने के लिए अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, लो० नि० वि० आगरा द्वारा पत्र संख्या 9508/115 सी० आ० वे०/97 आगरा/दिनांक 3-9-97, जो कि मुख्य अभियन्ता (विश्व बैंक) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उत्तर प्रदेश लो० नि० वि० लखनऊ को सम्बोधित है व अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० मैनपुरी के पत्रांक 403/15 लख० दिनांक 11-8-97 प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

बौद्ध परिपथ परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत संकिसा में अन्य कार्यों के अतिरिक्त मार्गों के सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण का प्रस्ताव वाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है । परियोजना पर भारत सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मलिक मोहम्मद भारतीय इण्टर कालेज जायस, जनपद रायबरेली में विभागीय जांच में अवरुद्ध सहायक अध्यापक की प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति

106–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलिक मोहम्मद भारतीय इण्टर कालेज, जायस, जनपद रायबरेली में सहायक अध्यापक के विरुद्ध विभागीय जांच के फलस्वरूप प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति किये जाने संबंधी शिकायती पत्र पर उनके पत्र संख्या–5945/मा०शि०प०/98 दिनांक 19-11-98 पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

मलिक मोहम्मद भारतीय इण्टर कालेज रायबरेली में सहायक अध्यापक का निलम्बन निष्प्रभावी होने पर वरिष्ठता क्रम में पहले स्थान पर होने के कारण श्री हर नारायण तिवारी को प्रधानाचार्य का पद भार दिया गया है जो विधि संगत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम नगला टाकन ब्लाक बेवर में जूनियर हाईस्कूल की स्वीकृति

107–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि विशेष कार्याधिकारी उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग–5 के पत्रांक 3352/15-5-98–10(79)/98 दिनांक 25 जून, 1998 द्वारा जिला वेसिक शिक्षा

अधिकारी, मैनपुरी जिलाधिकारी, मैनपुरी, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (क्षेत्र) आगरा मण्डल, आगरा को ग्राम नगला टाकन ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में जूनियर हाईस्कूल बनाए जाने के सम्बन्ध में भेजा गया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

ग्राम-नगला टाकन में जूनियर हाई स्कूल की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । भवन निर्माण हेतु प्रथम किस्त रु० 90,000.00 की स्वीकृति निर्गत की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के क्षेत्र पंचायत बेवर में बझेरा से जल्लापुर–खुद्दइया तक एवं क्षेत्र पंचायत सुल्तानगंज से हन्नूखेड़ा से लहरा तक वाया नगला हिम्मत तक की अवशेष सड़कों का निर्माण

108–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के क्षेत्र पंचायत बेवर में बझेरा से जल्लापुर–खद्दइयां तक एवं क्षेत्र पंचायत सुल्तानगंज में हन्नूखेड़ा से लहरा तक वाया नगला हिम्मत तक कितनी लम्बाई की पेन्टिंग स्तर तक सड़कें कब-कब किस योजना में स्वीकृत हुई हैं और कितनी लम्बाई की सड़कें बनने के लिए अवशेष हैं ? क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों के अवशेष भाग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद मैनपुरी के क्षेत्र पंचायत बेवर में बझेरा में जल्लापुर खद्दइया वाया गग्गरवाला मार्ग की कुल लम्बाई 8.80 किमी० है । मार्ग के प्रारम्भ की 1.70 किमी० लम्बाई वर्ष 95-96 में सांसद क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित है । इसके आगे 2.00 किमी० लम्बाई का कार्य वर्ष 98-99 में पं० दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना में स्वीकृत है तथा क्षेत्र पंचायत सुल्तानगंज में हन्नूखेड़ा से लहरा वाया नगला हिम्मत तक मार्ग की कुल लम्बाई 7.30 किमी० हैं । इसमें से 2.30 किमी० लम्बाई का कार्य वर्ष 1997-98 में जिला योजना (सामान्य) में स्वीकृत की गई है । उक्त दोनों क्षेत्र पंचायतों में क्रमशः 5.10 किमी० एवं 5.00 किमी० लम्बाई की सड़कों का निर्माण कार्य अवशेष है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

नील गायों (वनरोजों) से हो रही फसलों की क्षति को रोकने हेतु सरकार के उपाय

09–श्री संजय गर्ग–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 1998 से 1 जुलाई, 1999 तक नील गायों (वन ाजों) से किसानों की फसलों की कितनी क्षति हुई है ? क्या सरकार किसानों की क्षति रोकने हेतु कोई ाजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ी रघुवर दयाल वर्मा–

वनरोजों (नील गायों) द्वारा किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाने की सूचना प्रदेश के मैदानी ानपदों से प्राप्त होती रहती है किन्तु क्षति का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है ।

कृषि फसलों के लिए हानिकारक वनरोजों को नष्ट करने हेतु शूटिंग परमिट जारी करने के लिए शासनादेश संख्या–736/14-4-94–854/92, दिनांक 9 मार्च, 1994 द्वारा जिलाधिकारियों को पहले ही प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था ।

इस पद्धति का और सरलीकरण करते हुए शासनादेश संख्या–1240-14-4-99–854/92, दिनांक 26 जून, 1999 द्वारा अब उप जिला अधिकारियों को भी इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया ।

प्रश्नगत समस्या का यही प्रभावी उपाय है । प्रभावित कृषक उत्पाती वनरोजों को नष्ट करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी/ उप जिलाधिकारी से शूटिंग परमिट प्राप्त कर सकते हैं ।

अध्यक्ष जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा चौ० सूरज सिंह जिला पंचायत इण्टर कालेज जागीर के संस्कृत प्रवक्ता के विरुद्ध धन की वसूली की नोटिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

110–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि अध्यक्ष जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा चौ० सूरज सिंह जिला पंचायत इण्टर कालेज, जागीर के संस्कृत प्रवक्ता के विरुद्ध पत्रांक ई० आर० के० (जेड) 96-97 दिनांक 14-6-96 द्वारा धन की वसूली का नोटिस दिया गया था ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस धन की वापसी में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी को त्वरित वसूली के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच के उपरान्त वसूली के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

111–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के चौ० सूरज सिंह जिला पंचायत माध्यमिक इण्टर कालेज, जागीर, संस्कृत प्रवक्ता के विरुद्ध 16–ई०–10 की कार्यवाही सुनिश्चित की गई थी ? क्या शिक्षा निदेशक इलाहाबाद के पत्रांक 1268–70/98-99 दिनांक 17-7-98 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से कार्यवाही करने हेतु कहा गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रवन्धक द्वारा प्रस्तावित की गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रबन्धक के प्रस्ताव का परीक्षण कर आख्या मांगी गयी थी ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी ने प्रबन्धक के प्रस्ताव को 16 ई–10 की कार्यवाही हेतु औचित्यपूर्ण नहीं पाया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद में वन विभाग के सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा किया गया वृक्षारोपण तथा उसके रख-रखाव हेतु सरकार की योजना

112–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में वन विभाग ने सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा 2.78 हेक्टेयर और सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत 308 हेक्टेयर में पौधा रोपड़ किया है तथा 6.50 लाख पौधे लगाये गए हैं ? कितने प्रतिशत रौपे गये पौधे सुरक्षित हैं ? क्या उन पौधों का

रख-रखाव और देखभाल के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत 278 हेक्टेयर एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 308 हेक्टेयर में पौधारोपण हो गया है ।

कुल 6.44 लाख पौधे रोपित किये गये हैं ।

60 से 70 प्रतिशत रोपित पौध सुरक्षित हैं ।

जी हां ।

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत रु० 11.12 लाख एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रु० 12.30 लाख उक्त कार्यों के रख-रखाव हेतु प्राविधानित किये गये हैं परन्तु सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त/अवमुक्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजना वर्ष 1998-99 में सदर विधान सभा क्षेत्र के सम्पर्क मार्ग पर अवशेष धनराशि की मांग

113–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना वर्ष 1998-99 प्रतापगढ़ में पट्टी तथा वीरापुर विधान सभा क्षेत्र में क्रमशः 7 व 9 सम्पर्क मार्ग स्वीकृत करते हुए 50 लाख रुपये की धनराशि अधिक दी गयी है ? यदि हां, तो क्या जिला योजना से सदर विधान सभा क्षेत्र के सम्पर्क मार्ग पर अवशेष धनराशि दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1998-99 में प्रतापगढ़ में पट्टी तथा वीरापुर विधान सभा क्षेत्र में क्रमशः 7 व 9 सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये गये, परन्तु रु० 50 लाख की धनराशि अधिक नहीं दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर के बहुगल नदी के घाट पर पैंटून पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

114–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 03-10-98 या इसके आसपास जो जनपद शाहजहांपुर के बहुगल नदी के घाट पर पैंटून पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

क्षेत्र से आगणन प्राप्त कर इस सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड फैजाबाद के वर्तमान अधि० अभि० द्वारा वर्ष 1998-99 में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद सामान खरीदने तथा श्रमिकों के भुगतान का प्रकरण

115–श्री सीताराम निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, फैजाबाद के वर्तमान अधि० अभि० द्वारा वर्ष 1998-99 में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद श्रमिकों को रु० 15 लाख का भुगतान कर दिया गया है ? क्या उक्त अभि० द्वारा रु० 5 लाख का विभागीय सामान

भी खरीदा गया है ? क्या इस हेतु मुख्य/अधिक्षण अभियन्ता की अनुमति प्राप्त की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच क्रमित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, फैजाबाद के अधि० अभि० द्वारा जनपद बहराइच में कार्यरत रहने की अवधि में, किये गये भ्रष्टाचार एवं घोटाले की जांच में दोषी पाये जाने पर पदावनति की कार्यवाही

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

116–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, फैजाबाद के वर्तमान अधि० अभि० जनपद बहराइच में वर्ष 1985–86, 1986–87, 1987–88 में कार्यरत रहने की अवधि में इन पर भ्रष्टाचार एवं घोटाले की जांच में दोषी पाये गये थे ? क्या दोषी पाये जाने पर उन्हें पदावनति हेतु लोक सेवा आयोग उ०प्र० से अनुमति मांगी गई थी ? क्या लोक सेवा आयोग उ०प्र० द्वारा उक्त अधि०अभि० को पदावनति करने की अनुमति दी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अभियन्ता की पदावनति करके उन्हें दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

श्री राज बहादुर सिंह, अधि० अभि० की कार्यालय ज्ञाप संख्या–1531/23-6-99–12(7)ईएम/89, दिनांक 1-4-99 द्वारा सहा० अभि० के पद पर पदावनत कर निन्दा प्रविष्टि देते हुए संगत वर्ष की सत्यनिष्ठा भी अप्रमाणित कर दी गयी है ।

जनपद फैजाबाद में बारून शाहगंज-इसौली अर्न्तजनपदीय मार्ग के अवशेष भाग का डामरीकरण

117–श्री सीताराम निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में बारुन शाहगंज–इसौली अर्न्तजनपदीय मार्ग जिसकी कुल लम्बाई 20 कि०मी० है, के बारुन की तरफ से किलोमीटर 2 व 3 ग्राम मेहदौना की सीमा में मात्र पत्थर खड़ंजा स्तर तक ही निर्मित है ? क्या इसके कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या अवशेष भाग का डामरीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, फैजाबाद के वर्तमान अधि० अभि० का उनके वाराणसी कार्यकाल में भ्रष्टाचार एवं घोटाले में निलम्बन तथा कारण बताओ नोटिस पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही

118–श्री सीताराम निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, फैजाबाद के वर्तमान अधि०अभि० द्वारा जनपद वाराणसी में वर्ष 1995–96 में कार्यरत रहते हुये उनके ऊपर भ्रष्टाचार एवं घोटाले के संबंध में विभागीय जांच की गई थी ? क्या जांच के फलस्वरूप दोषी पाये जाने पर उन्हें निलम्बित किया गया था ? क्या उन्हें 15 दिनों के अन्दर जवाब देने हेतु कारण बताओ नोटिस भी दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अभि० द्वारा समय सीमा के अन्दर जवाब दिया गया ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (12/95 से 2/96 तक) में इंगित विभिन्न अनियमितताओं के सन्दर्भ में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता वाराणसी का दिनांक 27-9-96 को स्पष्टीकरण मांगा गया था । निर्धारित समय सीमा में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर दिनांक 6-1-97 को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी थी ।

कालान्तर में दिनांक 29-1-97 को यह निलम्बन समाप्त किया गया और अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम खजरा खाकम ब्लाक बहजोई में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण

119–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खजरा खाकम ब्लाक बहजोई जनपद मुरादाबाद में कब से बेसिक शिक्षा परिषद् की प्राइमरी पाठशाला चल रही है ? उसका नम्बर व रकबा क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में पहले से चालित प्राइमरी पाठशाला की जगह में भवन के विस्तार होने के बाद नये भवन का निर्माण प्रारम्भ हो गया था और इस हेतु धन की किश्त भी अवमुक्त कर दी गयी थी ? क्या यह भी सच है कि वहां पर प्रथम किश्त के धन खर्च हेतु भवन निर्माण से सम्बन्धित ईंट व अन्य सामान पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो पुराने स्थान पर भवन कब तक बनवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

ग्राम खजरा खाकम ब्लाक–बहजोई में प्राथमिक पाठशाला वर्ष 1982 से संचालित है ।

संचालित विद्यालय भवन का नम्बर 233 तथा रकबा 0.105 है०/ 0.26 डे०सी० है ।

पुराने तथा नवीन स्थल पर विद्यालय भवन के निर्माण का वाद न्यायालय के विचाराधीन है ।

जी हां ।

न्यायालय के निर्णय पर आधारित होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में लक्ष्मीनारायण इण्टर कालेज मेजा के प्रधानाचार्य द्वारा अपने सगे भतीजे संजीव कुमार को परिचायक पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण पर कार्यवाही

120–श्री रामसेवक सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज मेजा, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य ने अपने सगे भतीजे संजीव कुमार सिंह को परिचायक के पद पर नियुक्त किया है ? यदि

हां, तो कब ? क्या इसके पूर्व उक्त पद पर कार्यरत परिचायक का मुकदमा मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्या दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

दिनांक 1-7-93 को ।

जी हां ।

प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश संयुक्त शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद को दे दिये गये हैं ।

जनपद सीतापुर में श्री राम औतार वार्ष्णेय पूर्व अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड–2 के विरुद्ध चल रही जांच

121–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम औतार वार्ष्णेय पूर्व अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड–2 सीतापुर के विरुद्ध क्या कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच की क्या प्रगति है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जांच प्रचलित है ।

जनपद प्रतापगढ़ के सदर एवं मान्धाता ब्लाक में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99 में निष्पादित कार्य

122–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के सदर एवं मान्धाता ब्लाक में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98, 1998–99 में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़, प्रभाग के सदर एवं मान्धाता ब्लाक के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है :–

विकास खण्ड	वर्ष	कार्य का विवरण
सदर	1997-98	अग्रिम मृदा 15 है० कार्य
सदर	1998-99	1–वृक्षारोपण 15 है० कार्य
		2–अग्रिम मृदा 15 है० कार्य
		3–विकास भवन परिसर का सौन्दर्यीकरण
मान्धाता	1997-98	1–अग्रिम मृदा 3.50 है० कार्य
	1998-99	1–वृक्षारोपण 3.50 है० कार्य
		2–अग्रिम मृदा 5 है० कार्य
		3–पौध उगान 0.55 लाख

फिल्म प्रदर्शन करने वाली टाकीजों को औद्योगिक दर्जा दिये जाने की मांग

123–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म प्रदर्शन करने वाली टाकीजों को औद्योगिक दर्जा दिये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसके लिये आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1151/77-6-99. दिनांक 22-5-99 के द्वारा छवि गृहों के निर्माण को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है ।

जनपद बागपत के छपरौली टाण्डा के बीच यमुना नदी पर पुल निर्माण

124—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी है कि जनपद बागपत के छपरौली टांड़ा के बीच यमुना नदी पर पुल निर्माण हेतु 23 दिसम्बर, 1996 में घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या पुल का निर्माण शुरू करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त पुल का निर्माण अभी तक न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कलराज मिश्र--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत पुल के निर्माण हेतु रु० 1590.00 लाख की लागत की परियोजना का प्रस्ताव परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को अर्न्तराज्यीय एवं आर्थिक महत्व की योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु दिनांक 9-1-97 को भेजा गया था । परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा सरकार की अंशदान की वचनबद्धता चाही गयी थी । सेतु के निर्माण में हरियाणा राज्य द्वारा वचनबद्धता उपलब्ध कराने पर ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को वचनबद्धता उपलब्ध करायी जा सकेगी । हरियाणा सरकार से वचनबद्धता उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कई बार अनुरोध किया जा चुका है परन्तु उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । उत्तर प्रदेश सरकार की वचनबद्धता, हरियाणा सरकार की वचनबद्धता प्राप्त होने के उपरान्त ही, भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा सकेगी । परियोजना की तद्नुसार भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पदों को भरे जाने का मामला

125—श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिशासी अभियन्ताओं के कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं ? क्या उन रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु दिनांक 23 मार्च, 1999 को विभागीय चयन समिति द्वारा वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं का चयन कर वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गयी है ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पड़े पदों को कब तक भरा जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

कोई पद रिक्त नहीं है ।

अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों को भरने हेतु दिनांक 23 व 24 मार्च, 1999 को आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया है।

रिक्त पद भरे जा चुके हैं।

अध्यक्ष, प्रबन्ध, नगर पालिका इण्टर कालेज, चन्दौली को प्रधानाचार्य श्री शिवाय नमः तिवारी को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक चन्दौली का पत्र

126—श्री अफजाल अहमद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक चन्दौली ने अपने पत्र दिनांक 19-4-99 द्वारा अध्यक्ष, प्रबन्ध, नगर पालिका इण्टर कालेज, चन्दौली को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि वह प्रधानाचार्य श्री शिवाय नमः तिवारी को कार्यभार ग्रहण करा लें अन्यथा प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति की संस्तुति कर दी जायेगी? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति कराकर प्रधानाचार्य को कार्यभार ग्रहण कराते हुए पठन-पाठन एवं अनुशासन कायम करने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

प्रबन्ध संचालन को नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, घाटमपुर कानपुर देहात की सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका श्रीमती पुष्पलता भट्टाचार्य के पुनरीक्षित वेतन का भुगतान

127—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय घाटमपुर, कानपुर देहात की सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापिका श्रीमती पुष्पलता भट्टाचार्य को वर्ष 1986 का पुनरीक्षित वेतन का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

श्रीमती भट्टाचार्य, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, घाटमपुर, कानपुर देहात द्वारा स्वयं आहरण एवं वितरण अधिकारी होने के फलस्वरूप अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त अवैधानिक रूप से रु० 12,632/- की धनराशि वेतन एवं भत्ते के रूप में एवं रु० 300/- की धनराशि ग्रामीण भत्ते के रूप में आहरित कर लिए जाने के सापेक्ष उन्हें वर्ष 1986 के देय पुनरीक्षित वेतन के भुगतान की धनराशि रु० 11,721/- को समायोजित कर दिया गया है, अतः इसे भुगतान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्रीमती भट्टाचार्य द्वारा अवैधानिक रूप से आहरित किये गये रु० 12932/- के प्रति उन्हें पुनरीक्षित वेतन के फलस्वरूप मिलने वाले अवशेषों रु० 11,721/- की कटौती करके राजकोष में दिनांक 8-9-98 को जमा किया जा चुका है और रु० 1,211/- की धनराशि श्रीमती भट्टाचार्य द्वारा राजकोष में जमा करना शेष है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय घाटमपुर कानपुर देहात की प्रधानाध्यापिका श्रीमती पुष्पलता भट्टाचार्य का वेतन/पेंशन प्रकरण

128—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, घाटमपुर, कानपुर देहात की प्रधानाध्यापिका श्रीमती पुष्पलता भट्टाचार्य की जन्म तिथि 10 जुलाई, 1930 होने पर उन्हें दिनांक 20 जून, 1988 को सेवा निवृत्त किया गया था? क्या उक्त प्रधानाध्यापिका

को 10 जुलाई की जन्म तिथि होने पर शासनादेश के अनुरूप एक वर्ष का सत्र लाभ दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उनके एक वर्ष के सत्र लाभ के चार माह के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो अवशेष सात माह के वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या उक्त प्रधानाध्यापिका की पेंशन दिनांक 1 जुलाई, 1989 से निर्गत की गयी है ? यदि हां, तो 30 जून, 1988 के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त 1 जुलाई, 1989 से पेंशन निर्गत करने का क्या औचित्य है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

सत्र लाभ प्राप्त न होने के बावजूद भी श्रीमती भट्टाचार्य द्वारा 4 माह का अनियमित वेतन रु० 12,932 आहरित कर लिया गया है । इसमें से रु० 11,721 की धनराशि की वसूली उनसे की जा चुकी है तथा अवशेष धनराशि रु० 1211 की वसूली की जा रही है । सत्र लाभ की अनुमन्यता न होने के कारण उक्त लाभ उन्हें देय नहीं है ।

जी हां ।

सम्बन्धित प्रधानाध्यापिका द्वारा पेंशन सम्बन्धी पत्रादि में त्रुटिपूर्ण सूचना देने के कारण दिनांक 1-8-1988 से संशोधित पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

लखनऊ स्थित चिड़ियाघर में जानवरों/पक्षियों के रख-रखाव एवं व्यवस्था में वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में प्राप्त धन तथा उसका आडिट

129—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थित चिड़ियाघर में जानवरों/पक्षियों के रख-रखाव एवं व्यवस्था के लिये वित्तीय वर्ष 1998-1999 एवं 1999–2000 के लिए कितने धन की व्यवस्था की गयी है और इस हेतु अभी तक किये गये खर्चे को सत्यापित करने की क्या व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

लखनऊ स्थित चिड़ियाघर में जानवरों/पक्षियों के रख-रखाव एवं व्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 1998-99 में विभिन्न स्रोतों से रु० 1,00,78,570.78 पै० की एवं 1999-2000 के लिए अभी तक रु० 22,78,994.95 पै० की व्यवस्था की गयी है । इस हेतु अभी तक किये गये खर्चे का प्रतिवर्ष आडिट द्वारा सत्यापित करने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बालिका विद्यालय इण्टर कालेज, मोतीनगर, लखनऊ की अनधिकृत प्रबन्ध समिति को जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) लखनऊ द्वारा प्रदत्त मान्यता

130—श्री बाबू खां–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालिका विद्यालय इण्टर कालेज, मोतीनगर, लखनऊ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था आर्य समाज लखनऊ (गणेशगंज) द्वारा संचालित शिक्षण संस्था है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त एवं उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा मान्य प्रशासन योजना के अन्तर्गत गठित प्रबन्ध समिति है ? यदि नहीं, तो जिला विद्यालय

निरीक्षक (द्वितीय) लखनऊ ने किन नियमों के अन्तर्गत अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा गठित प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान की है? क्या अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा सरकारी धन का आहरण तथा शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक शिक्षकों की गृह जनपदों में तैनाती

131—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों की तैनाती अपने गृह जिलों में करने के लिये आदेश पारित कर रही है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब से किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी–

उपलब्ध रिक्ति के प्रति अध्यापकों की उनके गृह ज़नपद में तैनाती की व्यवस्था पूर्व से प्रभावी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

132—डा० धर्मज्ञ मिश्र––

[2रे गुरुवार में अता० प्र० सं० 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उसके समकक्ष रिक्त पदों की संख्या तथा प्रोन्नति से भरे जाने की मांग

133—श्री रामप्यारे सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं इसके समकक्ष कितने पद रिक्त हैं ? उक्त पदों में से कितने पद सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की प्रोन्नति से भरे जाने हैं ? उक्त पद कब तक भरे जायेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सम्प्रति उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्षीय कुल 12 पद रिक्त हैं । इनमें मैदानी संवर्ग के 10 (सामान्य श्रेणी के 8 एवं अनुसूचित जनजाति के 2) तथा पर्वतीय संवर्ग के 2 पद (सामान्य श्रेणी के 2) सम्मिलित हैं ।

सभी पद सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने हैं ।

उक्त पद प्रोन्नति द्वारा शीघ्र भरे जायेंगे ।

जनपद बरेली में वर्ष 1998-99 में लगाये गये भट्टों से खनन अनुज्ञा पत्र शुल्क एवं रायल्टी हेतु जमा धनराशि मानक से कम जमा होने की शिकायत

134—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में वर्ष 1998-99 में ईंट भट्ठा स्वामियों ने कुल कितने ईंट-भट्ठा लगाये हैं ? इन ईंट भट्ठा स्वामियों से कितनी रायल्टी व शुल्क जमा कराया गया था ? क्या यह सही है कि भट्ठा स्वामियों द्वारा निर्धारित सीमा व उत्पादन से कम रायल्टी जमा की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं; तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बरेली में वर्ष 1998-99 में कुल 296 भट्ठे लगाये गये हैं ।

निर्धारित खनन अनुज्ञा पत्र शुल्क एवं रायल्टी से कुल रु० 71,78,750.00 जमा कराया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर० एन० वर्मा, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी बरेली द्वारा किये गये गबन के सम्बन्ध में आरोप पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

135—श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर० एन० वर्मा, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, बरेली को लाखों रुपये के गबन के सम्बन्ध में 24-5-99 को संयुक्त निदेशक (प्रशासन) अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ० प्र० ने आरोप पत्र दिया है ? क्या यह आरोप पत्र प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित भी है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

श्री आर० एन० वर्मा तत्कालीन प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी बरेली के संदर्भ में दिनांक 24-5-99 का आरोप पत्र प्रौढ़ शिक्षा विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है, इस लिये प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के ब्लाक कोपागंज की ग्राम सभा नौसेमर से नौसेमरघाट एवं शिव मन्दिर को पर्यटन दृष्टि से विकसित करने का मामला

136—श्री समर पाल सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक कोपागंज, जनपद मऊ की ग्राम सभा नौसेमर ने नौसेमरघाट एवं शिव मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस वर्ष से ? क्या सरकार उक्त स्थल को पर्यटन केन्द्र घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

जी नहीं । पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन केन्द्र घोषित नहीं किया जाता है, अपितु पर्यटकों की सुविधा हेतु केवल मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ कोपागंज–भातकोल मार्ग पर छोटी सरयू नदी में पुल निर्माण का मामला

137—श्री समर पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञानकारी है कि मऊ जनपद में कोपागंज–भातकोल मार्ग पर छोटी सरयू नदी में 25 मई, 1998 को पुल निर्माण का शिलान्यास मंत्री जी द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

सेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है । दिसम्बर, 1999 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

जनपद मऊ की तहसील घोसी में विज्ञान विषयों से स्नातक एवं स्नातकोत्तर, बी० एड० तथा विधि शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोलने की मांग

138—श्री समर पाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ में विज्ञान विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, बी० एड० तथा विधि की पढ़ाई हेतु कोई महाविद्यालय है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भौगोलिक दृष्टिकोण से जनपद के मध्य में पड़ने वाले तहसील मुख्यालय घोसी में विज्ञान विषयों से स्नातक एवं स्नातकोत्तर, बी० एड० तथा विधि शिक्षा हेतु कालेज खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय व्ययभार के कारण ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप माईनर से निकली नहर की पटरी पर पीचिंग हेतु कार्य की टी० ए० सी० से जांच कराने की मांग

139—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप माईनर से निकली नहर जो ग्राम तरछापार होते हुए बहोरवा तक जाती है एक पटरी लोक निर्माण विभाग द्वारा पीच कराई गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1997-98 व 1998-99 में उक्त नहर की पटरी पर पीचिंग के लिये कितना धन भुगतान किया गया है ? क्या सड़क की मोटाई व चौड़ाई मानक के अनुरूप नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी टी० ए० सी० जांच कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत् निर्माण कार्य हेतु वर्ष 1997-98 में रु० 1,07,388/- तथा वर्ष 1998-99 में रु० 8,70,907.10 का भुगतान किया गया है ।

इसकी जांच कराई जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी द्वारा संगीत अध्यापिका की नियुक्ति का मामला

140—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी ने अप्रशिक्षित महिला अभ्यर्थी श्रीमती रजनी तिवारी की नियुक्ति नियत वेतनमान 850/- पर संगीत अध्यापिका के पद पर कन्या जूनियर हाई स्कूल लक्ष्मीबाई नगर क्षेत्र झांसी में दिनांक 7-4-98 को की थी ? यदि हां, तो क्या प्रशिक्षित अभ्यर्थी की नियुक्ति परिषद् के कन्या जू० हा० स्कूलों में सीधे नियत वेतन 850/- पर करने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी ने नियमों के विपरीत अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां, कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई शाहाबाद क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पाली-शाहाबाद मार्ग का निर्माण

141—श्री बाबू खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 89—शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पाली से शाहाबाद मार्ग जो शाहाबाद शहर के अन्दर जाता है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे जनता को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त रोड बनाये जाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त स्व० श्री जे० के० श्रीवास्तव, सन्तकबीर कताई मिल मगहर, बस्ती के समस्त देयकों के भुगतान का प्रकरण

142—श्री सीताराम निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री जे० के० श्रीवास्तव जो सन्त कबीर कताई मिल मगहर, बस्ती से दिनांक 31-12-96 को सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या उनके समस्त देयकों को

उनके आश्रितों को दे दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

स्व० श्रीवास्तव के उत्तराधिकारी को विधिक राय के आधार पर रु० 17,000/- (रु० सत्रह हजार मात्र) का भुगतान किया जा चुका है । स्व० श्रीवास्तव के मगहर मिल के अवशेष वेतन रु० 12590.65 (रुपया बारह हजार पांच सौ नब्बे एवं पैंसठ पैसे मात्र) व नगीना मिल के अर्जित अवकाश का रु० 12071.34 (रु० बारह हजार इकहत्तर एवं चौंतीस पैसे मात्र) का अवशेष भुगतान किया जा रहा है । भुगतान करने में विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम, 1998 को लचीला बनाने विषयक प्रस्ताव को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

143—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नकल करने वालों के अपराध को संज्ञेय एवं गैर ज़मानती के स्थान पर संज्ञेय एवं जमानती बनाये जाने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो क्या उसका क्रियान्वयन किया गया ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1998-99 की परीक्षाओं में उसको प्रभावी बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसे कब तक प्रभावी बनाया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 की धारा 9 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और जमानतीय है तथा धारा 10 व 11 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय व अजमानतीय है ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, सीतापुर में तैनात श्री राम औतार तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता की जांच

144—श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, सीतापुर में तैनात श्री राम औतार तत्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा वर्ष 5/95, 11/95, 5/96, 11/96 एवं अन्य तिथियों को भी यांत्रिक खण्ड बरेली को फर्जी भुगतान की करोड़ों रुपयों की धनराशि की चेकें भेजी गयी तथा बाद में इस धन को डिपाजिट में डाल कर सी० सी० एल० बनायी गयी और बिलों का भुगतान कर दिया गया ? क्या शासन करोड़ों रुपयों की हेराफेरी एवं वित्तीय अनियमितता की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथ गंज हरखपुर जेठवारा मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ा करने की मांग

145—श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उनके पत्रांक–6321, दिनांक 5-9-97 द्वारा सचिव, लोक निर्माण को विश्वनाथ गंज हरखपुर–जेठवारा मार्ग, जनपद प्रतापगढ़ की मरम्मत तथा उसे चौड़ा करने का निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मार्ग की मरम्मत हो गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक उसकी मरम्मत हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत करा दी गई है । चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के मान्धाता जेठवारा मार्ग की मरम्मत की मांग

146—श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ मान्धाता–जेठवारा मार्ग की मरम्मत हेतु सचिव, लोक निर्माण विभाग को आपके पत्रांक–6312, दिनांक 5-9-97 को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त मार्ग की मरम्मत करायी जायेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग की सामान्य मरम्मत करा दी गई है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 24 के निर्माण में हाट मिक्स प्लाट नं० 87 मीरानपुर कटरा शाहजहांपुर द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच

147—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-8-98 या इसके आस-पास जो राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 24 के किलोमीटर 290 में स्थित हाटमिक्स प्लांट नं० 87, मीरानपुर कटरा, जि० शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त पत्रों पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को जांच के लिये आदेशित किया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त पत्रों पर जांच करायी गयी तथा जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया ।

148—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[दिनांक 23-3-99 को अता० प्र० सं० 59 द्वारा उत्तरित]

149—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 23-3-99 को अता० प्र० सं० 1 द्वारा उत्तरित]

डा० यमुना प्रसाद सिंह रीडर/प्रभारी हिन्दी विभाग राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर द्वारा प्राचार्य के विरुद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संदर्भ में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

150—श्री रामप्यारे सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० यमुना प्रसाद सिंह रीडर/प्रभारी हिन्दी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर, उ० प्र० द्वारा दिनांक 2-6-99 को उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संदर्भ में कोई पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो शिकायती पत्र के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

निदेशक, उच्च शिक्षा को पत्र प्राप्त हुआ है ।

निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा जांच करांई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के शाहाबाद विकास खण्ड के ग्राम हाजीपुर में चल रहे प्राइमरी पाठशाला के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार

151—श्री बाबू खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड शाहाबाद, गांव हाजीपुर में प्राइमरी पाठशाला 40 वर्षों से चल रही है जहां कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है ? क्या सरकार छात्रों के हित में उक्त पाठशाला का नया भवन निर्मित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी--

प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1992-93 में स्वीकृत हुआ है ।

निर्माण कार्य गतिमान है ।

शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हदोई के शाहाबाद सैदपुर मार्ग को चौड़ा करने की मांग

152—श्री बाबू खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 89—शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शाहाबाद से सैदापुर मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं एवं मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

153—श्री लालजी वर्मा–

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद बागपत में जिला योजनान्तर्गत चयनित मार्गों पर लेपन कार्य हेतु स्वीकृत धन के अनुरूप कार्य न कराये जाने की जांच

154—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1 जुलाई, 99 तक जनपद बागपत में जिला योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से मार्ग लिये गये थे ? उसमें से किस-किस मार्ग पर 15-12-1998 तक कितना कि०मी० लेपन कराया गया ? कितना कि०मी० लेपन कार्य नहीं हुआ है ? कितना कार्य अधूरा है ? क्या धन आवंटन के अनुरूप कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 एवं वर्ष 1998-99 तक स्वीकृत 54 मार्गों की सूची संलग्न है ।

संलग्न सूची में अंकित विवरणानुसार कुल 25–68 किमी० में लेपन कार्य कराया गया है ।

45.41 किमी० लम्बाई में ।

उपरोक्तानुसार ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 161–164–पर ।)

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां में जिला योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97, 1997-98 में, स्वीकृत मार्गों पर लेपन कार्य हेतु आवंटित धन के अनुरूप कार्य न कराये जाने की जांच

155—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1996-97, 1997-98 में जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां में जिला योजना के अन्तर्गत कौन-कौन मार्ग लिये गये थे ? उसमें किस-किस मार्ग पर 15-12-98 तक कितना कि०मी० लेपन का कार्य कराया गया ? कितना कि०मी० लेपन कार्य नहीं हुआ है ? कितना कार्य अधूरा है ? क्या धन आवंटन के अनुरूप कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 96-97 एवं 97-98 में निम्नलिखित 14 मार्ग लिये गये थे ।

वर्ष 96-97

1–इकघरा को मोहम्मदी पसगवां मार्ग से जोड़ना ।

2–किरियाग पुल से माना खेड़ा ।

3–सिसौरा नासिर को गोला शाहजहांपुर मार्ग से जोड़ना ।

4–राष्ट्रीय मार्ग से जंग बहादुर गंज के पूरब से रेलवे फाटक तक जंगबहादुरगंज पिहानी मार्ग को जोड़ना ।

5–कुतुबापुर सम्पर्क मार्ग ।

6–तालसागर सम्पर्क मार्ग ।

7–मछेछा सम्पर्क मार्ग ।

8–गोला शाहजहांपुर मार्ग पर पुलिया सं० 44/2 का पुनः निर्माण ।

9–गोला शाहजहांपुर मार्ग के कि० मी० 42, 43, 47 का सुधार ।

10–मोहिद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग ।

वर्ष 97-98

11–बटैया कलवा सम्पर्क मार्ग ।

12–राष्ट्रीय मार्ग से पाल देवता ।

13–वाईकुआ सम्पर्क मार्ग ।

14–घाघंपुर सम्पर्क मार्ग ।

उपरोक्त 14 कार्यों में से 9 मार्गों पर 15-12-98 तक 10.77 कि०मी० लेपन का कार्य कराया गया जिसका विवरण निम्नवत् है :--

मार्ग	लेपन कि०मी० में
1–इकघरा को मो० पसगवां मार्ग से जोड़ना	0.70
2–किरियापुर से मानांखेड़ा	2.00
3–सिसौरा नासिर को गोला शाहजहांपुर मार्ग से जोड़ना	1.54
4–राष्ट्रीय मार्ग से जंग बहादुरगंज के पूरब से रेलवे फाटक तक जग पिहानी मार्ग को जोड़ना ।	0.43
5–कुतुबापुर सम्पर्क मार्ग	0.30
6–तालसागर सम्पर्क मार्ग	0.80
7–मछेछा सम्पर्क मार्ग	0.40
8–गोला शाहजहांपुर मार्ग के कि०मी० 42,43,47 का सुधार	3.00
9–मोहिद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग	1.60

9.00 कि०मी० लेपन कार्य नहीं हुआ ।

9.00 कि०मी० लेपन कार्य अधूरा है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में सदर विधान सभा क्षेत्र में नहर पटरी योजनान्तर्गत स्वीकृत पटरी सम्पर्क मार्ग

156—श्री चन्द्रनाथ सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में सदर तहसील/सदर विधान सभा क्षेत्र में नहर पटरी योजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर नहर पटरी सम्पर्क मार्ग स्वीकृत हैं ? स्वीकृत नहर पटरी कौन-कौन है ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद प्रतापगढ़ में सदर विधान सभा क्षेत्र में नहर पटरी योजनान्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र माधोगंज मेहदीघाट मुख्य रोड से सोलापुर की सरहद तक की अवशेष सड़क का निर्माण

157—डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत माधौगंज मेहदी घाट मुख्य रोड से सोलापुर की सरहद तक जिसकी आबादी एक हजार नौ सौ छः है, के विकास हेतु तथा जनता के आवागमन की समस्या का निराकरण हेतु अवशेष आठ सौ मीटर सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 1.00 किमी० है, जिसमें से 500 मीटर लेपित है और शेष 500 मीटर कच्चा मार्ग है । 1000 से अधिक आबादी के ग्रामों को मुख्य मार्गों से लेपित मार्ग द्वारा वर्ष 2005 तक जोड़ने की योजना है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत हरदोई उन्नाव रोड से ग्राम पिपरावा तक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण

158—डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हरदोई उन्नाव रोड से ग्राम पिपरावां तक जिसकी आबादी लगभग एक हजार पांच सौ पन्द्रह है, को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई डेढ़ कि०मी० है, का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं करायेगी तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां, निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम लोनारी रहीमपुर, गोसवापुल से ऊंचागांव तथा चकबन्द, कुरसठ मजेहदा से ग्राम उफौली गुलाब नगर के ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने व सड़क निर्माण की मांग

159—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हरदोई उन्नाव मुख्य रोड से ग्राम लोनारी रहीमपुर जिसकी आबादी लगभग एक हजार छः सौ सत्तरह है गोसवा पुल से ऊंचागांव तथा चकनन्दपुर, जिसकी आबादी एक हजार नौ सौ बत्तीस है तथा कुरसठ मजेहदा रोड से ग्राम उफौली गुलाब नगर जिसकी आबादी लगभग तेरह सौ है, को मुख्य सड़कों से नहीं जोड़ा गया है ? क्या वहां का विकास अवरुद्ध होने के साथ जनता को आवागमन में घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, लेपित मार्ग से नहीं जुड़े हैं। ग्राम लोनारी रहीमपुर की आबादी 806 है और वर्ष 1991 की जनगणना पुस्तिका में ग्राम उफौली गुलाबनगर का नाम राजस्व ग्राम के रूप में उल्लिखित नहीं है।

जनता को आवागमन में असुविधा है।

1000 से अधिक आबादी के ग्रामों को मुख्य मार्गों से वर्ष 2005 तक जोड़ने की योजना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राजाजी राष्ट्रीय पार्क में 1 जनवरी, 1998 से 15 जून, 1999 की अवधि में हाथी तथा गुलदार के मारे जाने के कारणों की जानकारी

160—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1998 से 15 जून, 1999 तक राजाजी राष्ट्रीय पार्क में कितने हाथी तथा कितने गुलदार मारे गये ? इसमें दोषी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जानवर मारे जाने के कारण क्या हैं तथा उसके निदान के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

1 जनवरी, 1998 से 15 जून, 1999 की अवधि में राजाजी राष्ट्रीय पार्क में हाथी तथा गुलदार विभिन्न कारणों से मारे जाने की सूचना निम्नवत् है :–

वन्य जीव	अवैध रूप से	प्राकृतिक रूप से	अन्य कारणों से (ट्रेन एवं विद्युत करेन्ट लगने से)
हाथी	—	10	4
गुलदार	—	—	1

चूंकि उक्त वन्य जीव अवैध रूप से मारे जाने की घटनाओं से संबंधित नहीं है। अतः इस संद किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० कानपुर नगर में दैनिक वेतन पर सर्वेयर/सुपरवाइजर कार्य करने वाले कर्मचारियों के विनियमितीकरण का मामला

161—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० कानपुर नगर में दैनिक वेतन पर सर्वेयर/सुपरवाइजर के पद पर कितने ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं जो शा० स० 1447/का-3-98 दिनांक 27-4-98 के अनुसार नियमित किये जाने की निर्धारित लगातार सेवावधि की पात्रता रखते हैं ? उक्त शासनादेश के तहत पात्र कर्मचारियों को उनके पदों पर नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ? ऐसे पात्र कर्मचारियों को कब तक उनके पदों पर नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० कानपुर नगर में दैनिक वेतन पर सर्वेयर/सुपरवाइजर के पद पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है । अतः विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न सब डिवीजनों में सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु निर्धारित टेण्डर नीति का उल्लंघन होने के संबंध में जानकारी

162—श्री अफजाल अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के लोक निर्माण विभाग के विभिन्न सब डिवीजनों में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिये टेण्डर विधिवत नहीं निकाले जाते हैं ? क्या ठेकेदारों के रैकेट में निर्माण योजना बांटी जाती है ? क्या इससे शासन द्वारा मानक के आधार पर निर्धारित टेण्डर नीति का उल्लंघन होता है तथा सही कार्य करने वाले ठेकेदार से कार्य नहीं लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी नीति बनाने जा रही है जिससे सही ढंग से टेण्डर आमंत्रित और भयमुक्त निकाला व घोषित किया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद बलिया में कोई सब डिवीजन नहीं है । लो० नि० वि० के अधीनस्थ खण्डों में सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियंताओं द्वारा विधिवत टेण्डर निकाले जाते हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं । निर्धारित टेण्डर/निविदा विभाग में पंजीकृत एवं सही ठेकेदारों को बेचे जाते हैं तथा न्यूनतम निविदादाता को विधिवत अनुबंध गठित कर कार्य सौंपा जाता है ।

जी नहीं । क्योंकि लोक निर्माण में पूर्व में ही कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वर्टिकल्स टेण्डर के आधार पर कार्य सम्पादित कराये जाने की प्रक्रिया लागू की जा चुकी है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बलिया में छितौना मालीपुर से एकइल नहर मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग

163—श्री अफजाल अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में छितौना मालीपुर से एकइल नहर मार्ग का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ और अब तक उक्त महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य किन कारणों से पूर्ण नहीं हो सका है ? क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद बलिया में छितौना मालीपुर से इकइल नहर मार्ग का निर्माण वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ हुआ। इस मार्ग में 3.50 किमी० स्वीकृत भाग वर्ष 1994-95 में लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। शेष 8.00 किमी० भाग अन्य विभाग द्वारा खड़न्जा स्तर तक निर्मित है लेकिन लेपन स्तर तक स्वीकृत नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद गोण्डा मनकापुर के अन्तर्गत चारू से सगंवां मार्ग पर मानक के अनुसार कार्य न कराने तथा भारी पैमाने पर धन के दुरुपयोग की टी० ए० सी० से जांच की मांग

164—श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत चारू से सगंवां मार्ग (अम्बेडकर ग्राम) पर मानक के अनुरूप कार्य न करवा कर धन का भारी पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है? अभी तक सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य न करवाये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की टी०ए०सी० जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं। कार्य मानक के अनुरूप करवाया गया है।

अधिशासी अभियन्ता की लापरवाही जिसके लिये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सम्पर्क मार्ग की टी० ए० सी० जांच हो चुकी है जिसमें कार्य संतोषजनक पाया गया।

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र के क्षतिग्रस्त लकड़ी के पुलों के स्थान पर पक्के पुलों के निर्माण की योजना

165—श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा में कितने ऐसे लकड़ी के पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तथा जिन पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है? क्या इन क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण कराने हेतु शासन में कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में कुल आठ लकड़ी के पाइल सेतु है जिसमें से 6 काफी पुराने हैं जो आंशिक क्षतिग्रस्त हैं परन्तु यातायात सुचारु रूप से चल रहा है।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पाइल सैतुओं के स्थान पर पक्के पुलों के निर्माण की योजना है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत दर्जीकुआं, मनकापुर, बभनान मार्ग को चौड़ा करने की सरकार की योजना

166—श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत दर्जीकुआं, मनकापुर, बभनान मार्ग के चौड़ीकरण कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्नगत कार्य कराया जाना प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई के शाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत शाहाबाद से शिरोमन नगर मार्ग पर सुखेता नाला पर पुल निर्माण कराने की जानकारी

167—श्री बावू खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 89—शाहावाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शाहावाद से शिरोमन नगर मार्ग पर सुखेता नाला पर पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 2000 है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड भरखनी गांव के चकौती खुर्द में प्राइमरी पाठशाला की जर्जर बिल्डिंग के भवन निर्माण का मामला

168—श्री बाबू खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड भरखनी गांव के चकौती खुर्द में प्राइमरी पाठशाला 40 वर्षों से चल रही है जहां की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है ? क्या सरकार छात्रों के हित में उक्त पाठशाला का नया भवन निर्मित करायेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

चकौती खुर्द में प्राथमिक पाठशाला संचालित नहीं है । विद्यालय चकौती कला के नाम से संचालित है ।

पुराने भवन के साथ दो नवीन कक्ष बनाने का निर्णय लिया जा चुका है ।

धनराशि निर्गत की जा चुकी है । कक्ष निर्माणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

169—श्री सतीश जतारिया–

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के प्राथमिक विद्यालयों में योजनानुसार इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्पों की स्थापना

170—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों पर इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद–बस्ती के प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जनपद के कुल 1204 प्राथमिक विद्यालयों में से 422 विद्यालयों में हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं । शेष 522 विद्यालयों में हैण्डपम्प की स्थापना की योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकर नगर के मेमो सं०–1998-99, दिनांक 2-7-98 के निर्देशानुसार की गयी कार्यवाही का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदन

171—श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले मंगलवार के अता० प्र० सं०–173 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकर नगर के मेमो सं०–1998–99, दिनांक 2-7-98 के निर्देशानुसार की गयी कार्यवाही का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

अनुमोदन नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आरोप सिद्ध न होने के कारण ।

172—श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद अम्बेडकर नगर पूर्व जनपद फैजाबाद की नगरपालिका अकबरपुर के लुम्बिनी दुधिया मार्ग के अतिक्रमण को हटाने की नोटिस के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी

173—श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के प्रथम मंगलवार के अता० प्रश्न संख्या–97 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभाग द्वारा भू-अभिलेखों की जांच किये बिना सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस सं०–530/इ-एच०वी०, दिनांक 30-9-93 जारी की गयी थी ? यदि हां, तो इस लापरवाही के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

उत्तरदायी सहायक अभियन्ता तृतीय प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग फैजाबाद श्री शीतला प्रसाद के विरुद्ध प्रकरण में की गई लापरवाही के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ में प्रतिबन्ध के विपरीत वाहन चालक तथा चपरासी की नियुक्ति की उच्च स्तरीय जांच

174—श्री गोपाल कृष्ण–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ में उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश सं०–290/15-10-96–15(298)/86, दिनांक 22 फरवरी, 1996 में निर्धारित शर्तों तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रतिबन्ध के विपरीत वाहन चालक तथा चपरासी की नियुक्ति की गयी है ? क्या यह सही है कि कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अभिलेखीकरण कराया है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतापनगर मेंहदीघाट रोड से सूरतपुरवा होते हुए ग्राम बघौड़ा तक सड़क निर्माण कार्य

175—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतापनगर–मेंहदीघाट रोड से सूरतपुरवा होते हुए ग्राम बघौड़ा तक जिसकी आवादी लगभग एक हजार दो सौ छियालिस है, के आवागमन की समस्या को दूर करने के लिये क्या सरकार दो किलोमीटर सड़क का निर्माण कराकर उपरोक्त सड़क से सम्बद्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

एक हजार से अधिक आबादी के ग्रामों को मुख्य मार्गों से वर्ष 2005 तक जोड़ने की योजना है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में मेंहदीघाट रोड से मगरहा तक की सड़क का निर्माण

176--डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91--मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां मेंहदीघाट रोड से मगरहा तक जिसकी आबादी एक हजार दो सो सोलह के करीब है, के आवागमन की समस्या के निदान हेतु एक कि०मी० सड़क का निर्माण सरकार द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति संभव नहीं है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत माधौगंज मेंहदीघाट रोड से ग्राम हसनपुर उचोली तक सड़क का निर्माण

177—डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत माधौगंज मेंहदीघाट रोड से ग्राम हसनपुर उचोली जिसकी आबादी लगभग एक हजार तीन सौ पैंतालिस है, के आवागमन की सुविधा तथा गांव के विकास हेतु क्या सरकार एक किलोमीटर सड़क का निर्माण कराकर मुख्य सड़क से सम्बद्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रसूलापुर से ग्राम मिठाई तक सड़क का निर्माण तथा मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

178--डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रसूलापुर से ग्राम मिठाई तक सड़क का निर्माण कराकर वहां की लगभग एक हजार नौ सौ नौ आवादी को आबाद करने की समस्या का निदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

एक हजार से अधिक आवादी वाले ग्रामों को मुख्य मार्गों मे वर्ष 2005 तक जोड़ने की योजना है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 जुलाई, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुयीं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

(श्री जगदीश नारायण राय, श्री राम चन्द्र यादव, श्री अजय भट्ट, श्री अजय कुमार पोइया, श्री राम विशुन आजाद, श्री भारत सिंह रावत एवं श्री राम सिंह सैनी की सूचनायें सदन की अनुमति से पढ़ी हुयी मानी गयीं ।)

जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापित करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाली जौनपुर का विस्तृत क्षेत्र है । दो नदी पड़ती है, लड़कियों के शिक्षा का समुचित प्रवन्ध नहीं है । विद्यालय बालिकाओं का अलग से नहीं है । क्षेत्र के विकास खण्ड धर्मापुर, मुफ्तीगंज, सरकोनी, जलालपुर में एक-एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की महती आवश्यकता है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र उक्त स्थानों में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु मांग करता हूं ताकि क्षेत्र की शिक्षा समस्या दूर की जा सके ।]

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के ग्राम पाराताजपुर (रमनी) सीलिंग भूमि नं० 1263 पर भू-माफियाओं द्वारा जबरन कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम –301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम चन्दर यादव–

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद फैजाबाद के तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत ग्राम पाराताजपुर (रमनी) सीलिंग भूमि नं० 1263 के तरफ दिलाना चाहता हूं । उक्त भूमि पर उसी गांव के भू-माफियाओं द्वारा जवरन कब्जा कर लिया गया है इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी देने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । वहां पर गांववासियों में रोष व्याप्त है कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट कराते हुये तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तरांचल क्षेत्र में राजस्व पुलिस द्वारा पुलिस कार्यों के बहिष्कार करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

[महोदय, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । पूरे उत्तरांचल क्षेत्र में पटवारी (लेखपाल) राजस्व कार्यों के अलावा पुलिस कार्य भी अंग्रेजों के समय से ही करते आ रही है । तमाम अपराधिक मामलों में मुल्जिमों को पकड़ने से लेकर पूरे केस का अनुसंधान भी पटवारी ही करते हैं पुलिस कार्य करने हेतु इन्हें कोई सुविधा नहीं है । बश एक डण्डे के बल पर हथकड़ी पहनाकर बड़े से बड़े शातिर बदमाशों को भी ये जेल में डाल देते हैं । ऐसा करने में इन्हें काफी जोखिम उठाने पड़ते हैं वर्तमान में पूरे देश के साथ-साथ उत्तरांचल क्षेत्र में भी हथियार वन्द अपराधियों का वोलवाला हो गया व लेखपाल के कार्यों के अतिरिक्त पुलिस कार्य सम्पन्न करने हेतु पूरे उत्तरांचल क्षेत्र में 22 जनवरी, 1999 से पटवारी अपनी मांगों के अतिरिक्त सुविधा पाने हेतु हड़ताल पर हैं, तथा पुलिस कार्यों का वहिष्कार किया है जिससे उत्तरांचल में अपराध वढ़ गये हैं तथा प्रथम सूचना दर्ज भी नहीं हो पा रही है क्योंकि रेगुलर पुलिस दूर दराज के गांवों में नहीं जा पा रही है अब 13वीं लोक सभा के चुनावों की घोषणा के बाद से और भी भयंकर स्थिति हो जायेगी इतने लम्वे समय से सरकार द्वारा उत्तरांचल की राजस्व पुलिस की मांगों पर ध्यान न दिये जाने के कारण वहां पर आक्रोश होना स्वाभाविक है, अपराधों की बाढ़ सी आ गयी ।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अविलम्ब कार्यवाही कर राजस्व पुलिस द्वारा पुलिस कार्यों के वहिष्कार करने से उत्पन्न स्थिति से तुरन्त हस्तक्षेप कर राजस्व पुलिस की उचित मांगों को माना जाये ताकि उत्तरांचल क्षेत्र में बढ़ रही अपराधिक मामलों पर तुरन्त रोक लग सकें तथा 6 माह से रुके पुलिस कार्यों का निस्तारण हो सके ।]

मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा अवैधानिक ढंग से की गयी नियुक्तियों को तत्काल समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अंजय कुमार पोइया–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषयक की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के कार्यालय में कार्यरत् वरिष्ठ सहायक श्री नत्थू लाल त्रिवेदी व अन्य सहायकगण द्वारा रुपये 24,03,683/- से अनधिक रुपयों की, की गयी वित्तीय अनियमितताओं को मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई एवं अन्य उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों द्वारा उसे बचाया जा रहा है । मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी द्वारा दिनांक 12-1-98 को उक्त वित्तीय अनियमितता की जांच की गयी थी जिसकी रिपोर्ट में श्री नत्थू लाल त्रिवेदी व अन्य सहायकगण को दोषी पाया गया था तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति भी की गयी थी किन्तु उसके उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों का हाथ होने के कारण उसके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

मैं यहां यह भीं उल्लेख करना चाहूंगा कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 6ठे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर में मा० मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 1990 में मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा 5 कनिष्ठ लिपिकों तथा 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां नियत वेतन पर की गयी थी । नियुक्त लिपिकों को नियत वेतन पर नियुक्तियां प्रतिवन्धित नहीं थीं । जव कि

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शासनादेश संख्या–13-9-90(1)/कार्मिक–1/1990 दिनांक 8-6-90 के अनुसार तदर्थ तथा नियत वेतन में नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्राविधान था कि "राज्य लोक सेवा आयोग के बाहर के पदों पर लागू नहीं था । मात्र राज्य लोक सेवा आयोग के पदों पर ही लागू था ।" उक्त नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन न होकर सीधी भर्तियां थीं । सीधी भर्ती पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध था । यदि नियुक्ति किया जाना आवश्यक हुआ तो महानिदेशालय से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक था जोकि मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा भर्ती के समय पालन नहीं किया गया । उक्त नियुक्तियों को निरस्त करने हेतु शासन के शासनादेश संख्या–7664/सेक–5/पांच–1990 दिनांक 10-10-90 द्वारा अवैधानिक ढंग से की गयी नियुक्तियों को तत्काल समाप्त कर दिये जाने का आदेश जारी हुआ था किन्तु उन आदेशों का उल्लंघन करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा नियुक्तियां यथावत् रखी गयीं और उन्हें अक्टूबर, 1990 को उन नियुक्तियों को नियमित भी कर दिया गया । नियुक्तियां समाप्त न हों इस डर से मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा उन्हें न्यायालय की शरण में भी दिया गया ।

अस्तु मैं मा० अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए श्री नत्थी लाल त्रिवेदी वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुये मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा अवैधानिक ढंग से की गयी नियुक्तियों को तत्काल समाप्त करने एवं नियमितीकरण के दोषी शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे गलत ढंग से कार्य करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके ।]

जनपद गोण्डा के कई कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश में बहुत से ऐसे कस्बे हैं जो नगर पंचायत का दर्जा न पाने से कस्बों का विकास अवरूद्ध हो गया है जनपद गोण्डा में वजीरगंज-मसकनवा, बभनान, कस्बें हैं । इन कस्बों में बहुत सी ऐसी समस्यायें हैं जो ग्राम पंचायत के द्वारा समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता है उक्त कस्बे बहुत ही पुराने कस्बे हैं । नगर पंचायत का दर्जा पाने योग्य हैं इनकी आबादी भी 30 हजार से अधिक परन्तु अभी तक नगर पंचायत का दर्जा शासन द्वारा नहीं दिया गया । क्षेत्रीय जनता की बराबर मांग रही है कि वजीरगंज, मसकनवां, बभनान, बाजारों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाये । मेरे द्वारा भी कई नियमों के तहत विधानसभा में इस समस्या को उठाया है परन्तु अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है ।

अतः यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है और लाखों जनता से जुड़ा हुआ सवाल है इसलिए मैं आपके माध्यम से विषय पर सरकार से वक्तव्य देने की मांग करता हूं ।]

उत्तरांचल में पटवारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

[महोदय, समस्त उत्तरांचल में पटवारियों के न्यायोचित मांगों को लेकर गत 6/7 माह से सरकारी कार्यालयों का वहिष्कार कर पूर्ण हड़ताल पर हैं । पुलिस कार्यों का पूर्णतयः वहिष्कार है । इस हड़ताल से उत्तरांचल में एफ० आई० आर० लिखने, सरकारी अभिलेखों के अनुसार प्रमाण-पत्र निर्गत न होने से सारे प्रशासनिक व पुलिस कार्य ठप्प पड़ गये हैं, जिससे जनता बहुत परेशान है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तरांचल में कानूनगो, पेशकारों को पर्वतीय संवर्ग एवं सन् 1983 के गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल पेशकार सेवा नियमावली के अनुरूप 1/3 पद प्रोन्नति से एवं 2/3 पद सीधी भर्ती से भरे जाने का प्राविधान है किन्तु इस नियमावली का अनुपालन कर सभी पद सीधी भर्ती से भरे गये हैं । प्रोन्नत तहसीलदारों को अवनत किया जा रहा है । माननीय उच्च न्यायालय ने भी 1983 के गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल के सेवा नियमावलियों को उचित ठहराया है । इस प्रकार इन सेवाओं में कार्यरत लोगों में घोर असन्तोष है ।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय समस्या को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार को समाधान के लिये निर्देशित करने की कृपा करें ।]

नगरपालिका रुड़की जनपद हरिद्वार के लघु सीमान्त कृषकों की भूमि जनहित में अधिग्रहण न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह सैनी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के अत्यधिक लोक महत्व की अविलम्बनीय समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं तथा शासन से मांग करता हूं कि इसका निराकरण तुरन्त किया जाये । मेरे विधान सभा क्षेत्र रुड़की में स्थित ग्राम पलिगर साल्हापुर, मुकरपुर, बेड़पुर कुतुबपुर, गढ़, मीरपुर की भूमि का अधिग्रहण कर टिहरी बांध के विस्थापितों को बनाने तथा उन्हें जुताई हेतु देने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है जबकि ग्राम पलिधर, साल्हापुर के किसानों की लगभग ''छः सौ बीघा भूमि'' पहले ही नगर पालिका रुड़की द्वारा सीवरेज हेतु अधिग्रहण की जा चुकी है । शेष भूमि जिसका प्रस्ताव अधिग्रहण हेतु विचाराधीन है जिसमें ज्यादातर भूमि लघु सीमान्त कृषकों की है । इस प्रकार से अन्य ग्रामों में सभी लघु सीमान्त कृषक अधिग्रहण से प्रभावित होंगे । इससे जहां टिहरी बांध के विस्थापितों को कुछ राहत मिलेगी । उक्त ग्रामों के किसान भी भूमिहीन हो जायेंगे जिनके पास जीविकायापन का कोई दूसरा साधन नहीं है । जिलाधिकारी, हरिद्वार ने भी जांचोपरान्त जनहित में तथा इन कृषकों को भुखमरी से बचाने हेतु अधिग्रहण के विरोध में अपनी आख्या शासन को भेजी है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं शासन से मांग करता हूं कि उक्त ग्रामों की भूमि जनहित में अधिग्रहण न की जाय ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13-7-1999 को नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उनमें पहली सूचना माननीय श्री प्रमोद कुमार, श्री कौकब हमीद, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री आर० एन० पी० सिंह एवं श्री अखिलेश सिंह की है । इसका निराकरण हो गया है । आज हम लोगों ने मौन श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

एक गलत परम्परा पड़ रही थी इसलिये यह प्रश्न उठाया था ।

श्री अध्यक्ष–

अब इस सूचना पर किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है ।

प्रदेश के निगमों में मनोनीत अध्यक्षों/प्रशासकों द्वारा करोड़ों रुपये अपव्यय किये जाने की नियम 301 के अन्तर्गत सूचना का उत्तर सरकार द्वारा न दिये जाने तथा तद्विषयक दिनांक 13 जुलाई, 1999 की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–19 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सदन नियमों के आधार पर चलता है । यह नियम माननीय अध्यक्ष पीठ से जारी होते हैं । हमारी सूचना नियम 301 की थी और यह पहले की थी । वर्ष 1998 में मैंने इस बात के लिये सूचना प्रस्तुत की थी कि उत्तर प्रदेश में जो सार्वजनिक उपक्रम और निगम चल रहे हैं उनमें धन का अपव्यय हो रहा है । कारपोरेशन के जो प्रशासक हैं, अध्यक्ष हैं वह डीजल और पेट्रोल का अपव्यय कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं । मैंने इस तरह की सूचना दी थी । इस सूचना का अनन्तिम जवाब यह आया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है । सूचना आने पर माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा उसके बाद 17-12-98 को मैंने एक सवाल उठाया था वह भी स्थगित हो गया । उसमें यह था कि डीजल और पेट्रोल जो प्रशासकों और चेयरमैनों द्वारा खर्च किया जा रहा है उसका ब्यौरा क्या है और कौन से निगम घाटे में हैं । मान्यवर, यह सवाल पिछले सत्र में स्थगित हुआ और आज भी यह सवाल लगा था और आज भी उत्तर आया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । आप हम लोगों के संरक्षक हैं, हम लोगों के अधिकार की रक्षा आप करें, यह सरकार कितना तानाशाही रूप अख्तियार कर रही है और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो करप्शन के मामले हैं और जो धन का अपव्यय हो रहा है और जो फाइनेंशियल करप्शन हो रहा है उस भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिये सरकार तत्पर है । सरकार भ्रष्टाचार रोकना नहीं चाहती है और बराबर 301 की सूचनाओं का उत्तर नहीं दे रही है और प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही है । यह सरासर अन्याय है । इस पर मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

*संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, एक जनरल आरोप सबके ऊपर लगा दिया यह उचित नहीं है । निगमों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये एक प्रश्न आपने किया और 301 में भी सूचना चाही । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह निगम प्रदेश के मुख्यालय पर ही नहीं हैं, विभिन्न जनपदों में स्थित हैं । सारे निगमों की सूचना एकत्र करना और सही सूचना एकत्र करना इतना आसान नहीं है । सारी जानकारी जैसे ही आयेगी आपको दे देंगे । जहां तक अध्यक्षों एवं प्रशासकों की नियुक्ति के बारे में आपने कहा है, सारे परीक्षण करने के बाद ऐसे लोगों को रखा गया है जिससे यह निगम आगे बढ़ सकें । कुरीतियों के कारण यह सारे निगम कर्जों में डूबे हुये थे । हमने एक अच्छा कार्य किया है । उसकी प्रशंसा होनी चाहिये ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बीसवीं शताब्दी तक सूचना एकत्र हो जायेगी या 21वीं शताब्दी तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय, संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो उत्तर दिया है आप अगर उस उत्तर से संतुष्ट हैं कि यह सूचना एकत्र कर रहे हैं । तो यह कब तक सूचना एकत्र करेंगे ? कोई समय सीमा होगी 15 दिन, एक महीने कब तक करेंगे, क्या अनन्तकाल तक करते रहेंगे ? मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि वह 15 दिन या एक महीने के अन्दर सदन को अवगत करायें । सदन की जो अगली बैठक हो उसमें सूचना आ जाये ।

* श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, उनका कहना है कि इतने निगमों में सूचना एकत्र करना कोई आसान काम नहीं है इससे तो ऐसा लगता है कि यह सरकार अपना सारा अस्तित्व खो चुकी है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बहुत विद्वान हैं, बहुत अनुभवी हैं लेकिन सदन में यह कह देना कि सूचना एकत्र करना कोई आसान काम नहीं हैं । इतना हास्यास्पद स्थिति है कि आप अगर संरक्षण दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इतना आसान नहीं है, सूचना एकत्र नहीं कर सकते हैं तो फिर इस पद पर बैठना उचित नहीं लगता । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप जो सूचना चाहेंगे वह एक दिन में आ सकती है क्यों कि सरकार के पास सारे साधन हैं । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का कथन सदन को गुमराह करने वाला तथा सदन का समय नष्ट करने वाला है । इतना महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया लेकिन यह कहना कि सूचना नहीं आ सकती, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के माध्यम से माननीय शाक्य जी ने आपके सम्मुख जिस समस्या का जिक्र किया है, सवाल सदस्यों के अधिकार का है । मान्यवर, जो भी माननीय सदस्य हैं प्रश्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का उनका अधिकार है । क्या यह सरकार पूरी तरह से उस अधिकार को नकार देगी । इस पर आपकी व्यवस्था आ जाये । अगर इनको ज्यादा कठिन लग रहा है सूचना भी एकत्र नहीं करवा पा रहे हैं तो पद पर बने रहने का क्या अर्थ है ?

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, प्रकरण क्या है उस पर नहीं जाना चाहता । 24 जुलाई, 1998 को माननीय शाक्य जी ने नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना दी । जो मान्य प्रक्रिया है और विधान सभा की कार्यसंचालन नियमावली है उसके अन्तर्गत एक महीने के अन्दर उसका उत्तर आना चाहिये अगर किन्हीं कारणों से उसका उत्तर नहीं आ सकता तो उसके लिये समय आपकी अनुमति से बढ़ाया जा सकता है । एक साल हो गया और यह सूचना एकत्र नहीं हो पायी । इससे मैं समझता हूं ज्यादा शर्मनाक और लज्जाजनक स्थिति सरकार के लिये नहीं है । 17-12-98 को उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है उसके बाद 23-3-99 को फिर यही उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है इस तरह से दो बार स्थगित हुआ । फिर यह प्रकरण आज की तारीख के लिये लगा और आज भी यही उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है तो कोई तो सीमा होगी नहीं तो यह विधान सभा औचित्य विहीन हो जाएगी, इस सदन का मतलब नहीं रह जाएगा यह सदन अपनी गरिमा को स्थापित करने के लिये कुछ निर्णय ले । एवं सदन की गरिमा स्थापित हो तभी सत्तापक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्यों का हित संरक्षित होगा । अन्यथा यहां बैठना निरर्थक हो जाएगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी ने इस प्रश्न को विस्तार से उठाया है । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह सदन के सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों से संबंधित है । यह प्रश्न 24 जुलाई, 1998 को लगा था इसमें निगमों के बारे में जानकारी मांगी गई थी जो आज तक प्राप्त नहीं हुई है । इसमें दो बार यह उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है । इस प्रकार एक वर्ष बीत जाने के बावजूद सूचना एकत्र होकर सदन के पटल पर नहीं आई जो गम्भीर बात है । मैं समझता हूं कि इस मामले में उत्तर न दिये जाने का अर्थ सरकार की जवाबदेही होती है । मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर रहा हूं ।

गत सत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पैकेज का विवरण दिये जाने विषयक सरकार के आश्वासन का अनुपालन न होने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न

* श्री कौकव हमीद–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । पिछला सत्र जब खत्म हो रहा था तो आखिरी दिन पीठ से निर्देश हुआ था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पैकेज का विवरण मुख्य मंत्री जी यहां दें । मुख्य मंत्री जी ने सदन के अन्दर कहा था कि कुछ दिन के अन्दर मैं कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

इसको कल लिखकर दे दें ।

श्री कौकव हमीद–

यह सदन जानना चाहता है कि अखबारों के मांध्यम से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पैकेज की सूचना पढ़ने को मिली है, वह पैसा कहां से आयेगा, कितने समय में वह लगेगा किस तरह से लगेगा, उसका कोई स्वरूप आ जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

आप कल एक सूचना लिखकर दे दें । उससे पूरा व्योरा आ जाएगा ।

स्वामी ओइमवेश–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला भी आता है लेकिन उसमें बिजनौर जिले का नाम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना कल लिखकर दे दें ।

शेष सूचनाएं श्री राम ललित चौधरी, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री लालजी वर्मा, श्री उदयराज यादव, श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री संजय गर्ग की किसी प्रकार भी नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । अतः यह निरस्त हो रही है ।

श्री राम ललित चौधरी–

हमारी सूचना से सारे सदस्यों का संबंध है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही से इसका कोई संबंध नहीं है ।

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अध्यादेश, 1999†

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999†

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1999 †

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1999 †

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 ††

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापे नहीं गये ।

†† छापी नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999†

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बेसिक, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1999 †

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1999 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1999††

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–1373/30-4-99, दिनांक 28 अप्रैल, 1999 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1999 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1989-90 एवं 1990-91†††

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 को, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–2(वाणिज्यिक) †††

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–2(वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

††† छापे नहीं गये

संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1313/सत्रह सं०-1-99-71 सं०/ 98 दिनांक 05 मई, 1999 *

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1313/सत्रह सं०-1-99-71 सं०/98 दिनांक 05 मई, 1999 को, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1999 को पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 18 फरवरी, 1999 को ही पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 19 फरवरी, 1999 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1995 को वापस लिये जाने की अनुमति के प्रस्ताव से, जिसे विधान सभा ने दिनांक 24 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था, उस पर विधान परिषद् ने दिनांक 31 मार्च, 1999 के उपवेशन में अपनी सहमति प्रदान कर दी है ।"

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अप्रैल, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया ।

---

* छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अप्रैल, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अप्रैल, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 1 अप्रैल, 1999 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का बाईसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 1999 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 मई, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का तेईसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 1999 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 23 मार्च, 1999 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 23 जून, 1999 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1999 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–17, 18 में कुछ नहीं है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9 जुलाई, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 12 जुलाई, 1999 से 15 जुलाई, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

1–दिनांक 12-7-99 को प्रश्नकाल न रखा जाय ।

2–सदन का दिनांक 12 जुलाई, 1999 से 15 जुलाई, 1999 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :–

जुलाई, 1999

12 सोमवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ।
13 मंगलवार	(1) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों । (2) उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार एवं उसका पारण––एक घण्टा । (3) 4.00 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण । (4) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :– "यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करे कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इसके पूर्व वे विघटित न की जायं ।"
14 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । (2) विधायी कार्य ।

(3) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।"

(4) "प्रदेश में सिन्थेटिक दूध के प्रयोग से होने वाली जन स्वास्थ्य की हानि से उत्पन्न गंभीर समस्या" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–दो घण्टा ।

15 गुरुवार

(1) विधायी कार्य ।

(2) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिह्न 'विधि,' रख दिया जाय ।"

(3) श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकर नगर के बहुमुखी विकास के लिए लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराया जाय एवं उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ायी जाय ।"

(4) श्री रघुनाथ सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के निवासियों को सीवर लाइन की सुविधा प्रदान की जाय ।"

(5) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।"

(6) "ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–दो घण्टा ।

(7) "प्रदेश के निर्धन व्यक्तियों को आवास विभाग द्वारा ई०डब्लू०एस०/आश्रय योजना के अन्तर्गत आवंटित क्वार्टरों के बैनामें/रजिस्ट्री में 8 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक, प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

तृतीय सत्र 1998, के दूसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री बालचन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–169 पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधित उत्तर प्रश्न संख्या–169 का दे रहा हूं–"भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा अधिष्ठापित 95 नलकूप कानपुर जल संस्थान के अन्तर्गत हैं जिनमें 74 चालू हैं तथा 2 (दो) नलकूप और चालू थे किन्तु विधिवत् हस्तान्तरण प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण कानपुर जल

संस्थान द्वारा ग्रहण नहीं किये गये हैं । 21 नलकूप निष्क्रिय हो चुके हैं जिन्हें मरम्मत कर चालू नहीं किया जा सकता । वर्तमान में उपरोक्त नलकूपों का उपयोग, संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य कानपुर जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है । जी नहीं ।"

तृतीय सत्र, 1998 के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित चौधरी रवीन्द्र प्रताप, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–130 पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधित उत्तर प्रश्न संख्या–30 का दे रहा हूं–"माननीय सदस्य श्री अजय कुमार पोइया ने अपने पत्र दिनांक 21-7-98 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष को यह सूचना दी गई है कि प्रश्नगत प्रश्न का उत्तर माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री सदन में असत्य दिया गया है । उक्त प्रश्न में श्री श्यामदेव राय चौधरी सदस्य, विधान सभा के सन्दर्भित पत्र के संबंध में उत्तर दिया गया है । 'जी नहीं' जबकि माननीय सदस्य श्री चौधरी का संदर्भित पत्र माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री महोदय के विधान भवन स्थित कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसे 17-4-98 को डिस्पैच संख्या–1535 पर चढ़ाया गया है उक्त के अतिरिक्त प्रश्न में संदर्भित माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र भी माननीय मंत्री जी के कार्यालय में दिनांक 17-4-98 को डिस्पैच संख्या–1537 पर चढ़ाया गया है । माननीय सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के संबंध में जांच करायी गयी । जांचोपरान्त यह स्थिति पायी गयी कि उक्त संदर्भित दोनों पत्र कार्यालय/सचिव, नगर विकास के कैम्प में प्राप्त नहीं हुए अपितु सीधे माननीय मंत्री जी के कार्यालय से आवश्यक कार्यवाही हेतु आवास विभाग को संदर्भित हुए थे फिर भी उक्त सन्दर्भित पत्र को माननीय मंत्री जी के कार्यालय से चेक करने का दायित्व अनुभाग के सन्दर्भदाता का बनता था जो कि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया । प्रश्नगत विधान सभा प्रश्न का उत्तर त्रुटिपूर्ण दिये जाने के संबंध में उत्पन्न हुई स्थिति के लिए सुश्री आशा शर्मा सन्दर्भदाता नगर विकास अनुभाग–7 को दोषी पाया गया जिसके लिये उन्हें अशासकीय पत्र संख्या–1235 ए/9-7-99-134ए०क्यू०/98 दिनांक 14-6-99 द्वारा चेतावनी निर्गत कर दी गई है ।"

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 **

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 पुरःस्थापित करता हूं ।

नोट :– ** दिनांक 24-7-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

स्त्रियों की प्रतिष्ठा और कल्याण की अभिवृद्धि विषयक संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं –

"यह सदन स्त्रियों की प्रतिष्ठा और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए यह संकल्प करता है कि बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाय ताकि उन्हें समाज में अपने समान अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के योग्य बनाया जा सके । प्रारम्भिक स्तर से ही ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे बालक और बालिकाओं के मन में एक दूसरे के प्रति समानता, सम्मान एवं उत्तरदायित्व की भावना आये । संचार माध्यमों को यह बोध कराया जाए कि वे स्त्रियों को असम्मानित, अश्लील एवं अशोभनीय रूप में प्रस्तुत न करें । राज्य विधान मण्डल और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु सीटों के पर्याप्त आरक्षण के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था की जाय ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति तथा प्रगति का अनुश्रवण करने के लिये और स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए नीतियों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अर्थोपायों का सुझाव देने के लिये राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक समिति का गठन किया जाय ।"

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस संकल्प पर अपने विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो संकल्प माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा हैं उसमें यह है कि राज्य विधान मण्डल और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु सीटों के पर्याप्त आरक्षण के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था की जाय । महिलाओं के बारे में इस सरकार की जो व्यावहारिक दृष्टि रही है उससे भिन्न घड़ियाली आंसू बहाने का काम और अच्छे शब्दों को चयन करके इस संकल्प को रखा है । इससे यह इनका आचरण सिद्ध होता है कि इनका इससे कोई लेना-देना नहीं है । बालिकाओं को शिक्षित करके महिलाओं को प्रतिष्ठा देना और कल्याण करना यह तो ठीक है । पूरे समाज की जो रचना है उसके आलोक में इस संसद में और विधान मण्डल में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व के लिए सीटों में आरक्षण देने की बात है तो निश्चित रूप से उसी भावना में होना चाहिए जो पिछड़ी महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं और दलित महिलाएं हैं, जो जनसंख्या का अनुपात है उसी जनसंख्या के अनुपात में अल्पसंख्यक, पिछड़ी और दलित महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए ...

श्री अध्यक्ष–

आप इस प्रस्ताव का अंतिम वाक्य देख लें । उसमें लिखा है कि उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति तथा प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए और स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए नीतियों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अर्थोपायों का सुझाव देने के लिए राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक समिति का गठन किया जाय । तो इसका गठन किया जायेगा उसमें विचार कर लेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर यह संकल्प इस बात को रखकर बनाया जाता तो यह सुझाव आता ही नहीं । समिति के गठन का हम स्वागत करते हैं । मेरा सुझाव यह है कि जिस दल की जितनी संख्या है उसके आधार पर सदस्यों को सम्मिलित करके समिति बनायें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, जो शब्दों का चयन किया गया है उन शब्दों के चयन से लगता है कि यह महिलाओं का असम्मान है । इसकी प्रथम पंक्ति में यह लिखा है कि "यह सदन स्त्रियों की प्रतिष्ठा और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए यह संकल्प करता है" तो स्त्रियों की जगह अगर "महिलाओं" होता तो यह शोभनीय होता । दूसरा राज्य विधान मण्डल और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु सीटों के पर्याप्त आरक्षण के संबंध में तो एक जगह तो महिलाओं कर दिया, दूसरी जगह स्त्रियों कर दिया, कहीं बालिकाओं कर दिया और कहीं लड़की कर देंगे । "महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु सीटों के पर्याप्त आरक्षण के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था की जाय" इसके संबंध में सुझाव यह है कि आप कितना करना चाहते हैं, 10 प्रतिशत करना चाहते हैं, 20 प्रतिशत करना चाहते हैं या फिर 33 प्रतिशत करना चाहते हैं आपकी इसमें कोई स्पष्ट नीति नहीं है ...

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है । जब हमारा संविधान शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़े वर्गों की बात करता है । संविधान में व्यवस्था की गई है उसमें समानता का अधिकार है । परन्तु जो शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से हजारों वर्षों से जो वर्ग पिछड़े हुए हैं उन्हें एक तरह से टी०बी० का पेशेन्ट कहा गया है और उनके लिए विशेष अवसर की परिकल्पना भी संविधान में की गई है । यह समानता पर आधारित है । मान्यवर, यह जो संकल्प की परिभाषा है यह राजनीति से प्रेरित है इनकी नियत साफ नहीं है जिस तरह से संविधानिक व्यवस्था है पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए उसी आधार पर इसमें शब्द लायें जाएं । सदन इससे कहां असहमत है कि आरक्षण की व्यवस्था न की जाए, जरूर की जाए लेकिन जो हम लोगों की भावनाएं हैं वह आ जाएं ।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय शाक्य जी अभी बोल रहे थे उन्होंने स्त्री शब्द को, महिला शब्द को किसी मायने में छोटा बताया है, यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ है । व्याकरण में स्त्रीलिंग, पुलिंग और शाक्यलिंग हैं । यह तीन की चर्चा की गई है । स्त्री शब्द सम्मानित शब्द है महिला शब्द किसी अर्थ में चुभने वाला हो सकता है परन्तु स्त्री शब्द चुभने वाला नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

स्त्री शब्द पर आपत्ति है क्रिया पर आपत्ति नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय अम्बिका जी ने इस संकल्प के महत्व को कम करने की चेष्टा की है निश्चित रूप से सबके मन में यह मंशा है कि जो 50 प्रतिशत के लगभग महिलाएं हैं उनको समान स्तर मिलना चाहिए सम्मान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिलना चाहिए । उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान होना चाहिए । मुझे प्रसन्नता होती है अगर एक स्वर से प्रतिपक्ष के लोग भी इस संकल्प को स्वीकार करते । मान्यवर, सब जानते हैं कि [× × ×] में महिलाओं के लिए आरक्षण न होने देने के लिए किस दल ने क्या प्रयत्न किये ? अब घड़ियाली आंसू हम बहा रहे हैं । यह वह जिन्होंने [× × ×] में अपने शासन में इसको पारित नहीं होने दिया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय डंग जी एक नया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहते हैं हमारी शुभकामनाएं हैं ।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं भाजपा का सदस्य हूं और कमल के चिन्ह पर जीत कर आया हूं । मुझे किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×] की किसी घटना का उल्लेख करके आप जो प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए शुभकामनाएं कि वह मिल जाए ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया है ।

श्री बाबूराम यादव–

[× × ×] की बात का उल्लेख कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि [× × ×] का उल्लेख न करें ।

डा० सरज़ीत सिंह डंग–

मान्यवर, संकल्प में है ताकि उन्हें समाज में अपने अधिकारों का प्रयोग कर लें तथा अपने उत्तर-दायित्वों का निर्वहन करने के योग्य बनाया जा सके ।

बालक और बालिकाओं के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मानित और सम्मान और उसमें उत्तरदायित्व की भावना हो । मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके मन में भी कहीं उत्तरदायित्व का भाव जागे । यह सच है कि आज इस वर्ग का उपयोग कई प्रकार के विज्ञापन करने में इस ढंग से किया जा रहा है जो किसी मायने में शोभनीय नहीं कहा जा सकता है, अशोभनीय ढंग से चाहे वह पाउडर का हो, चाहे नहाने के साबुन का हो, चाहे कपड़े धोने के डिटरजेन्ट का हो, हर स्थान में महिलाओं का प्रदर्शन किया जाता है और बिक्री बढ़ने के लिए कभी-कभी अशोभनीय ढंग से इस वर्ग को इलेक्ट्रानिक मीडिया पर, अखबारों में भी निकालने की चेष्टा की जाती है । अगर सरकार इस प्रकार का संकल्प लेती है कि इस तरह का बोध संचार माध्यमों को कराया जाए तो उचित है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इसमें कठोर कदम उठायेगी और ऐसे नियम बनायेगी कि अगर उनका प्रदर्शन करना हो तो शोभनीय हो ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अन्तिम वात कहना चाहता हूं कि राज्य विधान मण्डल दल और संसद में महिलाओं के उत्तरदायित्व के वारे में मैंने चर्चा की किन्तु इसी संकल्प में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के सम्मान के प्रति यह सरकार कितनी चिन्तित है । कभी-कभी प्रतिपक्ष की तरफ से आवाज उठती है कि सदन की एक कमेटी गठित कर दी जाए और सत्ता पक्ष की ओर से उत्तर मिलता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, आज जो शासन कल्याण सिंह के नेतृत्व में चल रहा है और वह इस वात को गहराई से महसूस करता है कि हमारी दोनों सदन की एक सम्मिलित समिति गठित होनी चाहिए ।

श्री जगदम्विका पाल–

सरकार कैसे चल रही है ? उन्होंने अटल विहारी वाजपेयी जी से क्या कहा है इसका भी जिक्र कर दीजिए ?

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पाल जी ने कहा है कि उसका जवाब दूंगा । पाल जी इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री नहीं अभूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं जो मुख्य मंत्री की कुर्सी को संभाले लेकिन न्यायालय ने यह निर्देश दे दिया कि इनको भूतपूर्व मुख्य मंत्री न लिखें । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस शासन ने इस वात को महसूस किया और मैं आशा करता हूं कि इसमें किसी पूर्वाग्रह के बिना किसी दुराग्रह के बिना राजनीतिक बंधन के हमको एक स्वर से इस संकल्प के समर्थन में खड़ा होना चाहिए और निश्चित रूप से जो 50 प्रतिशत हमारी जनसंख्या का हिस्सा है, जो हमारी सामाजिक रूढ़ियों के कारण, जो हमारी कानूनी कमियों के कारण, जो हमारी चली आ रही परम्पराओं के कारण उपेक्षित हैं उसको सम्मानित और सम्मान का भाव देकर उसके अर्थोपाय को, राजनीतिक स्तर पर उसका समानता का वोध हो इसके लिए पक्ष और विपक्ष से कि एक स्वर से इसका स्वागत करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प के संशोधन पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । कदाचित यह अत्यन्त गंभीर विषय है और हम लोग इस पर पूर्ण गंभीरता के साथ चर्चा ही न करें अपितु ऐसा कोई निर्णय लें जो इस देश की आधी आवादी को सम्मान ही नहीं दे सके वल्कि अधिकार भी दे सके । मैं समझता हूं कि संकल्प की भाषा अच्छी है पर नीयत बुरी है क्योंकि इनमें टालने की प्रवृत्ति है और यह एक समिति का गठन कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि पहले आप उन बिन्दुओं को ले लें जो विना समिति का गठन किये आप कर सकते हैं । यदि सरकार की नीयत साफ है तो जो काम आप पहले कर सकते हैं, उसे करने से आपको कौन रोक रहा है । इसके लिये सवसे ज्यादा आवश्यक है, राजनैतिक इच्छा शक्ति । जव तक यह इच्छा शक्ति नहीं होगी, तव तक हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं ।

दूसरी वात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम राजनैतिक दल स्वयं यह निर्णय क्यों नहीं ले सकते हैं, जिसके लिये संसद या विधान सभा के एप्रूवल की जरूरत नहीं है, यह है, अपने संगठन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की वात । मैं वधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसा पहला राष्ट्रीय दल है, जिसने अपने संगठन के संविधान में परिवर्तन करके महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित करा दिया है । हर पद पर ब्लाक स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक, आप भी इसको अपने यहां कर सकते हैं । आपने जो मंत्रि-मण्डल बनाया है, वह कुछ मामलों में अभूतपूर्व है अभी तक कभी भी 90 या उससे अधिक मंत्री नहीं रहे लेकिन गिनके देख लीजिये कि कितनी महिलायें आपके

मंत्रि-मण्डल में मंत्री हैं, सिर्फ दो और कोई नहीं । जबकि 94 लोगों का मंत्रि-मण्डल है, यह केवल 3 प्रतिशत पड़ा । आपकी तरफ योग्य महिलायें बैठी हैं, उन सबको मंत्री बना दीजिये, लेकिन आपमें राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है । एक बेचारी महिला को मंत्री बनाया भी था लेकिन उनका कसूर था, वह अल्पसंख्यक थीं, जरा स्वतंत्र थीं, उनको कल्याण सिंह ने राज्य मंत्री के पद से हटा दिया । किसी ऐसे विन्दु पर निकालते, जिस पर उनका बयान आता, कुछ बात स्पष्ट होती । खैर छोड़िये इस बात को । जब आप टिकट देते हैं तो देख लीजिये कि कितने प्रतिशत को टिकट देते हैं । आप किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, आज पूरे हिन्दुस्तान में, किसी भी प्रदेश में आपकी कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, एक को छोड़कर कोई महिला मुख्य मंत्री नहीं दी है, वह भी उनको केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल से निकालना था, इसलिये जब तीन चौथाई नाव डूब गई, तब सुषमा स्वराज को मुख्य मंत्री बना दिया । एक बात मैं यह कहना चाहता हूं यदि इसको आप अन्यथा मत लीजियेगा । आप किसी मामले में उत्तर प्रदेश में प्रथम नहीं है लेकिन एक चीज में देश भर में सबसे आगे हैं, यह बात भारत की संसद में प्रस्तुत हो चुकी है और 10 तारीख को समाचार-पत्रों में इसकी रिपोर्ट आ गई है । महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और ऐसा प्रदेश समिति बनाने जा रहा है । वैसे भी आप सुप्रीम कोर्ट की नजीर से बाद इसे 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते । यह जो आरक्षण है इस पर मैंने आपसे डिस्कस किया था और सदन में मैंने एक प्रस्ताव भी रखा था कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय और 33 प्रतिशत स्थान उनके लिये सुरक्षित कर दिये जायं । अगर वह किया गया होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिये उसके अन्दर ही इनको आरक्षण मिल जाता । मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मान लीजिये दलितों, अनुसूचित जातियों का आरक्षण 21 प्रतिशत है अगर इसी के अन्दर महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया जाय तो कहीं से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रभावित नहीं होगा । इसमें क्या दिक्कत है । लेकिन उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़े होकर विरोध कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये, अभी नियम–56 की बहुत सी सूचनायें हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज जो बिल हैं उसमें 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी । नगर पंचायतों में, पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण के लिये स्वर्गीय राजीव गांधी विधेयक लाये थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मतदान करके राज्य सभा में उस विधेयक को गिरा दिया जिससे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल पाया । आज आपको आरक्षण देने से कौन मना कर रहा है । आप स्पष्ट कीजिये । क्या सरकार शिक्षा का बजट बढ़ायेगी, संसाधन बढ़ायेगी और प्रत्येक ब्लाक में कम से कम 5 महिलाओं के विद्यालय खोलेगी । आपको कौन मना कर रहा है, आप प्राविधान कोई करना नहीं चाहते हैं । एक महिला आयोग माननीय प्रेमलता कटियार जी के समय में बना था वह भी समाप्त हो गया । यह सरकार महिलाओं को उनके अधिकार देने पर रोक लगाती है । मंत्री आप महिलाओं को बनाते नहीं हैं । विधायक आप बनाते नहीं हैं, पदाधिकारी आप बनाते नहीं हैं । आपकी नीयत साफ नहीं है । आप यह संकल्प ला करके इसको कोल्डस्टोरेज में डालना चाहतें हैं । हम सरकार की इस नीति का विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि देश में महिलाओं को बराबर की भागीदारी मिले ।

* श्री राम नक्षत्र–

माननीय अध्यक्ष जी, समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है । वह हमेशा से उपेक्षित रही हैं । उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं । महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए । महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में सरकार की मन्शा और जो सरकार की नीति है वह हम सबके सामने आनी चाहिए । सरकार उनको जो आरक्षण देने जा रही है उसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किस नीति और नियम के आधार पर वह महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था करेगी, समाज में सभी वर्गों की महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए और सत्ता में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, सरकार की यदि मंशा साफ है तो सरकार को महिलाओं के आरक्षण की नीति की घोषणा यहां पर करना चाहिए । महिलाओं को जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, जातिगत आधार पर यदि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया तो उनकी दशा में सुधार नहीं होगा । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महिलाओं को जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जाय नहीं तो इस देश में महिलाओं का राज्य कायम नहीं हो पायेगा और [× × ×] का राज्य हो जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह जो [× × ×] शब्द कहा गया है कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह निकाल दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अभी कुछ कह रहे हैं । अभी उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं उत्तर देने के लिये खड़ा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी और वर्मा जी को दो-दो मिनट का समय दे रहा हूं, वह इतने में ही अपनी बात को समाप्त कर लें ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया । इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं । मान्यवर, विधान सभा की नियमावली में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अगर सरकार द्वारा कोई संकल्प लाया जाता है तो वह संकल्प स्पष्ट होना चाहिए । आप इसकी भावना को देख लें । इस संकल्प में कई विषय हैं, कई विषयों का समावेश किया गया है । महिलाओं को आरक्षण दिये जाने की जो बात है, यह एक अलग बात है, यह एक अलग विषय है, इसको भी इसी में ले आये हैं । आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहें कि वह एक स्पष्ट संकल्प सदन में लायें । हम लोग सहमत हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिये । महिलाओं के लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा में सीटें आरक्षित की जायें और उनके कल्याण की बातें की जाये । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पहले महिलाओं के कल्याण की बात होनी चाहिए । उनकी सुरक्षा की बात होनी चाहिए । आज सबसे ज्यादा महिलायें असुरक्षित हैं । वह कहीं जा नहीं सकती हैं । उनकी सुरक्षा नहीं है ।

(इस समय 1 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल क्राइम रिकार्ड है, उसके आंकड़े मेरे पास हैं, उनके अनुसार जून, 1998 से जून, 1999 तक देश में सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार हुये हैं जो उत्तर प्रदेश में हुये हैं । मान्यवर,

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे थोड़ा और समय दे दें मैं समाप्त करता हूं । श्रीमन् मैं नेशनल क्राइम रिकार्ड द्वारा जून, 1998 से जून 1999 के बीच उत्तर प्रदेश की महिलाओं के ऊपर सर्वाधिक उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटनाएं हो रही है जिसकी संख्या–16 हजार 329 घटनाएं हुई हैं । मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इतनी घटनाएं नहीं हुई हैं ये भारत सरकार के आकड़े है । श्रीमन् हम कहते हैं कि जो लोग कल्याण और वृद्धि और अवृद्धि की बात कर रहे हैं । इस सरकार का संकल्प था । प्रदेश में हर नागरिकों की सुरक्षा देंगे ।आज इस राज्य में डेढ़ साल के कार्यकाल में सर्वाधिक महिलाओं और बहनों के ऊपर अत्याचार हुये हैं । श्रीमन् इसमें कोई ऐसी व्यवस्था की गयी होती जिससे खेत और खलिहान में हमारी माताएं और बहनें काम करती हैं उनकी सुरक्षा होती ।

श्रीमन् जो प्रशासनिक मशीनरी है वह उत्तरदायी है लेकिन वह हमारी मां व बहनों की सुरक्षा करने में असमर्थ है । यह सरकार अपने को संवेदनशील सरकार बताती है लेकिन वह हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं कर पा रही है इससे खेद की और क्या बात हो सकती है । हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर 16 हजार 309 घटनाएं हो गयी हैं । इतनी घटनाएं और कहीं पर भी नहीं हुई हैं पुलिस जो है वह वे गुनाहों पर अत्याचार कर रही है उनको परेशान कर रही इन सारी चीजों को सरकार को रोकना चाहिए परन्तु यह सरकार रोक पाने में असमर्थ है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस अफसरों के जो तबादले होते है वह राजनैतिक आधार पर होते हैं अगर कोई योग्य अधिकारी है तो उसको राजनैतिक आधार पर हटा दिया जाता है । मान्यवर, आज तमाम ऐसे विकास खण्ड है जहां कन्याओं के लिए विद्यालय नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है । सरकार जो यह संकल्प लायी है यह स्पष्ट नहीं है । इसमें कई विषयों का समावेश किया गया है यह उचित नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बना दी जाए । यह समिति उस पर विचार करें ।

* श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मा० अधिष्ठाता महोदय, इस संकल्प पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस संकल्प से इस सरकार की असली मन्शा उजागर हो गयी है सरकार ने इसमें समेकित विषयों का उल्लेख किया गया है। अगर महिलाओं के उत्थान के लिए अलग से संकल्प लाया गया होता तो अच्छा होता तो संकल्प की भाषा भी स्पष्ट और साफ होती। श्रीमन्, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि यह वही सरकार है जो डेढ़ साल के पूर्व सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में आधे की हिस्सेदार थी। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए उनकी दिक्कतों की समाधान के लिए, उनके चतुर्दिक विकास के लिए महिला आयोग का गठन किया गया था और उस मंत्रिमण्डल में भारतीय जनता पार्टी आधे की हिस्सेदार थी। उसमें इनकी भी सहमति रही होगी। लेकिन जब यह सत्ता में आये तो इन्होंने उस महिला आयोग को भंग कर दिया। आज यह महिला उत्थान, उनकी तरक्की और उनके आरक्षण के बारे में चिन्ता का स्वांग कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी नीयत उस दिन उजागर हुई जिस दिन आयोग को समाप्त कर दिया। उस दिन आपने अपनी नीयत महिलाओं, स्त्रियों और बालिकाओं के प्रति स्पष्ट कर दिया।

आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि हम जिस समाज में रहते है यह समाज विसंगतियों से भरा समाज है इसलिए हमारे पुरखों ने भारत के संविधान की रचना की बात कही है। समान अवसर की जगह विशेष अवसर की बात संविधान में किया है। विषम समाज में समानता का अवसर या उन उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा जो हजारों वर्षों से वंचित हैं। यदि उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत साफ होती तो भारत के संविधान को लिखने वाले समान अवसर की जगह विशेष अवसर की व्यवस्था किये। इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि विधान मण्डलों में कितने प्रतिशत जगहें महिलाओं को आरक्षित करने का इन्होंने संकल्प किया है। आपसे कहना चाहता हूं कि उ०प्र० सरकार की मंशा साफ होती तो हजारों वर्षों से जो सामाजिक तौर पर वंचित लोग हैं, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनके परिवारों में जो महिलायें हैं उनकी परिस्थितियों दूसरी हैं, वह दूसरी परिस्थिति में जाती हैं। भारत के संविधान में विशेष अवसर की बात कही गयी है जो आप 33 प्रतिशत आरक्षण देने जा रहे हैं उसमें दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक महिलाओं का समुचित प्रतिशत होना चाहिए। संकल्प पेश करने वाले संसदीय कार्य मंत्री जी विद्वान आदमी हैं। शिक्षा की बात उन्होंने की है लेकिन आजादी के बाद राजकीय बालिका विद्यालय कितने खोले गये ? प्रदेश सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है। अंग्रेजों के जाने के बाद उ० प्र० की सरकार ने कितने राजकीय विद्यालय व महाविद्यालय खोले।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

यह जो हमारा विषय समाज है, इस सामाजिक संदर्भ में जो समानता की बात है यह छलावा है। इसलिए इस संकल्प की जो भाषा अस्पष्ट है उससे उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत स्पष्ट होती है। हम उससे पूरी तरह से असहमत हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा सुनिश्चित तौर पर इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि उन्हें विशेष अवसर दिया जायेगा। समाज के जो दलित, पीड़ित और वंचित लोग हैं, उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि यह चिन्ता सरकार का है तो फिर समिति न बनाकर अधिकार सम्पन्न पूर्व की भांति महिला आयोग जिसे इन्होंने समाप्त किया था उसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुनर्जीवित करे । समिति से महिलाओं का उत्थान होने वाला नहीं है । यदि यह उसका उत्थान चाहते हैं तो बालिका शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर राजकीय विद्यालय खोले, महाविद्याल्य खोले, उन्हें शिक्षित करें । मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जो यह संकल्प है, इस संकल्प में वर्तमान सरकार की मंशा इनकी नीयत और नीति पर प्रश्न चिह्न लगता है श्रीमन्, इन्होंने कहा है कि हमारी ऐसी शिक्षा है । जिसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो आप स्वयं विज्ञ हैं कि हमारे देश की मान्यता रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इसी देश में एक ऐसा समय भी वर्ष 1980 में आया जब माया त्यागी काण्ड हुआ । माया त्यागी काण्ड में उस समय आदरणीय चरण सिंह जी थे उनके निर्देश पर हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने आवाह्न किया था । त्यागी काण्ड जो हुआ था वह इस देश का शर्मनाक काण्ड था उस समय माया त्यागी को नंगा किया गया था उसके पति के सामने उसके साथ बलात्कार किया गया था जब एक दुकानदार ने अपना अंगौछा उसको दे दिया तो उसको भी मारा गया उस समय किसकी सरकार थी यह हम सभी जानते हैं । महिलाओं के लिए अगर सही मायने में किसी ने लड़ने का काम किया है तो वह हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने और समाजवादी पार्टी ने लड़ने का काम किया ।

इस सदन में हम सब लोग जीतकर आते हैं यहां 424 की संख्या है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की कितनी बहनें हैं, यह सरकार घड़ियाली आंसू बहाने का काम करती है लेकिन इसी सरकार में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है इसका पता आपको आने वाले दिनों में चलेगा । इस सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक भी महिला इण्टर कालेज की व्यवस्था नहीं हुई है । हमारी सरकार थी श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस समय हम लोगों ने फैसला किया था कि तीन साल के अन्दर समूचे उत्तर प्रदेश में कम से कम एक ब्लाक में एक लड़कियों का इण्टर कालेज जरूर बन जाएगा । लेकिन आज तक इन्होंने उस कानून को बट्टे खाते में डाल दिया । उस पर परदा डालने का काम किया गया हैं । इनकी नीयत साफ नहीं है अगर इनकी नीयत साफ होती तो जो सैकड़ों साल से दलित शोषित पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं उनकी चिन्ता पहली बार श्री मुलायम सिंह यादव ने की थी उनको आगे बढ़ाने का काम किया था । उनकी यह चिन्ता करते । श्री मुलायम सिंह जी ने उनको बी०डी०सी० बनाने का काम किया जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया श्रीमती जानकी पाल जो पिछड़ी जाति की महिला है वह हमारी पार्टी से जिला पंचायत चेयरमैन बनी हैं । अगर यह संकल्प में पिछड़ी जाति, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक जाति की महिलाओं की चिन्ता करते तो मैं इनको बधाई देता और संकल्प का समर्थन भी करता लेकिन इनके मन में छलावा है कपट है व इनकी कथनी और करनी में अन्तर है इसलिए मैं संशोधन करना चाहता हूं । इसलिए यह संशोधन किया जाए कि दलित शोषित पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे । अगर यह इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो मैं इस संकल्प का स्वागत करूंगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि कम से कम बहुजन समाज पार्टी के किसी सदस्य को बोलने का आपने समय दिया । आज इस देश की आबादी का आधा हिस्सा उपेक्षित और पिछड़ा है प्रचार एवं विज्ञापन एजेंसियां या बड़े लोग इनको अपने प्रचार के माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं । यह संकल्प बहुत अच्छा है लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के रूप में महिलाओं का शोषण करना चाहती है । निश्चित रूप से यदि इनकी नीयत में खोट नहीं होता तो प्रदेश में बनी हुई महिला आयोग को भंग करने का कार्य इस सरकार द्वारा न किया गया होता । आज महिलायें आर्थिक रूप से आत्म निर्भर नहीं हैं और विभिन्न विज्ञापनों तथा प्रचार एजेन्सियों के माध्यम से जिस निम्नतम स्तर पर महिलाओं का प्रयोग किया जाता है यह बहुत ही अनुचित है । इसके लिए कोई न कोई ठोस उपाय किये जाने चाहिए । यदि इस दशा में इनकी नीयत ठीक हो तो स्वागत योग्य है । मान्यवर, विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से और अश्लीलता के माध्यम से महिलाओं को जिस तरह दिखाया जाता है उसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं, इस अपराध को घटाने के ठोस उपाय होने चाहिए । तरीका तय करने के लिए हमारा सदन एक माध्यम है । सदन की एक कमेटी बने किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता है । एक शंका होती है, इसी सदन में प्रस्ताव पारित हुआ कि हम उत्तरांचल को अलग राज्य बनायेंगे परन्तु आज तक उसे आप नहीं बना सके ।

इसी प्रकार बजट समितियों को बनाने के लिए एक अध्ययन समिति बनी थी और विधान सभा की एक समिति बनाई गयी थी । उसकी रिपोर्ट आ गई है परन्तु वह रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है । मैं इस संकल्प में यह संशोधन करते हुए प्रस्ताव करना चाहता हूं कि सभी दलों की समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक विधान मण्डल की समिति बनाई जाय और साथ ही साथ समिति की सिफारिश, राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हो । यदि इस संशोधन के साथ यह संकल्प पास होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी । हमारा यह मानना है कि जानकारी प्राप्त करने हेतु जिन उपायों की बात कही है, जिससे उनको जानकारी मिल सके और वह अपने अधिकारों का प्रयोग और उत्तरदायित्व का निर्वहन योग्यता के साथ कर सकें इस कड़ी में इसका एक आवश्यक माध्यम है । इसलिए प्रदेश में महिलाओं को शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किये जायं । सरकार द्वारा वित्तविहीन की शिक्षा तो प्रारम्भ कर दी गयी परन्तु वित्त सहित बन्द कर दी गयी । जहां तक बच्चों की शिक्षा की बात हो सकती है वित्तीय कारणों से आप न कर पा रहे हों परन्तु महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं के विद्यालय हेतु वित्त सहित मान्यता के लिए एक संकल्प पहले राज्य सरकार लाये जिससे कि महिलायें योग्य बन सकें, आर्थिक रूप से सफल हो सकें और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही ढंग से कर सकें । इसी संशोधन के साथ में चाहूंगा कि इसको प्रस्तुत कर पारित किया जाये ।

*श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, संकल्प के रूप में जो प्रकरण यहां पर आया है मैं समझती हूं कि सरकार की मंशा साफ नहीं है । महिलाओं के प्रति सबको हमदर्दी रहती है परन्तु जब उनकी शिक्षा की बात आती है तो किसी न किसी रूप में टाल दिया जाता है । इसलिए मेरा कहना है कि महिला आयोग का गठन होना चाहिए और मैं तो 33 प्रतिशत से ऊपर जाकर कहती हूं कि महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए । 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया जाय । आप महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं । धरना हो, प्रदर्शन हो चाहे मीटिंग हो इसमें महिलाओं को चाहते हैं कि वे आगे आयें उसमें उनकी भागीदारी चाहते हैं, तो मान्यवर, आपको आरक्षण देने में क्या दिक्कत है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से निवेदन करना चाहती हूं आज महिलाओं को पुरूष लोग दबाये हुए हैं । लेकिन मैं चाहती हूं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए । महिलाओं को [×××] नहीं बनाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठात्ता–

यह शब्द कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्रीमती गौरी देवी–

निकाल दीजिये । मान्यवर, यह महिलाओं को बेवकूफ बनाते हैं । आज भी मान्यवर, महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है । आप जो संकल्प लेकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आये हैं । यह लोग महिलाओं के प्रति बड़ा सम्मान दिखाते हैं कि उनका भला चाहते हैं, उनके प्रति हमदर्द बनते हैं । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूं कि वहां पर राजकीय इन्टर कालेज नहीं है । हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं । हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौड़ीराम के अलावा बीच में राजकीय इन्टर कालेज नहीं है । महिलाओं को गोरखपुर पढ़ने के लिये आना पड़ता है । हम कई बार माननीय मंत्री जी को लिखकर दे चुके हैं कि वहां पर राजकीय इन्टर कालेज खोला जाय । अगर वह सरकार महिलाओं के प्रति हमदर्द है तो जैसा कि अभी हमारे तिवारी जी कह रहे थे कि यह सरकार महिलाओं के प्रति वफादारी की बात कर रहे थे । अगर इस सरकार को महिला के प्रति हमदर्दी है, वफादारी हैं, तो उनके लिये आरक्षण को 50 प्रतिशत करना होगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब खत्म करें । पुनरावृत्ति हो रही है ।

श्रीमती गौरी देवी–

महिलाओं के प्रति हमदर्दी है इन्होंने कितनी महिला मंत्री बनाई । आज आप आरक्षण की वात करते हैं । जब आरक्षण की बात आती है तो वहां पर आप महिलाओ को पीछे धकेल देते हैं । मैं चाहती हूं कि महिला आयोग गठित किया जाय । महिलाओं को 33 नहीं 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय । मैं अधिक समय नहीं लूगीं । आपसे निवेदन करती हूं कि राजकीय इन्टर कालेज महिलाओं के लिये खोल दिया जाय, उनके विकास के लिये, उनके उत्थान के लिये । आपकी स्त्री के प्रति चिन्ता है, बालिका के प्रति चिन्ता है लेकिन आपका दिल दिमाग साफ नहीं है । कोई महिला उधर की इस विषय पर बोलती तो मैं उसका स्वागत करती । उनको बोलना चाहिए था लेकिन महिलाएं अपने अधिकार के लिये बोल नहीं रही हैं सीट छोड़कर चली गई हैं अपने अधिकार के लिये लड़ाई लड़नी चाहिए । मैं 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग महिलाओं के लिये करती हूं और यह संकल्प जो है इसका विरोध करती हूं ।

महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस प्रदेश की आधी आबादी के प्रति, उनके लिये शिक्षा, उनके लिये आर्थिक स्वावलम्बता, सुरक्षा आदि की व्यवस्था के प्रति जो संकल्प रखा है मैं नहीं समझती थी कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता इस फोरम पर होगी क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं के प्रति किये गये शिक्षा के क्षेत्र के कार्य, उनके आर्थिक स्थिरता के प्रति किये गये कार्य, उनकी सुरक्षा के लिये का ई चिन्ता हमारे यहां बैठे माननीय साथी और सहयोगियों को पूरी तरह से अवगत होंगे और इस

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संकल्प के प्रति अपने विचार रखते हुए वह उन कार्यों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए उसमें कुछ अन्य जोड़ने का सुझाव देने का काम करेंगे लेकिन मैं हतप्रभ हूं यह सुनकर कि माया त्यागी की बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है लेकिन रामपुर तिराहे की कोई चर्चा नहीं हो रही है इसी के साथ-साथ राजधानी में गेस्ट हाउस जैसे काण्ड पर कोई नहीं बोला शिक्षा के क्षेत्र में किया गया अभूतपूर्व कार्य:..

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट के कुछ खड़े होकर कहने पर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश के 904 ब्लाक में, हम सब आज यह ऐतिहासिक बात करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं हमारी सरकार ने प्रत्येक ब्लाक को 10 लाख का नहीं 20 लाख रुपये का योगदान देकर बालिकाओं के इण्टर कालेज प्रत्येक ब्लाक में खोल दिए हैं यह शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। न्याय पंचायत में दूसरे तीसरे कालेज निजी क्षेत्र के माध्यम से खोलने के प्रस्ताव आ रहे हैं उसमें भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख देने का कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय स्तर के कालेज कन्याओं के खोलने की जहां तक बात है उसमें 50 लाख रुपये का योगदान देकर बालिकाओं की इस प्रदेश की आधी आबादी शिक्षित कर उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। यह हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। इसी के साथ पहली बार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को नौकरी में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की बात हुई है पहली बार उत्तर प्रदेश में 62 करोड़ की योजना महिलाओं के आर्थिक उत्थान में योगदान देने के लिए बनाई है जिसका तमाम महत्वपूर्ण अंश हमारे आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों को दिया है। यह उपलब्धियां माननीय कल्याण सिंह जी के समय की हैं इसकी चर्चा होनी चाहिये थी। पहली बार हम महिला नीति बना रहे हैं जहां तक आयोग के गठन का प्रश्न है सबके स्मरण में होगा हमारे सम्मानित सदन में पिछली बार महिला आयोग का गठन किया है इसी सम्मानित सदन ने किया है और विधिवत किया है अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ पहली बार उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा यह उल्लेखनीय कार्य किया गया है कि महिला कल्याण राज्य राजेश्वरी प्रीमियम योजना को शुरू किया है राज्य सरकार प्रीमियम की प्रतिपूर्ति अपनी तरफ से करेगी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली सम्पूर्ण महिलाओं का दस साल और 75 साल की उम्र का जोखिम कवर किया है।

यह पहली बार हुआ है कि प्रीमियम सरकार देगी। यहां तक कि प्रसव के दौरान एक सप्ताह के अन्दर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे के लिए 25000 रुपये देय होंगे। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली महिला के पति की आकस्मिक मृत्यु होने पर इस बीमा योजना के अन्तर्गत 25 हजार रुपये देय होंगे। इसमें वह कोई प्रीमियम नहीं देगी। पहली बार वृदांवन और बनारस में आठ हजार विधवाओं को चिन्हित करके हमने उन विधवाओं के लिए व्यवस्थाएं प्रारम्भ की हैं। और इन व्यवस्थाओं में केवल उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं पश्चिम बंगाल की सरकार का भी योगदान होगा। पश्चिम बंगाल से आयी विधवा महिला को तीन सौ रुपया प्रति माह पश्चिम बंगाल की सरकार देगी। तो उनकी आर्थिक उन्नति के लिए यह सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है और इस संकल्प के तहत मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं एवं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्णकार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह संकल्प लाये और मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि आज वे लोग जो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, जाति में बांटने का काम कर रहे हैं उन्हें यह नहीं मालूम कि महिला तो महिला है उसकी कोई जाति नहीं है। उसकी जाति एक है। जब पार्लियामेंट में जब यह विधेयक लाया गया था उस समय भी उन्होंने इसे जाति में बांटने का काम किया था। लेकिन महिला तो महिला है उसे जाति बिरादरी में आप न बांटें।

(श्री राम जग जी का नाम पुकारे जाने पर वह खड़े नहीं हुए)

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस वक्त यह संकल्प मैंने प्रस्तुत किया था....

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा नाम भी इस संकल्प में था । इसलिए निवेदन है कि मुझे भी वोलने का मौका दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन उस समय आप मौजूद नहीं थे । आप फिर किसी विषय में बोल लीजियेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि दो मिनट सुन ले ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन सुन लें । किसी माननीय सदस्य को अवसर न देने की बात मैं सोच भी नहीं सकता हूं । इनका नाम मैंने सबसे पहले पुकारा था लेकिन उस समय आप उपस्थित नहीं थे । मेरा निवेदन है कि अभी और भी कार्य बाकी हैं और उसमें समय लगेगा । आप बड़े हैं, अनुभवी हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसमें सहयोग देंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह संकल्प जो मैंने प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैंने कोई भाषण इस कारण नहीं दिया था कि मैं यह नहीं समझता था कि यह विवाद का विषय बनेगा । यह संकल्प किसी पार्टी का नहीं है, यह सदन का है और अगर किसी माननीय सदस्य को किसी एक पंक्ति और शब्द के ऊपर आपत्ति होती तो उसे संशोधन के रूप में ले आते और हम उसको स्वीकार कर लेते । मान्यवर, मैंने इसकी एक-एक पंक्ति और शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ा है । 8 जुलाई, 98 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सारे विश्व में मनाया जा रहा था तो भारत के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिबद्धता इसमें प्रकट की और उसी परिप्रेक्ष्य में भारत की संसद में दोनों सदनों में यह संकल्प लाया जा चुका था उसी कड़ी में हमने विचार करने के उपरान्त यह सोचा था कि प्रदेश के दोनों सदनों में संकल्प पारित कराये । इसके दो भाग हैं एक प्रतिबद्धता हमारी क्या है हम क्या स्वरूप इस प्रदेश में स्त्री समाज को देना चाहते हैं क्या-क्या उनके बारे में करने की इच्छा है कोई भी सरकार हो वह सरकार किस संकल्प के अनुरूप काम कर रही है या नहीं कर रही है उसका अनुश्रवण करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई जाए केवल संकल्प प्रस्तुत करने से काम समाप्त नहीं होता है । मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई एक राजनीतिक दल कोई एक सरकार ही इसमें काम नहीं कर सकेगी जब तक सारे सदन का सहयोग नहीं होगा । संकल्प के रूप ये प्रस्तुत किया गया है और पारित हो गया तो पारित होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होगी, आज यह सरकार बैठी हुई है कल दूसरी सरकार बैठ सकती है । तो संकल्प के अनुसार काम हो रहा है यह जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए दोनों सदनों की समिति को सृजित करने का प्राविधान रखा गया है ।

मान्यवर, मैं बधाई देता हूं कि माननीय शाक्य जी को जिन्होंने एक शाब्दिक शब्द के सम्बन्ध में कहा कि स्त्री शब्द नहीं होना चाहिए । सम्भवतः इसी शब्द कई अर्थ निकलते हैं वह सम्भवतः उस समय कहीं और पहुंच गये होंगे किसी और स्त्री की तरफ ध्यान होगा । स्त्री तो बहुत ही सम्मानजनक शब्द है बहुत

सम्मानित शब्द इसमें निकलता है । बाकी हमारे सम्मानित नेता राष्ट्रीय कांग्रेस विधान मण्डल दल ने बहुत ही ओजस्वी शब्दों में कहा कि हमारी पार्टी ने यह किया । आप आज 17 माननीय विधायक हैं कोई महिला नहीं हैं । बार-वार बोला जा रहा था कि हमने यह विचार किया इतनी महिलाएं होगीं हमने उनके लिए आरक्षण कर दिया । कोई महिला आपके दल में बैठी हो इसको देखने में हम असमर्थ हैं । अभी हमारे माननीय सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कहीं और पहुंचे हुए थे । मान्यवर, यह संकल्प इस रूप में सर्वसम्मति से दोनों सदनों में संसद में पारित हुआ और सभी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व वहां पर था । इस पर कोई आपत्ति की बात नहीं आनी चाहिए थी । हम आप सभी मिलकर प्रदेश के लिए आदर्शों की प्राप्ति कर सकेंगे हमने इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया है इसके वावजूद भी कुछ लोगों ने प्रयास किया अभी आप ने आयोग की बात कही दो बार आपको यहां नेतृत्व करने का अवसर मिला कितनी महिलाएं थी कैबिनेट में । हमारे यहां तो हैं आपके सामने वैठी हैं । आप हमसे जवावतल्बी करना चाहते हैं । किसी शब्द के ऊपर आपत्ति हो किसी वाक्य के ऊपर आपत्ति हो तो बात कहीं जाती आपसे आग्रह करता हूं कि पूरे सदन और पूरे प्रदेश की जनता के भाव की अभिव्यक्ति की गई है सर्वसम्मति से इसे पास करें एक संयुक्त समिति होगी जो बराबर अनुश्रवण करेगी । इन्हीं शब्दों के साथ अपील कर रहा हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मत्ति से इसे पारित करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

"यह सदन स्त्रियों की प्रतिष्ठा और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए यह संकल्प करता है कि बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाए ताकि उन्हें समाज में अपने समान अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के योग्य वनाया जा सके । प्रारम्भिक स्तर से ही ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बालक और वालिकाओं के मन में एक दूसरे के प्रति समानता, सम्मान एवं उत्तरदायित्व की भावना आये । संचार माध्यमों को यह वोध कराया जाए कि वे स्त्रियों को असम्मानित, अश्लील एवं अशोभनीय रूप से प्रस्तुत न करें । राज्य विधान मण्डल और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु सीटों के पर्याप्त आरक्षण के सम्वन्ध में सम्वैधानिक व्यवस्था की जाए ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति तथा प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए और स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए नीतियां परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अर्थोपायों का सुझाव देने के लिए राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक समिति का गठन किया जाए ।"

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मत विभाजन करा दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं मत विभाजन की मांग करता हूं, मत विभाजन कराया जाए ।

(विरोध पक्ष के अधिकांश सदस्यों द्वारा मत विभाजन की मांग करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं, आप लोग स्थान ग्रहण करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विपक्षी सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन की मांग करने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं लाबी डिवीज़न की बात कह रहा हूं और आप गेट नहीं बन्द करा रहे हैं और माननीय सदस्य बराबर अन्दर आ रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, आप अकेले बोलें ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप लाबी डिवीजन करायें हमारी संख्या ज्यादा है और सरकार की कम है । मैं वही बार-बार कह रहा हूं फिर भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी आप दरवाजे बन्द करवाइये ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिये ।

(प्रतिपक्ष के अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

पीठ से बेईमानी की कोई बात नहीं होनी चाहिये । पहले आप गेट बंद कराइये ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने अपनी बात कही, अब संसदीय कार्य मंत्री क्या कहना चाहते हैं, उसको तो सुन लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

हां न कराने के बाद आपको अधिकार नहीं है, जो आप कह रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

विभाजन की प्रक्रिया के लिये आप पुस्तिका को देंखे । यह प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती, तब तक विभाजन कैसे होगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

आप गेट क्यों नहीं बंद करा रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मैंने यह संकल्प जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया था और उस समय मैने माननीय सदस्यगणों से अपील भी की थी .....

श्री प्रमोद कुमार–

हां-न हो चुका है, इसके बाद अब भाषण नहीं होगा । आप गेट बंद कराइये और घण्टी बजवाइये ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

घंटी बजने के 5 मिनट बाद गेट बंद होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप नियम समझ लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप नियम 298 देख लें ।

श्री अधिष्ठाता–

जो आपकी चिन्ता है, वही मेरी भी है, मैं भी यही चाहता हूं कि जो भी हो, नियमानुसार हो, उसकी एक प्रक्रिया है, मैं पढ़कर सुना देता हूं । यदि कोई वाद-विवाद या तो स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाय या विवादान्त से समाप्त किया जाय तो अध्यक्ष द्वारा सदन के समक्ष प्रश्न रखा जाता है । जो प्रस्ताव के पक्ष में हों उनसे ''हां'' कहने और जो विपक्ष में हों उनसे ''नहीं'' कहने के लिये कहा जाता है और अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी, यथास्थिति, कहते हैं कि ''हां'' या नहीं की संख्या अधिक है ।'' यदि पीठासीन व्यक्ति के इस कथन पर आपत्ति न की जाय तो वे कहते हैं कि ''इसलिये यह प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत हुआ,'' और अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार परिणाम घोषित किये जाने के बाद उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी । अभी प्रक्रिया बाकी है । 5 मिनट की घंटी बजायी जाती है और फिर दरवाजे बन्द किये जाते हैं । आप पहले प्रक्रिया तो पूरी होने दें ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मैं अपनी बात नहीं कह पाया था ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

जो प्रक्रिया है, उसका पालन करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रक्रिया का पालन होगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आदेश देता हूं कि घन्टी बजायी जाये ।

(5 मिनट के लिये घन्टी बजायी गयी ।)

घन्टी बजाने का नियम बंधा हुआ है, घन्टी अपने आप 5 मिनट बाद बन्द हो जाएगी । दरवाजा बन्द हो जाए न कोई अन्दर आ सके और न कोई बाहर जा सके ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पटल के गेट से लोगों को अन्दर लाया जा रहा है उसको रूकवायें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया देखें कि कोई दरवाजा खुला न रहे और सारे दरवाजे वन्द करा दिये गये हैं ।

श्री वरखू राम वर्मा–

लावी के दरवाजे बन्द करवा दिये जाएं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सारी चीजें नियमानुसार ही की है । यह आपका दुराग्रह है जो आप यह कह रहे हैं कि घन्टी पहले वजाई जानी चाहिए । घन्टी प्रक्रिया के अनुसार ही वजाई जाती है ।

श्री हुकुम सिंह–

मेरी आपत्ति है यह अनर्गल आरोप पीठ पर लगा रहे हैं ये इसी वात पर उतरे हैं । हम लोग संख्या के बल के आधार पर यहां वैठे हैं ।

श्री वी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह आवश्यक हैं कि दोनों पक्षों के अपने-अपने विचार आ जाए और उनके आने के वाद आप प्रश्न प्रस्तुत करें । प्रश्न उपस्थिति होने के उपरान्त ही विभाजन की कार्यवाही करें ।

(व्यवधान)

श्री वावूराम यादव–

मान्यवर, नियमावली को आपने भी पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है । नियमावली में यह चीज है कि जव कोई सदस्य खड़े होकर कहता है कि मत विभाजन किया जाय तो उसी क्षण आपको दोनों दरवाजे वंद करा देने चाहिए जो आपने नहीं किया । घंटी केवल लावी में उपस्थित सदस्यों के आने जाने के लिये है । जव मतदान के लिये मांग की जाय तो वाहर के सदस्यों को नहीं बुलाया जा सकता यह सदन की परम्परा रही है । मान्यवर, जिस कुर्सी पर आप वैठे हैं यह वहुत गरिमामयी कुर्सी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बार बार अरोप लगाये जा रहे हैं, मैं इस पर आपत्ति करता हूं ।

श्री बावूराम यादव–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी की गरिमामयी शब्द पर आपत्ति है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय वावूराम जी ने गरिमामयी शब्द का प्रयोग किया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कहते हैं कि मुझे इस पर आपत्ति है ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, घंटी बजने के बाद जो सदस्य उपस्थित होते उनकी गणना हो जाती । [×××]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाबूराम जी, इस पीठ पर बैठे हुये व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष भाव से नियमावली का, हस्तपुस्तिका का, परम्पराओं का पालन करे । एक ओर यह अपेक्षा है और दूसरी ओर नियमों का उल्लंघन करने का आग्रह, दोनों एक साथ नहीं चल सकते ।

मुझे ऐसा विश्वास था कि आप इस सदन के बहुत सम्मानित और बड़े अनुभवी सदस्य हैं । नियमों के उल्लंघन की न तो मुझसे अपेक्षा है न किसी माननीय सदस्य से अपेक्षा है । ध्वनिमत के बाद जब एतराज आया तो मैंने तुरन्त जो नियम थे उनका पालन करने की चेष्टा की ।

(एक सदस्य के सदन में आने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्य अब भी आ रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

लाबी से आने जाने पर प्रतिबंध नहीं है । दरवाजे सारे बंद हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पटल कार्यालय की खिड़की से निहुर-निहुर कर लोग आ रहे हैं और आपने प्रश्न उपस्थित कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

इसका कारण माननीय सदस्यों को नियमों की जानकारी न होने के कारण तुरन्त दरवाजे बंद करने का आग्रह है । नियम, मैंने सुना दिया । 5 मिनट घंटी बजायी गयी । ऐसा कहीं नहीं है कि लाबी से ही लोग आ सकते हैं । 5 मिनट के बाद आना जाना बंद करने के लिये प्रवेश के सारे दरवाजे बंद करा दिये । अब मैं इस प्रश्न को दुबारा उपस्थित करा रहा हूं । हस्तपुस्तिका और नियमावली के एक-एक नियम का पालन किया गया है और करूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं मत विभाजन करा रहा हूं, कोई व्यवस्था नहीं है आप बैठ जाइए । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मतदान के बारे में व्यवस्था है ।

श्री अधिष्ठाता–

वह विनिश्चय पीठासीन व्यक्ति को करना है । मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो अनियमितता हो रही है उसको उजागर करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई अनियमितता नहीं हुई है । नियमों के अनुसार घंटी वज चुकी है ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, लगभग 35 सदस्य सत्तापक्ष के अन्दर आ चुके हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं फिर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि ''यह सदन स्त्रियों की प्रतिष्ठा और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए यह संकल्प करता है कि बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाय ताकि उन्हें समाज में अपने समान अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के योग्य बनाया जा सके । प्रारम्भिक स्तर से ही ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे बालक, बालिकाओं के मन में एक दूसरे के प्रति समानता, सम्मान एवं उत्तरदायित्व की भावना आये । संचार माध्यमों को यह बोध कराया जाए कि वे स्त्रियों को असम्मानित, अश्लील एवं अशोभनीय रूप में प्रस्तुत न करें । राज्य विधान मण्डल और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु सीटों के पर्याप्त आरक्षण के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था की जाए ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति तथा प्रगति का अनुश्रवण करने के लिये और स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिये नीतियों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अर्थोपायों का सुझाव देने के लिये राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक समिति का गठन किया जाए ।''

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सभी लोग देख रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक अन्दर आ रहे हैं ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य ''ऐसे नहीं चलेगा'' कहते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन स्त्रियों की प्रतिष्ठा और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए यह संकल्प करता है कि बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाय ताकि उन्हें समाज में अपने समान अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के योग्य बनाया जा सके । प्रारम्भिक स्तर से ही ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे बालक और बालिकाओं के मन में एक दूसरे के प्रति समानता, सम्मान एवं उत्तरदायित्व की भावना आये । संचार माध्यमों को यह बोध कराया जाय कि वे स्त्रियों को असम्मानित, अश्लील एवं अशोभनीय रूप में प्रस्तुत न करें । राज्य विधान मण्डल और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु सीटों के पर्याप्त आरक्षण के सम्बन्ध में संवैधानिक व्यवस्था की जाय ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति तथा प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए और स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए नीतियों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अर्थोपायों का सुझाव देने के लिए राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक समिति का गठन किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य 2 बजकर 35 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 05 मिनट तक के लिएं स्थगित कर दी । 3 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-24 में कार्य-स्थगन की सूचनाओं के सन्दर्भ में माननीय सदस्यों का नाम पढ़ा था । चूंकि उस समय सदन व्यवस्थित नहीं था सभी माननीय सदस्य सुन नहीं पाये होंगे इसलिए मैं इसे पुनः पढ़ देता हूं ।

आज दिनांक 13-7-99 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

मैं एक निवेदन कर दूं कि जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें एक-एक सूचना पर कई-कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और 4.00 बजे हमें विशेष कार्य सम्पन्न करना है जो कि समय से सम्पन्न होना है । इसलिए कोई भी माननीय वक्ता 5 मिनट से ज्यादा का समय न लें और एक दल से कोई एक माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर लें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जो नियम 311 में सूचनायें दी गयी थीं उन्हें तो आपने नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है लेकिन जो सूचनायें नियम 56 में दी हैं उसका क्या हुआ ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले ही बताया कि आज कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । उसमें आपकी भी सूचना होगी ।

(कई सदस्यों द्वारा चयनित सूचनाओं व उस पर हस्ताक्षरित सदस्यों का नाम पढ़ने का आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मैं माननीय सदस्यों के नाम पढ़े दे रहा हूं । प्रदेश की निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना पर जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उनमें श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री लोकपति त्रिपाठी, डा० अम्मार रिज़वी, श्री अखिलेश सिंह, श्री राम नरेश यादव, श्री आर०पी०एन० सिंह, श्री काजिम अली खां, श्री चेतराम, श्री विजय प्रकाश, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद, श्री अम्बिका चौधरी, श्री अम्बरीष कुमार, डा० अशोक बाजपेई, श्री सुखपाल सिंह यादव, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अखिलेश सिंह, श्री राम जग, श्री राम स्वरूप सिंह, श्री अम्बिका चौधरी, श्री अम्बरीष कुमार, डा० अशोक बाजपेई, श्री सुखपाल सिंह यादव, श्री राम तेज यादव, डा० वकार अहमद शाह, श्री चन्द्रेश पासवान, श्री मुन्ना चौहान, श्री जगदीश सिंह राणा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम ललित चौधरी, श्री बी० आर० वर्मा, श्री राजा राम पाल, श्री भगवती प्रसाद सागर, श्री लालजी वर्मा, श्री आर० के० चौधरी, श्री सीताराम निषाद, श्री अवधेश प्रसाद, श्री राम चन्द्र यादव, श्री राम कृपाल एवं श्री अवधेश प्रसाद ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, बुनकर खुले आसमान के नीचे मर रहे हैं इस सन्दर्भ में कई विधायकों ने लिखकर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

सूचनाएं शलाका से चयनित होती हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

अभी जो नियम 311 की सूचनाओं के नाम लिए गये हैं कदाचित उसमें सबसे पहले मेरा नाम लिया गया है । पहली सूचना मेरी है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, आप जिसको अनुमति देंगे वही पहले अपनी बात रखेगा । लेकिन आपने सबसे पहले मुझे पुकारा था उसके बाद कुछ व्यतिक्रम हुआ । कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन सबकी एक साथ रहकर चर्चा कराने का फैसला हुआ । मेरा निवेदन यह है कि सबसे बड़ा दल होने के नाते समाजवादी पार्टी को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए । आपने मेरा नाम भी लिया इसके लिए आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन यह है कि आगे पीछे के लिए बहुत बड़ा तूल देने की आवश्यकता नहीं है । श्री तिवारी जी सहमत हों तो अम्बिका चौधरी को पहले बोलने का अवसर दिया जाए अगर वह सहमत न हों तो अम्बिका जी से अनुरोध है कि वह पहले प्रमोद कुमार जी को सुन लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

श्री अम्बिका चौधरी इन्हीसिएट करें हमें कोई आपत्ति नहीं है आपने हमारा नाम पहले पुकारा था इसलिए मैंने अपनी बात रखी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्री अशोक बाजपेई हमारे दल की ओर से इस नोटिस पर बोलेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी कठिनाई आप समझ लें । चार बजे अपराह्न माननीय मुख्य मंत्री जी को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के बारे में अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करना है इसलिए जो पांच सूचनायें शलाका में चयनित हुई हैं उनकी ग्राह्यता पर सुन लिया जाय तो इनके साथ न्याय हो जाता अन्यथा सभी पर सुनना असम्भव हो जायेगा । इसलिए एक दल का एक व्यक्ति पांच मिनट में अपनी बात कह दे । जिसे आप योग्य समझें अपने दल से वह अपनी बात कह दे । समय होता तो मैं सबको बुलवा देता ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हमारी नोटिस अलग से है । आप एक नई परम्परा क्यों डाल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

समय को ध्यान में रखकर ही यह किया जा रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हमारा भी प्रतिनिवेदन सुन लें । यदि एक दल से एक व्यक्ति और ज्यादा हो जाये तो आप इसमें कोई आपत्ति न करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मैंने भी 311 में सूचना दी है परन्तु मेरा नाम आपने नहीं पढ़ा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना चयनित नहीं हुई है ।

डा० अशोक बाजपेई–

मान्यवर, जहां देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए कारगिल और बटालिक में हमारे रणबांकुरे अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे तो उस समय इस बात की अपेक्षा की जाती थी कि प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव और समरसता का वातावरण बनाये रखा जाये जिससे कि हमारे देश के रणबांकुरों का मनोबल बढ़े और प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा न हो । लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस्लामिक विद्यालय नदवा जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय है उस विद्यालय में एक संगठन विशेष के लोगों ने पथराव किया और अली मियां जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं उनको अपमानित किया । अली मियां ने तमाम पुस्तकें लिखी हैं जिन पुस्तकों में भारत वर्ष का नाम ऊंचा हुआ है और उसका गौरव बढ़ा है परन्तु ऐसे विद्वान को अपमानित करने के लिए विद्यार्थी परिषद् के लोगों ने नदवा परिसर में पथराव किया और गाली-गलौज की और अली मियां के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें अपमानित करने का काम किया । जिससे कि साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सके । जबकि समय की आवश्यकता थी कि सरकार ऐसे प्रयास करे जिससे प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा न होने पाये । परन्तु जानबूझकर साम्प्रदायिक तनाव को रंगने का काम करने के लिए यह कार्य किया गया । इससे दूसरा कोई अशोभनीय कार्य नहीं हो सकता है । विद्यार्थी परिषद् सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ एक युवा संगठन है । अगर आप तथ्य में जायं, एक अखबार में यह घटना छपी जो कि निराधार थी जिसका नदवा कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा खण्डन भी जारी कर दिया गया था । अली मियां साहब लगभग दो-तीन महीने से निरन्तर बीमार चल रहे हैं । इस्लामिक वर्ग के लोगों को उन्होंने बताया

कि किस तरह से अच्छे नागरिक के रूप में काम करना चाहिए जो उन्होंने धार्मिक भाषण दिया उसको उससे अलग हटकर अखबार में छापा गया । विद्यार्थी परिषद् के लोगों ने नदवा कालेज के भीतर पथराव किया और अली मियां को अभद्र गालियां दीं और उनको अपमानित किया । यह कोई पहली बार नहीं हुआ है । इससे पहले रायबरेली में उनके घर पर छापा डाला गया । नदवा कालेज में सी०बी०आई० ने छापा मारा । इस तरह की घटना करके योजनाबद्ध तरीके से साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाने का काम किया जा रहा है ।

मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर विषय और कोई नहीं हो सकता है । आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो गयी है और पूरा प्रशासन स्वैच्छारिता से काम कर रहा है । बदले की भावना से काम किया जा रहा है । दल विशेष के लोगों को खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोगों का जगह-जगह उत्पीड़न हो रहा है । इन्टरनेशनल ख्याति के ऐसे विद्वान व्यक्ति को अपमानित किया जा रहा है । मान्यवर, इससे ज्यादा लोक महत्व की सूचना और नहीं हो सकती है । ऐसे समय में जब हमारे देश की सेना लड़ रही है । सरहदों पर 25 हजार फुट की ऊंचाई पर बर्फ पर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सेना देश की सुरक्षा के लिए लड़ रही है । देश में सबको सद्भाव मिलना चाहिए उसके विपरीत हटकर काम किया जा रहा है । लोगों को अपमानित किया जा रहा है, इस्लामिक विद्यालय के ऊपर पथराव किया गया । इसकी जितनी निन्दा की जाय, भर्त्सना की जाय कम है । इससे ज्यादा गम्भीर लोक महत्व का विषय और कोई नहीं हो सकता है । सबसे दुःखद बात यह है कि इस घटना को घटे कई दिन हो गये हैं ।

प्रदेश की राजधानी में सरकार बैठी है आज तक उन अराजक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई । सरकार ने इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और इस घटना को बढ़ावा देने का काम किया है इससे ज्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती है इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय । इस घटना से इस प्रदेश की अकलियतों में असुरक्षा की भावना हो गयी है वे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया है । सरकार को ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए पर इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, न ही कोई कठोर कदम उठाये । इस तरह से साम्प्रदायिक सौहार्द्र समाप्त हो सकता है । इस विषय पर चर्चा करायें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आपने मुझे अन्ततः बोलने का अवसर दिया । मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता था क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर विषय है । जिस तरह से अराजक तत्वों द्वारा सरकारी संरक्षण में आक्रमण कराये जा रहे हैं उस पर स्पष्ट बातें आ सकें, जो नीयत है कि किस तरह से विवाद हो जाय और यह न आ सके इसलिए मैंने कहा कि मेरे साथी बोल लें मैं फिर बोलूंगा । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रदेश में कानून व्यवस्था की रक्षा करना । मुझे कहने में संकोच नहीं है कि आज की मौजूदा सरकार के राज में प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है । कानून का राज्य नही है । अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था कुछ सरकारों द्वारा । अब तो हालत यह हो गई है कि अपराधी सरकार चला रहे हैं । अपराधियों के नियंत्रण में सरकार चल रही है । मैं स्पष्ट और दावे के साथ एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं । अभी कुछ दिनों पूर्व एक कार्यकर्ता को सत्तारुढ़ दल के एक सम्मानित नेता हैं उन्होंने मारा और इसीलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है । यह प्रतापगढ़ जिले की घटना है । मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा और मुझे विश्वास है कि वे कुछ न कुछ कार्यवाही जरूर करेंगे । आज स्थिति यह हो गई है कि हम किसी प्रदेश में नहीं अपराधी प्रदेश में रह रहे हैं । स्थिति यह हो गई है कि बलात्कार, रोड हेल्डअप, चोरी में यह राज्य सबसे अव्वल है ।

यह पेपर का आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं । दुख होता है समाचार सुनकर आधे से ज्यादा हत्यायें उत्तर प्रदेश में होंती हैं, जितनी दलितों की हत्यायें होती हैं उसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में होती हैं इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है ? दलित, जो माना जाता है कि कमजोर तबके से आते हैं समाचारों में, अखबारों में निकलता है कि "कल्याण के राज्य में दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा" चाहे कानपुर की सिया कटाई की घटना को ले लें तो सरकार के "कानून का राज्य" पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है । पानीपुर में घर फूंक दिये गए । दलितों की बात सुनने गए लोग रो दिए, इससे पता चलता है कि प्रदेश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश में किस तरह से जंगल राज्य कायम हो गया है ? अगर आंकड़ों की बात करें तो साफ खुलासा हो जाता है चार दिन पूर्व एक एजेन्सी ने यू०एन०आई० के आधार पर आंकड़े जारी किए उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं, दलितों पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं आप कहते हैं कानून का राज्य होगा, भयमुक्त समाज होगा लेकिन जंगल राज्य है और भयमुक्त अपराध है पूरा शासन भयमुक्त है लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भययुक्त है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नदवा में अली मियां, यह साधारण हस्ती नहीं है यह लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं जिनके साम्प्रदायिकता के खून से हाथ रंगे हैं इससे ज्यादा दुखद बात क्या होगी ?

श्री अधिष्ठाता–

अब सामाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

जिस तरह से उनके परिसर में जाकर आक्रमण किया जा रहा है पत्थरबाजी की जा रही है उनको आहत किया जा रहा है सूफी-संतों को आहत करके कहीं से पुण्य सरकार को मिलने वाला नहीं है उनके साथ जो व्यवहार किया गया, वह निन्दनीय है । शाहाबाद में ब्लाक प्रमुख को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है । जो विरोधी दल के कार्यकर्ता हैं उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है आज प्रदेश में लूट, डकैती, अपहरण, जंगल राज, बलात्कार हो रहे हैं आपकी चर्चा अब अखबारों से निकलकर बड़ी-बड़ी मीडिया एजेन्सियों से जो हो रही है जब उसको देखते हैं तो शर्म से सिर झुक जाता है मुख्य मंत्री जी साहस करके कुर्सी का मोह छोड़कर उन पर अंकुश लगाएं, जो इनके संरक्षण में अपराध कर रहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा० अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल है और बड़े पैमाने पर पिछड़ों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, कहर बरपा किया जा रहा है कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । एफ०आई०आर० नहीं लिखी जाती है । हफ्तों पुलिस थानों के चक्कर लोग लगाते हैं लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती है । अभी कानपुर में चौबेपुर थाने में एक ऐसा हादसा हुआ जहां नाई समाज की महिला के साथ जो हुआ नौ दिनों तक बलात्कार हुआ और स्थानीय पुलिस को यह मालूम होते हुए भी कि वहां पर गुण्डे उठाकर ले गये हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया । नौ दिन तक बलात्कार होता रहा और उसके बाद उसके शरीर के मांसों को उखाड़कर निकाला गया । आंख निकाल ली गयी, नंगा करके धोती टांगों पर बांध दी ताकि चल न सके । उसके बाद मुंह में टेप बांधकर आग लगायी गयी । तब पुलिस का ध्यान जाता है । यह तो एक मिसाल है । 30 जून, 99 की घटना है । इतना बड़ा काण्ड हो गया 26 लोगों के खिलाफ एफ० आई० आर० है और चार लोगों को गिरफ्तार किया जाता है । शेष

लोग फरार हैं । तो यह आपका कानून का राज है और यह आपका भयमुक्त समाज का नारा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि ऐसे जो जघन्य अपराध हो रहे हैं इससे क्या दृष्टान्त आप देना चाहते हैं ।

लखनऊ में अमराई गांव में नन्हें नाम के लड़के के साथ दुराचार होता है । जब उसकी मां जाती है तो उसके साथ बलात्कार होता है और सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस का ध्यान जाता है । 6 तारीख को सिद्धार्थनगर में इसी प्रकार की घटना होती है । पुष्कर थाने में उजहा गांव में एक मुसलमान लड़का जिसकी उम्र 22 साल है, जबकि वह निर्दोष है, पुलिस रोकती है और जब गांव वाले इसका विरोध करते हैं तो 18 मुस्लिम परिवारों के साथ अत्याचार किया जाता है । उनके साथ मार-पीट की जाती है । और यही नहीं जवान लड़कियों को उठाकर फेंक दिया जाता है उनके साथ दुराचार किया जाता है । मान्यवर, उसी गांव में 6 लोगों को सुबह पकड़ लिया जाता है और हडिया चौराहे पर नंगा करके पिटाई की जाती है और खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता है और फिर बर्बरतापूर्वक लाठियों से मारा जाता है उसके बाद 18 लोगों को जो कि बेकसूर होते हैं, पुलिस नामजद करती है और, पूरे गांव को इस प्रकार से परेशान कर रही है । मान्यवर, इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में कहर बरपा किया जा रहा है । बाराबंकी में दो लोगों के विरुद्ध पंचायत द्वारा पुलिस दी गयी थी लेकिन पुलिस नहीं पहुंची और जब पुलिस पहुंचती है तब तक उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता है । तो इस तरह से कोहराम मचा हुआ है । पूरे प्रदेश में हर गांव में जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं..

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उनको धारा 107, 117 में फर्जी तरीके से परेशान किया जा रहा है । श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर निर्दोष लोग मारे जाते हैं पीटें जाते हैं बलात्कार की घटनाएं होती हैं राहजनी होती हैं और जब एफ० आई० आर० कराने जाते हैं तो लिखी नहीं जाती है प्रदेश में न कानून का राज है और न भयमुक्त समाज है । न शर्म है न लिहाज है । यह आज तस्वीर है । भय और आतंक ही छाया है प्रदेश जी रहा है । अनुसूचित, पिछड़े वर्ग के लोग मुस्लिम लोग असुरक्षित हैं । जो कर्मी अपराधी को संरक्षण देते हैं उनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए । आज कोई भी असुरक्षित नहीं है । धर्म सब को प्रिय होता है हम किसी धर्म के प्रमुख को छेड़ करके सामाजिक सदभाव को बिगाड़कर प्रदेश में खुशहाली लायेंगे यह सम्भव नहीं है । माफिया गुण्डों से प्रदेश चलने वाला नहीं है । प्रदेश में कानून का राज बहाल होना चाहिए ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज मुख्य मंत्री जी की यह घोषणा की प्रदेश में कानून का राज होगा भय मुक्त समाज होगा मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप मुख्य मंत्री जी की यह घोषणा बिल्कुल खोखली साबित हो रही है । जब यह देश संकट की घड़ी में था पाकिस्तान के घुसपैठिये चुनौती दे रहे थे तब देश में एकता की भावना और भाई-चारे की भावना की आवश्यकता थी लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग इस चुनौती पर गौर न करते हुए उल्टा आचरण सरकारी पार्टी से प्रतिबद्ध संगठन ने इस प्रदेश में नदवा स्कूल में विद्यार्थी परिषद् के जरिये जो कार्यक्रम था जो सुनयोजित तरीके से साम्प्रदायिक सद्भाव से छेड़-छाड़ करने की कोशिश की गई उस घड़ी में जबकि हिन्दुस्तान की सेना, जनता घुसपैठियों का मुकाबला कर रही थी जिस समय आवश्यकता थी कि एकता और भाई-चारा बना रहे उस समय आप दायित्वों का निर्वाहन ठीक ढंग से नहीं कर पाये और अपने अनुशासित संगठन को इस तरह के अनैतिक काम से नहीं रोक पाये । इस तरह से आप कितने गम्भीर हैं कानून का राज स्थापित करने में । देवरिया जनपद

की दो घटनाएं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की हैं । पिछली 11 तारीख को मैं मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाया भी था कि किस तरह कानून नियन्त्रण के नाम पर आप पूर्णतया विफल हैं । हमारे देवरिया जनपद में रामपुर-सेवरंहा में जहां ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं, वर्ष 1997 में जिला प्रशासक ने उन गरीब लोगों को आवासीय पट्टा प्रदान किया और उन्हें आबाद किया था । वर्ष 1997 में प्रभावशाली नेता, जो वहां भदेंवा ब्लाक के मंडल अध्यक्ष हैं और यहां मंत्रि-मंडल के बड़े भारी नक्षत्र के संरक्षण में हैं, ने वहां बैनामा लिया और उनकी निरन्तर साजिश थी कि यह कुर्मी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग यहां से बेदखल हो जायें । वह चाहते थे कि उस पट्टे की जमीन को अपने में शामिल कर लिया जाय, लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं हो पाये तो माननीय मंत्री जी ने अपने एक चहेते थानाध्यक्ष को रामपुर–कारखाना में तैनात कराया और उसके निर्देश पर जून, 99 में भारतीय जनता पार्टी के उस पदाधिकारी ने सैकड़ों लोगों को बाहर से बुलाकर गरीबों के फूस के मकानों में आग लगवा दी और उन्हें मारा-पीटा । रामकली विधवा को जलाया, उसके लड़के पर कट्टे से वार किया, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट गई । इस सबके बाद उस थानाध्यक्ष ने हमलावर लोगों की तरफ से उन गरीबों के खिलाफ आई० पी० सी० की धाराओं में मुकदमा कायम किया और 147, 436, 324, 323, 504 और 308 जैसी धारायें लगा दीं । एक व्यक्ति जो उस गांव का रहने वाला नहीं था, उसके खिलाफ 426 का मुकदमा दर्ज किया ।

तीन दिन बाद मेरे हस्तक्षेप करने पर आई० जी० के निर्देश पर उन गरीबों की ओर से मुकदमा दर्ज हुआ । इस सबके बावजूद पुलिस ने कुर्मी जाति के उन लोगों को पुनः अपना मकान नहीं बनाने दिया तथा अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । इसी तरह देवरिया जनपद में ही जैतपुरा गांव में घटना हुई, कुल मिलाकर इस सरकार का पुलिस से नियंत्रण समाप्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी विचार वाले लोगों पर कहर बरपाकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है । इस लोक महत्व के विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर आप चर्चा करा दें, यह मैं आपसे मांग करता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां तशरीफ रखते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, उनकी बजट स्पीच की, उसके बाद भी उनकी 2-3 तकरीरें यहां हुईं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने लखनऊ में शिया-सुन्नी का विवाद खत्म करा दिया और 20-21 सालों से चला आ रहा विवाद खत्म करा दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि जब सब खत्म करा दिया तो फिर अभी हाल में यहां क्या हुआ और कर्फ्यू क्यों लगा ? इसी प्रकार नदवा में, जो पूरी दुनिया के अन्दर एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, जिस समय हमारा जवान कारगिल के अन्दर लड़ रहा था, उस समय वह कौन सी पार्टी के स्टूडेन्ट थे, जिन्होंने नदवे के अन्दर ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग चीख उठे और इसकी चर्चा हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे अरब मुल्कों में हुई और पूरी सरकार यहीं लखनऊ में सोती रही । उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, न किसी की गिरफ्तारी हो पाई, प्रशासन की लापरवाही के कारण हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा बढ़ा ।

मान्यवर, जब कहा जाता है कि हिन्दू और मुसलमान सही तरीके से रहेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिये आप को कार्यक्रम बनाना होगा । मैं मान्यवर, मेरठ की बात करता हूं । एस० एस० पी० मेरठ को इसलिये हटाया गया और कहा गया कि घटनायें अधिक हो रही हैं । मान्यवर, डी० आई० जी० और एस० एस० पी० के सम्बन्ध खराब थे, एस० एस० पी० को हटाया गया । कल मान्यवर, रस्तोगी नामक व्यक्ति का अपहरण हो गया और आपके लोग नारे लगाते रहे । ऐसी व्यवस्था से कुछ नहीं होगा, आपको मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी । आप बागपत का हाल देख लें मुजफ्फरनगर का हाल देख लें । मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि शकीर अहमद नाम के व्यक्ति के यहां डकैती पड़ी और उसमें पुलिस के लोग शामिल रहे, एस० ओ० शामिल रहे । हल्लौर थाने के एस० ओ० शामिल

रहे, इस के खिलाफ धरना हुआ और इस पर जिलाधिकारी ने एस० एस० पी० को लिखा, कि एफ० आई० आर० लिखवा दें, डी० एम० ने तहसीलदार को जांच के लिये भेजा । तहसीलदार ने अपनी जांच में बताया कि पुलिस के एस० ओ० डकैती में शामिल हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है । प्रशासन खुद कह रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि माइनारिटीज के ऊपर इस राज्य में इस प्रकार का बरताव हो रहा है । जितने लोगों पर एन० एस० ए० लगा है, आप देख लें ज्यादातर लोग माइनारिटी के हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अब समाप्त करें और सहयोग करें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, आप लिस्ट निकलवा लें, तो आपको मालूम हो जायेगा । इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप चर्चा करा दें ।

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आप का आभारी हूं । कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय कल्याण सिंह जी ने नारा लगाया था कि कानून का राज्य होगा, लेकिन उनका यह नारा खोखला है । महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों पर जितने अत्याचार हो रहे हैं उतने पहले कभी नहीं हुये हैं । आप अखबारों को देख लें, प्रतिदिन बलात्कार और हत्याओं की घटनायें सामने आती हैं । इनको देखने से मालूम होता है कि कितने अधिक जुर्म बढ़ते जा रहे हैं ? मान्यवर, इलाहाबाद जिले में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ दलितों के साथ जुल्म और ज्यादती की गयी । वहां की घटना के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन किये गये । वहां पर 8 मई को देवरी बरहा गांव, थाना खीरी में वहां की पुलिस द्वारा आदिवासियों पर जुल्म किया गया । थाने के अन्दर मोमबत्ती से [× × ×] और पेट जलाया गया और उनके गुप्तांगों में पेट्रोल डाला गया । उनके साथ थाने में अमानुषिक व्यवहार किया गया लेकिन वहां के थानेदार को थाने से नहीं हटाया गया । इसी तरह से मान्यवर, जौनपुर में विजय राज सरोज जो ग्राम थारिकपुर का रहने वाला था उसके व अन्य कई लोगों के साथ पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया और यातनायें दीं । यह घटना 28 मई की है । पुलिस द्वारा दी गयी यातनाओं से 2 जून को विजयनाथ सरोज की मौत हो गयी । यह घटना वहां के सामंतों और पुलिस की मिलीभगत से हुई जिसमें विजयनाथ सरोज की मृत्यु हो गयी । इसी तरह से जनपद आजमगढ़ जिले के डिगरसंडी गांव में जहानागंज थाने के अन्तर्गत मुसहर महिलाओं के साथ 18-19 मई को बलात्कार किया गया । लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नहीं की । इसी तरह से मिर्जापुर जिले में बेचू मुसहर की हत्या पुलिस द्वारा की गयी । पूरे प्रदेश में दलित लोगों की हत्यायें हो रही हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से जनपद आगरा के ग्राम चावली थाना बरहन में गुण्डों द्वारा दलित महिला के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया । उस महिला के लड़के द्वारा इसका विरोध किये जाने पर उस लड़के की हत्या कर दी गयी । आज जिस तरह से पूरे प्रदेश अनुसूचित जातियों पर जिस ढंग से जुल्म हो रहे हैं उससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है । कानपुर जिले में थाना चौबेपुर में ग्राम भिवारी में सियादुलारी को बन्धक रखा गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया । उसके आंगन में उसके बाल नोचे गये तथा उसको पेट्रोल डालकर जला दिया गया । आज पूरे प्रदेश में व्यापारियों की हत्यायें हो रही हैं । बैंकों को लूटा जा रहा है, आज डकैती, हत्यायें, राहजनी की बाढ़ आयी हुई है । सरकार का आज अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है । पुलिस अपराधियों के साथ मिली

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेश से निकाल दिया गया ।

हुई है और अपराधियों के साथ मिलकर दलितों पर जुल्म ज्यादतियों को कर रही है । चाहे उनको दी गयी जमीन पर कब्जे का सवाल हो चाहे उनकी मजबूरी का सवाल हो, दलितों पर जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, जिससे वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।

मान्यवर, सन्त कबीर जिले में सियारटाई में 4 दलितों की हत्या की गयी । पुलिस की मिलीभगत से दलितों पर जुल्म, ज्यादती, बलात्कार और तरह-तरह के जुल्म हो रहे हैं । पूरे प्रदेश के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर यह जो अत्याचार और अमानवीय व्यवहार हो रहा है उससे वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । प्रदेश में चारों तरफ लूट मची हुई है । इसलिए मेरी मांग है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सूचना पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं । 2 मिनट का अवसर दे दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिस पर माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जगदम्बिका पाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं । माननीय लोकपति त्रिपाठी जी का नाम इसमें है वह विशिष्ट घटना के लिए है ।

श्री अधिष्ठाता–

आज 4 बजे अनुपूरक अनुदान हैं । मैंने निवेदन किया कि एक माननीय सदस्य एक दल से बोलेगा । मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है । उनको अपनी बात कहने दीजिये ।

चयनित सूचनाओं की ग्राह्यता पर बोलने की स्वीकृति समायाभाव के कारण न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता की व्यवस्था

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अधिष्ठाता जी एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन् आपने कुछ सूचनाओं का जिक्र किया कि अमुक-अमुक सूचनायें स्वीकार कर ली गयी है और इन सूचनाओं की ग्राह्यता के प्रश्न पर सुनने का आपने एक क्रम भी बना दिया । आपका जो निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा । मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन सूचनाओं की ग्राह्यता पर बोलने की स्वीकृति की सूचना आपने सदन को दे दी वह समयाभाव के कारण नहीं ली जा सकेगी । हम आज की सूचना को रिपीट भी नहीं कर सकते क्योंकि नियमों की बाध्यता है । मैं चाहता हूं कि इसके लिए समय नियत कर दें । आज नियत कर दें या कल कर दें तो उसमें हम लोगों की बात आ जायेगी । अगर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

मैने पहले ही निवेदन कर दिया और सभी माननीय सदस्यों के नाम पढ़ दिये कि इन माननीय सदस्यों की सूचनायें हैं साथ ही साथ यह भी निवेदन किया था कि आज ठीक 4 बजे अनुपूरक अनुदान आना है । इसलिए मैं चाहता हूं कि एक दल से एक व्यक्ति बोल लें । उस परम्परा का आप लोगों पालन किया और आप सबने सहयोग भी किया ।

ी अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो सूचनायें आयी हैं वह विषय अलग-अलग हैं । गोरखपुर में बैंकों की डकैती और लीमियां पर हमले की सूचना हम लोगों ने दी है । गोरखपुर में समता पार्टी का जिलाध्यक्ष पीटा गया ।

xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । आपका इस तरह से कहना शोभा नहीं देता ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो शोभनीय नहीं है वह सब निकलवा दें । चाहे वह यहां से कही जाये या वहां से कही ाये ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान/शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हमारे व्यवस्था के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था आ जाये ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

जब अलग-अलग सदस्यों ने सूचना दी है तो आपको सुनने में क्या दिक्कत है ?

श्री अधिष्ठाता–

4.00 बजे मा० मुख्य मंत्री वित्तीय वर्ष 1999-2000 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करेंगे । उसके बाद आप बोल लें ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतिकरण

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1999-2000 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रतियां वितरित की जाएं ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

अब अंकित नहीं किया जाएगा ।

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें, मैं जितने माननीय सदस्य बोलना चाहें बोलें मुझे कोई ऐतराज नहीं है ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अभी तक कई माननीय सदस्यों एवं नेतागण ने अपने विचार रखे । मेरा अनुरोध है कि जो विचार अब तक आये हैं उन पर सरकार की ओर से उत्तर आ जाए । क्योंकि एक साथ सबका उत्तर देने में दिक्कत होगी । क्योंकि अलग-अलग मुद्दे आये हैं उन पर सरकार का पक्ष न आये यह भी उचित नहीं होगा । मेरा आपसे आग्रह है कि जो बातें अभी तक आ गयी हैं उसके ऊपर थोड़े संक्षेप में, मैं अपनी बात कह दूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी अपेक्षा कुछ भिन्न थी, मेरी कभी यह मंशा नहीं रही कि जिन माननीय सदस्यों की नोटिसें स्वीकृत हो गयी हैं, वह न बोलें । कठिनाई समय की है । किन्हीं बन्धुओं के मन में पूर्वाग्रह है अभी पिछले प्रकरण में मैं नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करना चाहता था परन्तु इस पीठ पर आक्षेप लगा दिया गया । शायद सामान्य ज्ञान भी लोगों को नहीं है । इस प्रकार की बात उठाने से पहले अध्ययन कर लेना चाहिएं । जानकारी जब दी जायेगी तो कहा जायेगा कि आप चर्चा कराना नहीं चाहते हैं, यह ठीक बात नहीं है । अब जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह बोलें । वैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी यह कथन सही है कि लगभग सभी पार्टी के नेता बोल चुके हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति उत्तर के बाद माननीय सदस्य यदि बोलना चाहें तो अपनी बात कहें ।

विपक्ष के अन्य सदस्यों का विचार आने के उपरान्त ही शासन द्वारा उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप कई बार शब्द 'जो' का प्रयोग कर रहे हैं । शब्द 'जो' कितना उचित है इस पर आप पुनर्विचार कर लें । कानून व्यवस्था एक विषय है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जो बातें आ गयी हैं उनका उत्तर मैं दे दूं । यह उचित नहीं होगा और या फिर अलग-अलग विषय की जो नोटिसें हैं उन पर आप अलग से उत्तर दिलवायेंगे. इसे आप स्पष्ट कर दें । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकृत हुई हैं वह अपनी बात पहले कह लें फिर मंत्री जी उसका जवाब दे दें । मान्यवर, बाहर पुलिस पीट रही है और उनके माफिया लोगों को मार रहे हैं ऐसे में कैसे चलेगा ? आप संरक्षण दीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ग्राह्यता पर बोलते हैं अगर बीच में कोई बहुत आवश्यकता हो तो संसदीय कार्य मंत्री को सुन सकते हैं लेकिन श्रीमन् अनंपूरक अनुदान प्रस्तुत करवा दें । मान्यवर, कुछ सदस्य और

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अपनी बात रखना चाहते हैं उनको भी सुन लिया जाता और मंत्री जी सबका उत्तर एक साथ दे देते । श्रीमन्, परम्परा यही रही है और औचित्य के प्रश्न पर ऐसा होता रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न फैलायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

इस समय मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । इस समय हम कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । इस समय कार्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा कर रहे हैं । नियम 56 के अन्तर्गत प्रक्रिया यह है कि दो प्रतियों में सूचना सचिव को दी जाती है । इसके बाद लाटरी से निकाल कर चयन किया जाता है । आप ग्राह्यता के सन्दर्भ में विचार ले लेते हैं उसके बाद सरकार पक्ष आ जाता है । उसके बाद उचित समझते हैं, अध्यक्ष पीठ उचित समझती है तो प्रस्ताव रखने की अनुमति देते हैं । यही प्रक्रिया है । यहां पर ग्राह्यता पर बात चल रही है । कुछ सदस्यों ने विचार रखे उसके बाद सम्मानित मंत्री सत्ता पक्ष की ओर से ग्राह्यता के पक्ष में या विपक्ष जो प्रस्तुत करना चाहेंगे करेंगे । या तो कहें कि ग्राह्यता के सम्बन्ध में हम बोल लें फिर मंत्री जी बोल लें फिर माननीय सदस्य बोल लें और फिर मंत्री जी बोलें । यह अनवरत सतत् प्रक्रिया कब तक चलेगी । मैं इतना चाहता हूं कि इसको अब समाप्त कर दें । उचित यह होगा कि ग्राह्यता पर सब सदस्यों को सुन लें सरकार का पक्ष भी आ जाय उसके बाद निर्णय आप दें कि यह रखने लायक है कि नहीं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो सूचना माननीय सदस्यों ने दी है । वह अलग-अलग घटनाओं को लेकर दी है । हर माननीय सदस्य ने अपने जनपद की दी है और उन जनपदों का उल्लेख किया है । मेरे कहने का आशय था, मैं बीच में नहीं आना चाहता । मेरा आग्रह यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे उन्होंने अपने जनपद या विशेष घटनाओं का उल्लेख किया है, उसके बारे में मैं अपनी बात बता दूं, सरकार का पक्ष रख दूं । हमको आगे चलना चाहिए वह आगे आ जायेगा । आपने व्यवस्था दी थी कि एक दल से एक सम्मानित नेता बोलेंगे । उसके बाद में आपने कृपापूर्वक दो बार मुझे बुलाया भी और मैं दो बार खड़ा भी हुआ । चार बज गये तो स्थिति यह आ गयी कि अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत होना था अब मेरा आग्रह यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने नियम 56 में सूचना दी है और उसका उल्लेख किया है जो सरकारी पक्ष है उसके बारे में उसे प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय । आगे मान्यवर, आपका विवेक है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x]

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं, पाल जी आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री जगदिम्बका पाल –

[x x x]

(व्यवधान)

नियम 311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री हुकुम सिंह–

कार्यस्थगन के माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यगण ने अपने विचार रखे और एक ऐसा प्रस्तुतीकरण करने का प्रयास किया जैसे साम्प्रदायिकता इस प्रदेश को हजम कर रही हो, कानून व्यवस्था प्रदेश की भंग हो चुकी हो ? डा० बाजपेयी जी बोल रहे थे, प्रमोद कुमार जी ने विशेष रूप से नदवा का उल्लेख किया, कौक़ब साहब ने नदवा का उल्लेख किया, हम आपकी विवशता समझते हैं कैसे क्या नाम लेकर कैसे किसको कितना आकर्षित करें ? नदवा बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट यहां का है कैसे कहां भ्रमवश, प्रचारवश छात्रों में वाद-विवाद नारेबाजी हो जाती है, छात्र बिश्वविद्यालय के होते हैं, छात्र कालेज के होते हैं, छात्र किसी पार्टी के नहीं होते हैं। किसी भ्रम या कुचक्रवश स्थिति बिगड़ती है तो उस स्थिति को सम्भालेंगे या बंदूक तानकर दोनों पार्टी पर गोली चलवा देंगे। भले ही दो महीने बाद चुनाव की जंग में जाना है लेकिन चुनाव से पहले देश है, उत्तर प्रदेश है। साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखना यह नहीं चाहते हैं। नदवा के नाम पर मैसेज देना चाहते हैं वह जाने वाला नहीं है बहुत बड़ी शहादत देश ने दी है मैं उन शहीदों के नाम नहीं लेना चाहता हूं आप साम्प्रदायिक सौहार्द्र देखना चाहते हैं तो रिजवान, त्यागी के शव कारगिल से आए तब देखते, आबिद का शव हरदोई में आया तो आप साम्प्रदायिक सौहार्द्र देखते, हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही उनके जनाजे में शामिल होते हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हिन्दू मुस्लिम एकता के नारे लगाते हैं इस देश का नेतृत्व सक्षम हाथों में है....

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

कारगिल के युद्ध पर चर्चा करा लें।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कह लेते तो ठीक था, बीच में आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति खड़े होंगे तो कैसे होगा ?

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

बीच में उनको अनुमति दे दी, यह आपकी कृपा है इसको भी हम समझते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बात पूरी कर लेने दें।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी–

संसदीय कार्य मंत्री जी स्वीकार कर लें, हम चर्चा करना चाहते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जब यह कह रहे थे । कौकब हमीद लखनऊ की बात कर रहे थे कि शिया सुन्नी का विवाद कैसे हो गया, कैसे कर्फ्यू लग गया ? अभी आपने लखनऊ का कर्फ्यू देखा कहां है ? 22 दिनों तक ऐसा कर्फ्यू लगा कि बच्चे और बूढ़े कोई बाहर नहीं जा सकते थे और भूखों पड़े रहे । शिया-सुन्नी का सौहार्द्र राजनीतिक रोटियों का शिकार बनकर रह गया है । यह तो कल्याण सिंह जी की सरकार थी जिसने वह काम कर दिखाया जो कि 22 साल तक नहीं हो पाया था । मान्यवर, मेरठ की बात कही गयी । कौकब हमीद साहब कह रहे थे । वह, वह दिन भूल गये जब मेरठ में 15 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा । वहां के लोग भूख से तड़पते रहे । आज मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, फैजाबाद या इलाहाबाद जहां भी देख लें सब जगह लोग प्यार मोहब्बत से जिन्दा है । मान्यवर, आज यह कहा जाता है कि गुन्डों का राज है । नारा दिया था कि भय मुक्त समाज होगा । तो कृपा निधान वह दिन आप भूल गये जब आपने अपहरण को उद्योग का दर्जा दिया था । गाजियाबाद, देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सब जगह यह उद्योग खुला था । लेकिन आज इस सरकार ने अपहरण करने वालों को जेल में भेज दिया है या फिर मौत के घाट उतारा है । मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । यह 1-6-99 से 30-6-99 एक महीने के हैं । इन एक महीने में 12 ऐसे बदमाश जो 10 हजार से 50 हजार तक के इनामी बदमाश थे उनको इस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मौत के घाट उतारा है । वह इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता शान्ति से रह सके ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो बिन्दु ग्राह्यता पर उठाये गये हैं उनका उत्तर आना चाहिए । यहां तो नया भाषण हो रहा है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह कहा गया कि कानून व्यवस्था के लिए क्या उपाय किये गये हैं ? जो हमारा उत्तर प्रदेश में वायदा था कि टाप 5 और 10 के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो उसमें हमने अब तक 5 हजार 22 टाप 5 और 10 को चिन्हित किया और अभी तक 2 हजार 281 आदमियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है । तो यह कार्यवाही की गयी है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता शान्ति से रह सकें । अगर फ्रंट में युद्ध सीमा की रक्षा के लिए हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी एक युद्ध हो रहा है वह है उत्तर प्रदेश की जनता की शान्ति व्यवस्था के लिए । गैंगेस्टर एक्ट में 2747 लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया जा चुका है कि वे लोग बाज नहीं आ रहे थे । एक महीने के अन्दर 636 लोगों को एनएसए के अन्तर्गत जेल में डाल दिया गया । कानपुर की जो घटना बताई उसमें 4 लोग जेल जा चुके हैं तो एस० आई० को व थानाध्यक्ष को निलम्बित किया गया है । सम्मानित मंत्री जी वहां गयीं थीं । 50 हजार रुपये की सहायता भी दी गई । जहां भी दलितों, पिछड़ों के ऊपर कोई बात होती है सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इलाहाबाद में जजेज कालोनी में डेढ़ करोड़ रुपये की लूट-पाट की घटना सिविल लाइन्स में हुई एक दो उदाहरण आप बतायें ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं भी भुक्तभोगी हूं, आप भी भुक्तभोगी हैं। हर एक शासनकाल को देखा है किस तरह लोगों का दफ्तर जाना, बच्चों का स्कूल जाना, किसानों का खेत में जाना मुश्किल हो गया था। आज अपराधी लोग ऊपर पहुंचे हैं या जेल में पहुंचे हैं। इक्का-दुक्का घटना की जो बात है, यह नहीं मैंने कहा कि घटना बिल्कुल बन्द हो गई हैं। इलाहाबाद की घटना की जानकारी है, लेकिन उसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार करने में हम असफल रहें और राजनीतिक संरक्षण देते रहें तब तो आप हम पर इल्जाम लगायें। यह सरकार किसी गुण्डे को, बदमाश को संरक्षण देने वाली नहीं है। प्रमोद जी ने प्रतापगढ़ की घटना का जिक्र किया आपको तो सरकार को बधाई देनी चाहिए कि हम किसी के दबाव में नहीं आये बड़ी मजबूती के साथ कार्यवाही की। ऐसी घटनाएं आपके शासनकाल में हो गई होती तो मुल्जिम जेल में न होते।

श्री प्रमोद कुमार–

यह जो कल्पना वाली बात है उस वक्त हुकुम सिंह जी भी हमारे साथ मंत्री थे।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है इसमें कोई दो राय नहीं। वही कानून व्यवस्था लखनऊ में भी है। आपके यहां भी है वहीं वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र में है वहीं गाजीपुर में है लेकिन वहां नक्सलीं गतिविधियां बिहार से हो रही हैं प्रदेश में। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था आपकी, मैं यह नहीं जानता की आपकी कल्पना क्या है प्रशासन की ? मुख्यमंत्री जी आप प्रशासन को निर्देश देते हैं प्रशासन जिले पर चलता है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक यह प्रशासन चलाते हैं। हर तीसरे महीने स्थानान्तरण करेंगे तो प्रशासन नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था चरमरा उठेगी। इन 6 जिलों में प्रतिदिन नक्सलियों का आक्रमण होता है।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए।)

गांव फूंक दिये जा रहे हैं, लोग जिन्दा मार दिये जा रहे हैं, उनकी सम्पत्ति लूट ली जा रही है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। श्रीमन्, बहुत देर से मैं सुन रहा था अपने संसदीय मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रशासन भयमुक्त समाज की कल्पना। बहुत अच्छा है आपका यह प्रयास भगवान सफल करे मगर प्रशासन करना भी आना चाहिए श्रीमन्,। जब तक प्रशासनिक अधिकारियों को आप अपना विश्वास नहीं देंगे कि तुम प्रशासन चलाओ, इस जगह को दुरुस्त रखो, नहीं चल सकता। आप यहां बैठकर नहीं चला सकते। आप यहां नहीं थे आपके 93 मंत्री थे, सरकार तो नहीं गिरती मगर सरकार हार ज़रूर जाती मगर हमारे अधिष्ठाता महोदय ने आपकी सरकार को बचा लिया वैसे ही आपका प्रशासन जिलों में चल रहा है तो इसको सुधारिये। मैं आपके उत्तर प्रदेश शासन का पांव नहीं खींचना चाहता। मेरा एक अनुभव रहा है प्रदेश का प्रशासन चलाने का। मुझे इस बात का गर्व रहा है उस समय लालच इतना नहीं भरा हुआ था, कानून व्यवस्था हाथ में थी, आज नहीं है उसका कारण यह है कि आपको अपने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं है। आप उन पर विश्वास करें, उनके विश्वास को अर्जन करें इससे आपका प्रशासन दुरूस्त होगा। नक्सली गतिविधियों को रोके नहीं तो वही दुष्कर्म करेंगे जो बिहार में हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय लोकपति जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका अपना अनुभव है और उनके अनुभव से हमें सीखना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक बात कही गयी, मैं किसी राज्य का उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन आपने कहा कि बिहार से यह नक्सली लोग अपराध कर रहें हैं। तो बिहार में किसकी सरकार चल रही है हमने तो वहां की जनता से उससे मुक्त करने का प्रयास भी कर लिया परन्तु आपकी कृपा है, नक्सलवाद भी पैदा कर रहें हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, एक अनुभव की बात कही गयी कि प्रशासन और शासन का आपस मे अनुभव और आत्मविश्वास । आप इस बात के गवाह हैं जिस अधिकारी ने अच्छा काम किया है उसकी शाबासी मिली है और जिसने कामचोरी किया है उसको दण्ड मिला है यह सरकार चलाने का अच्छा तरीका होता है । आज अच्छे अधिकारियों को यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल अगर वह अच्छा काम करता है तो उसको पूरा-पूरा प्रोटेक्शन देंगे, संरक्षण देंगे । वरना यहां पर ऐसी सरकारें आई कि खुलेआम पुलिसवालों की हत्या कर दी गयी, ऐसी सरकार आई कि किसी आदमी को जेल नहीं जाने दिया लेकिन यह सरकार ऐसी है कि कोई अच्छा काम करेगा तो उसको संरक्षण देंगे और खराब काम करेगा तो उसको दण्ड मिलेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इलाहाबाद वाले में एस० पी० और एस०एस०पी० को क्या इनाम दे रहे हैं ?

इलाहाबाद के मामले में लगातार हो रही वारदातों के लिये वहां के एस०एस०पी० और एस०एसपी० सिटी को क्या इनाम दे रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

अपराधी चाहे 10 हजार का हो, 50 हजार का हो या एक लाख का हो, मेरे पास सूची नहीं हैं, मैं पढ़कर सुना सकता हूं, सभी को टाप-टेन और टाप फाइव की सूची में ले लिया गया है और टास्क फोर्स ने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, यह किसी से छिपा नहीं हैं ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

सरकार सब झूठ बोल रही है; हरदोई में रोज हत्यायें हो रही हैं, अपहरण-बलात्कार हो रहे हैं, गरीबों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो रही है और भयमुक्त समाज का झूठा नारा दिया जा रहा है ।

(विपक्ष की ओर से शोर किये जाने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

माननीय मिश्र जी का हम लोग यहां पर उग्र रूप देखते हैं, लाकन जब सदन के बाहर उनका देखते हैं तो उनसे ज्यादा मृदुभाषी कोई नहीं है, कितनी मीठी वाणी वह बोलते हैं । इलाहाबाद के बारे में हमने अवधि निर्धारित की है, इतनी अवधि में अभियुक्तों को गिरफ्तार करना है और कार्यवाही भी करनी है । अब यह बताना यहां उपयुक्त नहीं होगा, अन्यथा यह इन्वेस्टीगेशन पर प्रभाव डाल सकता है । यहां बराबर इसकी मानीटरिंग हो रही है । जिस तत्परता के साथ पुलिस लगी है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अभियुक्त/लुटेरे जल्द ही गिरफ्तार होंगे और कार्यवाही भी होगी ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नदवा में जो घटना घटी, उस पर मैंने कार्यस्थगन की सूचना दी, आपने आबिद खां और मनोज पाण्डेय का उदाहरण दिया, जनता ने उनको सम्मान दिया । लेकिन इस सरकार का कर्तव्य बनता था कि यदि वह इस प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र चाहते हैं तो जो लोग नदवा प्रकरण के लिये दोषी हैं, उन पर तत्काल सरकार कार्यवाही करती, लेकिन मंत्री जी उस पर लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं । जिन लोगों ने नदवा पर पथराव किया, साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने का काम किया, क्या तत्काल कानूनी कार्यवाही करके सदन को अवगत करायेगें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं पूरे संतोष के साथ और पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि हमने प्रदेश में सौहार्द्र को समाप्त नहीं होने दिया । अली मियां जी बहुत विद्वान हैं, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान हैं और नदवा बहुत बड़ा इदारा है लेकिन इसको आप लोग राजनीति का अड्डा मत बनाइये । आप इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे अली मियां को कैश कर लें, कैसे नदवा का कैश कर लें ? आप अली मियां की इज्जत करते रहें और नदवा को नदवा रहने दें, यही अच्छा है ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, यह सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है और नदवा के मामले में लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, सरकार की इस बात के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का वहिर्गमन करते हैं ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन त्याग करके चले गये)

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, वह गुमराह करने वाली चीज है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था के बारे में उत्तर भाषण में कुछ बातें कही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का विषय कोई राजनैतिक विषय नहीं है । प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो और लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें, यही प्रयास होना चाहिये । आम आदमी को अपने जीवन की सुरक्षा की गारन्टी होनी चाहिये । मान्यवर, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिये स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है । उसने अपराधों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है । उसने जो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिये अपनी रिपोर्ट दी है, क्या उसको आप सदन के पटल पर रखेंगे ? अगर आप उसे सदन के पटल पर रखे तो हम लोग भी कुछ सुझाव दे सकते हैं और आप को लाभ हो सकता है ।

मान्यवर, यह लगातार बयान आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिये 17 सूत्री कार्यक्रम बनाया जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि टाप 10 के लोग थानों में बैठते हैं और आप कहते हैं कि अपराधों पर काबू पाया जा रहा है । अगर आप कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो रही है, तो आप बतायें कि यह अपराध कैसे कम हो रहे हैं ? मान्यवर, आज 1996 की तुलना में अपराध बढ़े हैं । लूट की घटनाओं में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, छिनौती में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बलात्कारों में 15 प्रतिशत की बृद्धि हुई है, डकैती में 30 प्रतिशत की वद्धि हुई है और चोरी में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मान्यवर, यह इसी लखनऊ के आंकड़े हैं । इनसे साफ जाहिर होता है कि अपराध बढ़े हैं । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनको रोकने के लिये आपने क्या किया है ? जून 1998 से जून 1999 तक एक साल में 16309 महिलाओं पर अपराध हुये हैं, लेकिन फिर भी आप उत्तर दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है, और आप कमी करने का दावा कर रहे हैं । मैं किसी एक खास घटना का उल्लेख नहीं करना चाहता, ज्यादातर क्षेत्रों में इसी प्रकार की घटनायें हुयी हैं । अगर एक-एक घटना का जिक्र यहां पर किया जायेगा तो उस पर पूरा दिन लग जायेगा । मैं कह रहा हूं कि अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है । तो या तो इन अपराधों में वृद्धि हुई है इनके आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिकार्ड के आंकड़े हैं और भारत सरकार के आंकड़े हैं । आपने कहा कि व्यवस्था सुदृढ़

हुई है । लेकिन जब सिनेमा का सेकेण्ड शो होता था तो कोई भी महिला सुरक्षित घर नहीं पहुंचती थी । शहरों में, गांवों में दलितों की दिन-दहाड़े हत्या हुई । लेकिन आज पूरे प्रदेश में कानून की व्यवस्था बद से बदतर हुई है । आज प्रदेश में पुलिस का मनोबल बढ़ा है उनकी कोई अमल-दरामद नहीं हो रही है । अपराधी लोगों की संख्या बढ़ी है और उनका संरक्षण बढ़ रहा है ।

श्री हुकुम सिंह–

2-3 बातें पूछी गयीं । मान्यवर, करीब 20-25 मिनट के भाषण में केवल दो बातें सामने आयीं हैं । माननीय पाल साहब ने कहा कि सबसे पहले उनकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाए । मैं उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहता हूं । हत्याओं के आरोप में लगे लोगों के खिलाफ जो जानकारी है, उसको सदन में कैसे रखा जा सकता है ? यह प्रभावशाली अपराधी हैं, वह पुलिस के बाहर हो जाते हैं । मेरे विचार से आप भी सहमत होंगे । दो बातें कही हैं । मैं तो यह प्रयास करूंगा कि पुलिस को यह हिदायत कर दें कि जितने भी अपराध होंगे उनकी रिपोर्ट दर्ज होगी । एस०पी० तक हटा दिये गये हैं और दरोगा तक हटा दिये गये हैं इस बात की चिन्ता नहीं करनी है कि आंकड़े ऊपर जा रहे हैं या नहीं, इनकी कोई परवाह नहीं है । इसके बावजूद मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और मैं उनको प्रस्तुत करना चाहता हूं । डकैती की घटना में मान्यवर, 30 प्रतिशत की कमी आयी है, लूट की घटना में 23 प्रतिशत की कमी आयी है, बल्बे में 11 प्रतिशत की कमी आयी है और नकबजनी में 14 प्रतिशत की कमी आयी है तथा रोड होल्डर में 20 प्रतिशत की कमी आयी है, हर घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज है और साफतौर से निर्देश दिये गये हैं कि रिपोर्ट दर्ज की जायें । मान्यवर, लोग राजनैतिक उथल-पुथल बैठा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे समाज को सुखी रखने के लिए संकल्प लिया है और संकल्प का फल मेरे पास आता जा रहा है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के जरिये जनपद देवरिया की 2 स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र किया है । इन दोनों घटनाओं में एक घटना दलित उत्पीड़न की थाना बनकटा की, जैतपुरा गांव की है । वहां पर लोगों को मारा-पीटा गया है । इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र के रामपुर कारखाना में दिन दहाड़े कुर्मियों के घरों को जलवाया गया, उनके घरों में आग लगायी गयी और मारपीट की गयी । पुलिस ने उनके मुदकमें को नहीं लिखा और जो हमलावर थे उनकी ओर से लिखायी गयी । रिपोर्ट पर जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई थी उनके विरुद्ध मामला कायम कर दिया और काफी दिनों बाद पीड़ित व्यक्तियों की तरफ से मुकदमा लिखा गया । तो मेरा निवेदन है कि कम से कम इन दोनों घटनाओं के बारे में सदन को अवगत करायें । यदि आपके पास सूचना नहीं आयी है तो सूचना मंगाने की कार्यवाही करें । अगर आप इन घटनाओं के बारे में अवगत हो गये हों तो की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कोई कारगर सुझाव बतायेंगे जिससे लोगों को राहत मिलेगी । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप सभी घटनाओं से अवगत न हों लेकिन जालौन में 9-6-99 को शिवदीन की हत्या हो गयी लेकिन उसकी एफ०आई०आर० नहीं लिखी गयी । इसी तरह से जालौन में 11-6-99 को एक दलित सुरेश की हत्या हुई जिसकी भी एफ०आई०आर० नहीं लिखी गयी । इसी तरह से अभी इलाहाबाद के खीरी थाने में 18 निर्दोष बच्चों को जो 1 साल से 12 साल के थे उनको नैनी जेल में डाल दिया गया लेकिन जिन लोगों ने पुलिस के लोगों ने यह कार्य किया उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । फर्जी केसों में आम लोगों को फंसाने की बात कौन कहे सिराथू के

विधायक श्री मतेश चन्द्र सोनकर को 107/117 में फंसाया जा रहा है । कानून व्यवस्था आपकी क्या है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए । जिस तरह से सदन को गुमराह करके हवा में कानून व्यवस्था का राज और भयमुक्त समाज बनाना चाहते हैं उससे सारे उत्तर प्रदेश में एक सन्देश जा रहा है । यह सन्देश आपकी दूषित मानसिकता का परिचायक है और सारे गुण्डों, माफियाओं की मानसिकता को जाहिर करता है । इस घृणित मानसिकता के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

अभी जनपद गोण्डा और प्रतापगढ़ में जलभराव के सम्बन्ध में एक दूसरी सूचना है । इन पर भी चर्चा होनी है । माननीय रामतेज जी, माननीय अवधेश प्रसाद जी आप एक-एक मिनट में अपनी बात कह दें । उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यदि जो स्पष्टीकरण हैं उनके सन्दर्भ में कुछ कहना चाहेंगे तो मैं अवसर दूंगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिए आपको धन्यवाद । कानून व्यवस्था, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 311 में मैंने सूचना दी थी जिसे नियम 56 में परिवर्तित किया गया । उक्त सूचना की ग्राह्यता पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा । श्री अफजाल भाई हमारी पार्टी के विधायक हैं । वह माननीय मुलायम सिंह यादव की मीटिंग में गये हुए थे वहां से अफजाल भाई और हमारे पूर्व सांसद पारसनाथ जी लौट रहे थें, सी०ओ० सैदपुर ने उन्हें प्रताड़ित व बेइज्जत किया । माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को जानते हैं । ऐसी घटनाओं की वजह से कानून व्यवस्था पर आक्षेप आ रहा है । जब एस०पी०, एम०एल०ए० चलेंगे तो पुलिस का सिपाही रोक करके चेकिंग करने लगेगा, तो आज आपकी सरकार है, कल नहीं रहेगी तो आपके साथ भी यही होगा ।

अफजाल भाई और पारसनाथ यादव जी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया । आगरा में 5-5 मुस्लिम भाइयों पर रासुका लगा दिया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया, मारा-पीटा गया । आगरा ऐसा जिला है जो मुख्य मंत्री के नाक के नीचे का है । मुझे यह कहना है कि यह सब इसलिए हो रहा है कि सरकार में कई खण्ड व उप खण्ड हैं । पिछले दिनों सरकार में बैठे हुए लोगों ने ऐसी बातें पैदा कर दी कि जो नेता हैं उन पर से अविश्वास पैदा हो गया । मैं यह चाहता हूं कि आगरा में जिन लोगों पर रासुका लगाया गया है स्पष्ट रूप से उसकी जांच करवा लें रासुका हट जायेगा और अधिकारी दण्डित होंगे । हमारे बहराइच जिले में कुछ ही दिनों में तीन-तीन पुलिस कप्तान बदल दिये गये । उनको उत्तर दक्षिण का पता नहीं हो पाता है कि वह बदल दिये जाते हैं । लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे अधिकारी जमे हुए हैं । बहराइच का एडीशनल एस०पी० 3-4 साल से वहीं पर हैं । जिन लोगों के क्रिमिनल से सांठ-गांठ है, रुपईडीह वार्डर से उनको सम्पर्क है वह सिफारिश लगाकर जमे हुए हैं । मेरे जनपद में पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों को फर्जी तरीके से गुण्डा एक्ट और रासुका में जेल भेजा जा रहा है । यह जो समाज में बांटने की प्रक्रिया है वह अच्छी नहीं है । कोई सरकार का यह मत सोचकर चले कि जिन्दगी भर सरकार बनी रहेगी । बड़ी-बड़ी सरकार जनता की बूट के नीचे चली जाती हैं । इसलिए जनता का सम्मान होना चाहिए । आज जो पिछड़े हैं, दलित हैं उनको सताया जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिलेगा तो वह न्याय के लिए आयेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, नदवा का प्रकरण है, समाजवादी पार्टी को चाहे जितना जोर लगाना पड़े लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, संघर्ष करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में नन्हेबारी हैं, उनको पुलिस ने मारते-मारते मौत की नींद सुला दिया । गलत तरीके से पोस्टमार्टम करा दिया गया आज भी उसका मुकदमा नहीं लिखा गया है । आंकड़े इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि पूरे प्रदेश में मुकदमें नहीं लिखे जा रहे हैं । अगर मुकदमा सही तरह से लिखे जायें तो शीशे के सामने सही तस्वीर आयेगी । श्री कल्याण सिंह की तस्वीर तो वैसे भी ठीक नहीं है आपकी तस्वीर भी पता चल जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया रामतेज जी आसन ग्रहण करें । क्योंकि इस सूचना के बाद भी चार-पांच महत्वपूर्ण सूचनायें हैं ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आंकड़े तो उन्होंने पढ़ दिये लेकिन वह एक चीज भूल गये कि कितने ऐसे लोग हैं जो अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ऐसे कितने मामले हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

इसका भी संसदीय कार्य मंत्री जी उल्लेख कर देंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह जो हमारी नोटिस है इस पर हम शुरुआत कर देते हैं अम्बरीष कुमार जी इसके बाद अपनी बात रख लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

जितने माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं सबको ग्राह्यता पर सुना जायेगा तो कदाचित विलम्ब होगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपनी बातें रखी मैं अलग से कुछ बातें कहना चाहता हूं । पिछले साल गोरखपुर में जो बाढ़ आयी वह इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी ऐसी बड़ी त्रासदी न कभी देखी व न कभी सुनी गयी । इसी सदन में मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में लम्बी-चौड़ी घोषणायें की ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कानून व्यवस्था से अलग हटकर है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं विधायक मलिहाबाद का ट्रेनीज हूं, जैसा प्रशिक्षण उन्होंने दिया है उसी के अनुरूप प्रयास कर रहा हूं । इस बाढ़ में जो घर पिछले वर्ष पूरी तरह से बर्बाद हो गये उनको आज तक राहत नहीं दी जा सकी । उस बाढ़ के बाद राहत का जो प्रयास किया जाना चाहिए था वह नहीं किय गया । इस सम्बन्ध में लोकतान्त्रिक विधि से अपनी मांग करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता डी०एम० साहब के यहां गये और उन्होंने कहा कि अगर 15 जून तक यह प्रबन्ध नहीं किया गया तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे । गोरखपुर नगर निगम के सभासद संजय सिंह और दूसरे साथियों ने जब 15 जून से आमरण अनशन प्रारम्भ किया 17 तारीख को कलेक्टर साहब को जब उनका शोर बुरा लगने लगा, जैसी कि उनकी ख्याति रही है, वह पी०ए०सी० में सिपाही भर्ती नहीं हो पाये लेकिन कलेक्टर हो गये, जब तक पी०ए०सी० की तरह वह डण्डा नहीं चला लेते, उनके पेट का पानी नहीं पचता । उनको एलर्जी है, समाजवादी पार्टी के लोगों को पहचान करके डण्डा चलाने के लिए उनका मन मचलने लगता है । इसी तरह से पूर्व में भी कई घटनायें हुई हैं । 17 तारीख को स्वयं कलेक्टर साहब ने डण्डा चलाया, संजय सिंह को 11 चोटें लगी हैं, लैस खातून जो 76 वर्ष की महिला थी उसे आठ चोटें आयी हैं, नसीबुलनिसा को भी चोटें आयी हैं । जब डी०एम० साहब डण्डा चलाने लगे तो ए०डी०एम० और सिटी मजिस्ट्रेट भी डण्डा चलाने लगे । अब ऐसी स्थिति में सिपाहियों ने क्या किया होगा, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं । ऐसा क्या हो गया कलेक्टर साहब को डण्डा चलाना पड़ गया । एक मुकदमा 151, 107 और 116 में दर्ज कराया गया और दूसरा आई०पी०सी० 147, 323, 332, 336, 504, 506, 427 में दर्ज कराया गया और सेवेन क्रिमिनल लॉ-एमेंडमेंट में दर्ज कराया गया । जिन लोगों से वह रोज मिला करते थे उस दिन मजिस्ट्रेट साहब उनका नाम भी भूल गये और 63 अज्ञात लोगों के नाम मुकदमें दर्ज कराये गये ।

डा० मर्सीन जो पूर्व विधायक रहे हैं, श्रीमती शारदा देवी जो पूर्व सदस्य रही हैं, श्री अम्बिका सिंह जो पूर्व सदस्य रहे हैं । इन लोगों के घर पर छापे पड़े और दर्जनों समाजवादी पार्टी के लोगों के यहां छापे पड़े और इन्हें जेल में बन्द कर दिया गया तथा संजय सिंह पर रासुका लगा दी गयी । जेल में जो बुनियादी सुविधायें दी जाती हैं, वह नहीं दी गयीं । 2 जुलाई को नेता विरोधी दल वहां गये और टैम्पुई कोठी में उनकी सभा हुई थी परन्तु सभा स्थल से मंच और माइक पूरी तरह से उठाकर चले गये जिसके कारण नार्मल स्कूल में आकस्मिक सभा करनी पड़ी, नगर प्रवेश के सारे रास्तों को जिलाधिकारी ने बन्द करा दिया और पूरे गोरखपुर को जेल में बन्द कर दिया । इस जिलाधिकारी ने कोई ऐसा बड़ा कृत्य नहीं किया है जिससे कि ये वहां पर रहे बल्कि उनको वहां पर इसलिए रखा गया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये उत्पीड़न कर लेते हैं । इन्होंने कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं किया है और न ही लां एण्ड आर्डर को चुस्त करने के लिए कोई कीर्तिमान स्थापित किया हो, बल्कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर यह अत्याचार कर सकें इसलिए इन कलेक्टर साहब को वहां पर रखा गया है और वह स्वयं डण्डा चलाकर उत्पीड़न करते हैं । संजय सिंह पर 15 जून के एक दिन पहले तक कोई भी मुकदमा 107 का दर्ज नहीं था । परन्तु एक दिन बाद ही रासुका उनके विरुद्ध लगा दी गयी और इससे गम्भीर और कोई स्थिति इस लोकतंत्र में नहीं हो सकती है कि लोकतांत्रिक ढंग से जो अपनी बात कहने जाय उनके साथ इतना बड़ा

उत्पीड़न किया जाय और उत्पीड़न का यह सिलसिला जारी रहे । इसकी अविलम्बनीयता यह है कि यह एक दिन की घटना नहीं है । इसके बाद 63 अज्ञात लोगों के बारे में है । पूरे जिले में समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर कहर बरपा रहे हैं । सरकार द्वारा दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है । जिलाधिकारी जिसको कानून के हिसाब से आचरण करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है । जब एफ०आई०आर० लिखाने जाते हैं तो नहीं लिखी जाती है । चोटिल लोगों के मुकदमें दर्ज नहीं हुए । इतनी शर्मनाक स्थिति में जबकि इनके प्रशासन का पूरी तरह से मनोबल गिरा हुआ है । आपराधिक आचरण करने वाले आफिसर्स की यह पीठ ठोंकते हैं । आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है । आज खुले आम डकैतियां हो रही रही हैं ।

मान्यवर, मैं बलिया जिले से आता हूँ बलिया जिला जो सीमान्त जिला है वहां बैंक के सामने सरकारी कर्मचारी को 11.30 बजे गोली मार दी जाती है । कोई कुछ नहीं कर पा रहा है । पेट्रोल पम्प दिन दहाड़े लूटे जा रहे हैं । कानून के नाम पर स्थिति पूरी तरह से पस्त है । माफिया मंत्रियों की चर्चा बहुत बार हो चुकी है । मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ । आपकी स्थिति तो हीरामन तोते की तरह है । आपकी सांस तो उन्हीं में फंसी हुई है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं । आज प्रदेश में कानून की स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से पस्त हो गई है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । सदन की किसी कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है । सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें ।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, जिस घटना का जिक्र माननीय चौधरी जी ने किया है उसके तथ्यों को और नहीं जानना चाहता । इतना जरूर स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बबराला काण्ड की चर्चा जो विधान सभा में हुई थी तब यह निर्देश सरकार की इस पीठ से दिये गये थे कि जन आन्दोलनों से निपटने का जो तरीका है वह निश्चित रुप से प्रजातांत्रिक नहीं कहा जा सकता । शासन को इस पर विचार करना चाहिए और तौर तरीके में बदलाव लाना चाहिए । लेकिन आज फिर जब सदन सें यह चर्चा हो रही है, जन आन्दोलनों को जिस बर्बरता ढंग से दबाने की कोशिश की जा रही है और उसके बारे में अम्बिका जी ने प्रकाश डाला है ।

मान्यवर परम्पराओं को मिटाने का काम तो बहुत आसान है परम्परा एक दिन में मिट सकती है लेकिन परम्परा बनाने में बहुत समय लगता है । जिस विधान सभा में हम बैठे हैं जिस पीठ से शासन को निर्देश हुआ था । यह परम्परा एक दिन में नहीं बनी है । 62 सालों का इतिहास रहा है । आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आज डी०एम० को इतनी छूट हो कि वह जन प्रतिनिधियों को, जो जन समस्याओं को लेकर, जन आन्दोलन चलाने का काम करते हैं उनको इतनी बर्बरता से पीटा जायेगा । 75 साल तक की महिलाओं को नहीं बख्शा जाता हो । पूर्व विधायकों को अज्ञात मानकर बन्द किया जाता हो तो इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है । इसके बाद सरकार दावा करती है कि अमन चैन है । प्रजातांत्रिक मान्यताओं का सम्मान हो रहा है । मैं इतना कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा घटिया और शर्मनाक बात और नहीं हो सकती है ।

मैं हरिद्वार जनपद की कुछ बातों की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे इस सरकार ने कुछ अभूतपूर्व की कानून व्यवस्था के मामले में किया है निश्चित रूप से हरिद्वार में अभूतपूर्व कार्य हुआ है । 37 वर्ष पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना हुई । मान्यवर, 37 वर्ष पहले का इतिहास गवाह है जो आज तक वहां नहीं हुआ वह इस पार्टी के कार्यकाल में हुआ । 7 तारीख को जहां पुलिस फोर्स खड़ी थी, बी०एच०ई०एल० में वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक का अपहरण किया जाता है बी०एच०ई०एल० जहां सीमा पर जाने वाली बोफोर्स तोपों की ढलाई का काम होता है, 500 मेगावाट की टरवाईन वनाने का काम होता है, 37 साल में जहां पहले से कभी अपहरण का कोई काण्ड नहीं हुआ वहां वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक श्री मुकुट बिहारी गर्ग का अपहरण होता है और चन्द घन्टों बाद उनकी हत्या करके लाश अपराधी फेंककर चले जाते हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि कुछ सरकारों ने अपहरण को उद्योग बना दिया है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं हरिद्वार में ऋषि कुमार मोदी है छः वर्षीय बालक का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई । डाक्टर तनेजा के अपहरण को अभी लोग भूले नहीं थे कि मुकुट बिहारी की हत्या कर दी गई । इतनी निन्दनीय घटनायें हो रही हैं जिस पुलिस पर दायित्व है कि अपराधियों और माफियाओं को पकड़ कर कार्यवाही करे वह कुछ नहीं कर रही है, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी मौजूद हैं यह हरिद्वार में आदेश करके आए कि अवैध रूप से दिल्ली और मसूरी में जो बसें चल रही हैं वह नहीं चलेंगी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली की बसों का जो माफिया है वह टेहरी जेल में बंद है वह बसें चलवाने का काम कर रहा है । जिनके वि[illegible] पुलिस कार्यवाही करने में अक्षम है । मसूरी की बसों का माफिया बरेली जेल में बन्द है । यह कचहरी में तारीख पर आते हैं तो सौ-दो सौ लोग निर्देश लेते हैं, व्यापारियों को टेलीफोन करके फिरौती वसूल की जाती है आप देखें कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है । हरिद्वार में जो बी०एच०ई०एल० में हुआ यह 50 वर्षों के इतिहास में नहीं हुआ इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है । मुख्य मंत्री जी डी०जी० को डांटते फटकारते हैं कि पूरे प्रदेश की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती काम नहीं हो रहा है कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है डी०जी० बेशरमी से कहते हैं थानों में दलालों का असर है मैं आकस्मिक निरीक्षण करूंगा, हर कमी को दूर करने का काम करूंगा । मुख्य मंत्री और डी०जी० के आकस्मिक निरीक्षण द्वारा क्या कानून व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाया जा सकता है एक व्यक्ति के आकस्मिक निरीक्षण से कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त नहीं होती है यह सरकार के इकबाल से चलती है, इकबाल आता है यदि ईमानदारी से फैसले लेने का काम करें तब इकबाल आता है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह सबसे अधिक लोक महत्व का प्रश्न है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे द्वारा लाये गये कार्य स्थगन सूचना पर उसकी ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया । श्रीमन्, मैं अभी सरकार का पक्ष रखते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन रहा था । उन्होंने बड़े दम्भ और साहस के साथ कुछ आंकड़े पेश किये थे और जिन आंकड़ों में उन्होंने बताया कि प्रदेश में डकैती, अपहरण और बलात्कार में कमी आयी है । मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वह सत्य से परे हैं । बल्कि मैं समझता हूं कि असली बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है सभी प्रकार के अपराधों में दो गुना या तीन गुना की वृद्धि हुई है । इन्होंने बताया कि बड़ी-बड़ी कार्यवाहियां हुई और कार्यवाहियों का नमूना है कि राज भवन के सामने पुलिस अधीक्षक की हत्या होती है । लखनऊ जैसे स्थान पर, जो कि राजधानी है, मुख्य मंत्री यहां पर बैठते हैं, राज्यपाल महोदय यहां पर बैठते हैं और सभी बड़े अधिकारी यहां पर बैठते हैं वहां पर किस प्रकार से बैंक डकैती पड़ी । जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है अपराधों में वृद्धि हुई है और केवल झूठे आंकड़े दिये जा रहे हैं ।

मान्यवर, मैं फैजाबाद और अम्बेदकर नगर के अपराधों के बारे में बताना चाहूंगा कि दो महीने में कितनें अपराध हुए हैं । 10/11 की रात में सुहावल में सुजीतागंज बाज़ार में जहां पुलिस चौकी है वहां पर दो बजे इस्लाम नाम के नौज़वान को बुरी तरह से घायल कर दिया । वह मेडिकल कालेज में भर्ती है । उसको बहुत बेरहमी से मारा पीटा । फैजाबाद में दो महीने में पांच विस्फोट हुए । दो अल्पसंख्यक मासूम बच्चों की हत्याएं हुई हैं । सीताराम निषाद जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या के बारे में बताया कि वीकापुर में दो दर्जन, डकैती और हत्याएं हुई हैं । डी०आई०जी० आफिस के बगल में दरोगा सिंह नाम के 24 वर्षीय व्यक्ति की हत्या होती है । फैजाबाद में सरिया व्यवसायी का अपहरण हुआ, 15 दिन पहले दवा व्यवसायी, अग्रवाल परिवार का एक नौजवान था उसकी हत्या वहां पर होती है और यह सरकार कहती है कि हमारी कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है । कानून का राज कायम हुआ है । मान्यवर, यह कोई कानून का राज नहीं कायम हुआ है बल्कि जंगल राज कायम हुआ है । आज हर जगह साम्प्रदायिक तनाव फैला हुआ है । नदवा जैसा पवित्र स्थान पर कार्यवाही की गयी । हमारे फैजाबाद में इनकी पार्टी का एक सांसद है उसने जिस तरह से कुरान के बारे में कहा है कि क्षम्य नहीं है । उसने यह कहा कि जब तक कुरान रहेगी तब तक पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में लड़ाई रहेगी । यह अपनी अक्षमताओं को छिपाने के लिए आज प्रदेश में साम्प्रदायिकता का जहर घोलने का काम कर रहे हैं । यह एक गंभीर विषय है इसमें सदन की कार्यवाही रोककर सारे मुद्दों पर चर्चा करायें । नदवा का सिर्फ लखनऊ में नहीं, हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि दुनियां में इसका अलग स्थान है । जहां पर राष्ट्रीय एकता की ही नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव की बात होती है । वहां पर अपनी सोची समझी नीति के तहत साम्प्रदायिकता का जहर घोलने का काम इन्होंने किया है । जिससे सन्निकट लोक सभा के चुनाव में इनको फायदा मिल सके यह फायदा इनको मिलने वाला नहीं है यह इनका आखिरी वक्त है । जो कुरान शरीफ पर कमेंट किया गया, ऐसे पर रोक लगायी जाये लखनऊ में नदवा कालेज में उपद्रव किया गया यह जो शरारत है कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, यह नियम–56 पर बोला जा रहा है जिस विषय के संदर्भ में सदन की पूरी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाये । एक विषय पर पूरे को उड़ेल दिया गया है । उठा रहे हैं नियम–56 पर गोरखपुर और पहुंच रहे हैं बलिया, हरिद्वार ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रदेश की निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जो नियम–311 की सूचना थी उसको कनवर्ट कर दिया गया नियम–56 में, नियम–56 में भी सूचनायें थीं अलग-अलग स्थानों की अलग-अलग जनपदों की ग्राह्यता पर अपनी बात कह रहे हैं । स्वाभाविक है कि ग्राह्यता पर कहते-कहते पूरा विषय आ जाता है यद्यपि अनुरोध किया जा रहा है कि ग्राह्यता तक ही सीमित रखें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सभी लोगों को मान्यवर बोलना है ठीक है उस विषय पर बोलें जिस पर सूचना है । माननीय पीठ के आदेश हुए हैं, जानकारी है ।

श्री अधिष्ठाता–

जिस सूचना पर हस्ताक्षर किये हैं केवल ग्राह्यता पर बोलते हुए ही अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

(डा० अशोक बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री केशो मेहरा–

माननीय, जो सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं । क्या उस सदस्य को दुबारा बोलने की अनुमति प्रदान करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कोई बात कही है, उस पर वे स्पष्टीकरण चाह रहे हैं ।

डा० अशोक वाजपेयी–

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि मैंने नियम–311 पर जो सूचना दी थी उसकी ग्राह्यता पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया । माननीय, आज़ प्रदेश की गिरती हुई कानून व्यवस्था पर पूरा प्रदेश चिन्तित है, सदन चिन्तित है । गोरखपुर में हृदय विदारक घटना हुई । शांतिपूर्वक नागरिकों के ऊपर जो बाढ़ की विभीषिका से चिन्तित होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने गये, अनशन पर बैठे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ । जनतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है । माननीय, अगर इस तरह से जबान दबाने का काम किया जायेगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोकमहत्व का दूसरा विषय नहीं हो सकता । प्रदेश में आज कानून व्यवस्था की स्थिति जो खराब हो रही है वह इतनी खराब हो गयी है कि जनतंत्र असुरक्षित हो गया है, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति व्याप्त है । मेरे विधान सभा क्षेत्र पिहानी में 2 जून को नवाब अली की जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उसको गोली मार दी जाती है, नामजद रिपोर्ट है लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लाइसेन्सी बन्दूक है, गिरफ्तारी नहीं हुई है । उनकी एक विधवा है और छोटे बच्चे हैं उनको कोई अनुदान या सहायता देने का काम भी नहीं किया गया है ।

माननीय, शाहाबाद में एक कृषक कन्या इण्टर कालेज है । त्रिपाठी जी ब्लाक प्रमुख उसके प्रबन्धक है जिसको प्रशासन द्वारा मान्यता मिली हुई है 9/4 के अन्तर्गत । इसके बावजूद भी वहां का परगनाधिकारी उसकी सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश देता है और उनके परिवार वालों पर लाठीचार्ज करके रासुका और गुण्डा एक्ट लगाने की कार्यवाही होती है । आज स्थिति यह है कि एक माह से उनका पूरा परिवार भगा हुआ है पुलिस के भय से कि पता नहीं किस मामले में निरुद्ध कर दें । इनकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था निरंकुश हो गयी है । जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक निरंकुशता से काम कर रहे हैं । माननीय, जब हम चुनाव में जायेंगे और प्रदेश की पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को निरुद्ध किया जायेगा तो यहां पर राजनीतिक स्थिति क्या बनेगी ? इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल चर्चा कराई जाय । नवाब अली के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाय और प्रमुख के ऊपर जो झूठे मुकदमें पंजीकृत किये गये हैं उनको समाप्त किये जायं । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, इस विषय पर तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । मैं फैजाबाद जिले और अपने विधान सभा क्षेत्र के संबंध में बात रखना चाहता हूं । फैजाबाद जिले में बराबर जघन्य अपराध हो रहे हैं और पिछले 6 महीने से वहां अशान्त क्षेत्र कायम हो गया है । फैजाबाद शहर में दिनदहाड़े घटनायें हो रही हैं और तमाम व्यवसाइयों की हत्यायें हुई, वह लूटे गये । डी०आई०जी० कार्यालय के पास हत्या की गई और अपराधी तमाम व्यक्तियों/व्यवसाइयों को धमकाकर टेलीफोन से गुण्डा टैक्स वसूल कर रहे हैं । अकेले बीकापुर में दर्जनों घटनायें हुई हैं, उसके संबंध में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । तारीख 14 मई की रात में नन्सा बाजार, थाना तारून में शीतला प्रसाद सोनी, जो चांदी-सोने के व्यवसाई थे, उनकी, गर्भवती

पत्नी, उसकी मां, उसके साले की हत्या कर दी गई और उनके 7 वर्षीय बच्चे को भी जान से मार डालने की नीयत से वार किया गया ।

इसमें सबसे दुखद बात यह है कि पुलिस जब वहां पहुंची तो उसने भी वहां लूटपाट किया, जब वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गये, तब पुलिस के लोगों ने सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा । पुलिस वाले उस 7 वर्षीय बच्चे को भी जबरन पोस्टमार्टम में भेजे दे रहे थे, लेकिन जब लोगों ने देखा और कहा कि उसकी अभी सांस चल रही है तब बड़ी मुश्किल से उसको अस्पताल भिजवाया । पुलिस ने उन चारों लाशों को, उनके परिवार वालों को देखने तक नहीं दिया और पिछले दरवाजे से, पुलिस की गाड़ी में दो-दो लाशें रखकर वहां से 42 कि०मी० दूर फैजाबाद में पंचनामा करवाया, पुलिस ने इससे पहले वहां आभूषण भी लूट लिये । हम लोगों को जब खबर लगी तो रामचन्द्र यादव, अवधेश प्रसाद, मित्रसेन यादव, वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष और मैं सब धरना दिये, उसके बाद जाकर कोई कार्यवाही हुई । इसके बाद 23 तारीख को थाना तारून में परसोत्तमपुर में आधा दर्जन लोगों को लूटा गया । इसी प्रकार 11 तारीख को बीकापुर थाने के अन्तर्गत इन्द्रजीत सिंह और लालशरन सिंह की हत्या कर दी गई । जून के महीने में बीकापुर थाने में ही ग्राम इस्लामपुर के लालता प्रसाद का लड़का, जो आम बेचकर आ रहा था, को हीरो हांडा सवार तीन लोगों ने आम खरीदने के बहाने गोली मार दी, उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । इसी प्रकार 24 जून, को भारतीय जनता पार्टी के एक तांत्रिक ने बीकापुर थाने के अन्तर्गत पोहयी गांव में राजपूत परिवार की औरत को केवल लड़कियां पैदा हो रही थीं, उसको लड़का पैदा होने के लिये 5 साल के बच्चे की बलि करने की सलाह दी । उन लोगों ने सुदामा निषाद के 5 वर्षीय पुत्र रोशन लाल को पकड़कर उसकी बलि दे दी, लेकिन उसकी सांस चल रही थी, उसको अस्पताल ले जाया गया, 15 दिन के बाद उस बच्चे को होश आया और वह लोग जो उसे हत्या करने के लिये ले गये थे, उनके वह नाम बता रहा है, उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई । इसी तरह 17 जून को थाना हैदरगंज में थरियाकलां गांव में एक व्यक्ति शिव कुमार सिंह की हत्या कर दी गई और थाने में उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई । इसी तरह 16 जनवरी को हैदरगंज में सियाराम सर्राफ व्यवसाई की यहां डकैती पड़ी, इस डकैती में उनके जवान बेटे मनोज तथा उसकी मां की हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक उसका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ । थाना इनायतगंज शाहगंज बाजार में बब्बन सेठ के यहां डकैती पड़ी, उसका भी अभी तक कोई पर्दाफाश नहीं हुआ जिससे चार हत्या व लूट हुई घटना स्थल पर पुलिस मौजूद थी किन्तु उसका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ । मान्यवर, डकैती में जो लोग पकड़े गये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनको छुड़वां दिया, उन डकैतों को छुड़वा दिया, इससे वहां पर लोग दहशत में हैं, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है और यह सरकार भयमुक्त समाज की बात कर रही है । इनकी कथनी और करनी में अन्तर है । अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और एडीशनल एस०पी० देहात और थानेदार के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । इससे पुलिस का प्रशासन कैसे चल सकता है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हैदरगंज की पुलिस गश्त पर सोयी थी अपराधियों ने उनकी राइफलें छीन लीं लेकिन उसका आज तक पता नहीं चल पाया है तो मान्यवर, इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं और जब हम लोग डी० आई० जी० से मिलने के लिए गये जब तो उन्होंने कहा कि यह काम थानेदार का है । मान्यवर, डी०आई०जी० किस लिये बैठा है । मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दी जाये और घटना की सी०बी०आई० से जांच करा दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इस स्थिति के बारे में माननीय सदस्यों को सुन लिया गया है और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुन लिया गया है । सभी लोगों ने अपनी-अपनी बात रख दी है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर भी दे दिया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

उत्तर नहीं दिया है । मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । कार्य-स्थगन की सूचना दी गयी है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें क्या व्यवस्था है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं कहा है कि इसको स्वीकार न किया जाये । संसदीय कार्य मंत्री जी अगर असहमत नहीं हैं, तो उसे ग्राह्य मान लेना चाहिए । इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है । यह कोई प्रश्न नहीं है ।

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

एक बार यह सभी सम्मानित नेताओं की बात सुन ली गयी है और कुछ लोग बोलेंगे । उनकी बात सुन ली गयीं, बातें भी कह दीं । इसके बाद पुनः मान्यवर, सब लोग लां एण्ड आर्डर पर बोल रहे हैं । 311 में सूचना दी गयी है । नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बोल लिये हैं, पुनः उसी पर दोहराया जा रहा है । नियम–56 में एक बिन्दु पर बोला जा सकता है तो यह नयी परिपाटी डाल रहे हैं इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी बड़े विद्वान हैं यह लम्बे समय से सदन की सेवा कर रहे हैं । जो कोई व्यवस्था दी जाती है उस पर कोई आपत्ति नहीं उठायी जाती है । मान्यवर, आपके निर्देश से नियम–311 की सूचना नियम–56 में परिवर्तित कर दी गयी है, जो सूचनाएं हैं उनको सुन लिया जाए । मैं नहीं समझता हूं कि पीठ के द्वारा निर्देश के उपरान्त कोई प्रश्न उठाया जाए । पता नहीं मा० मंत्री जी ने विद्वान होते हुए भी कैसे यह आपत्ति किया ?

श्री हुकुम सिंह–

मा० अधिष्ठाता जी, मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि मैं भी उस आसन पर कुछ समय तक रहा हूं । यह आवश्यक नहीं है कि हर सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री बोलें । यह एक अपवाद स्वरूप होता है । 10 बातों में एक-दो बातों पर रिएक्शन होता है । यह कोई अन्त्याछरी नहीं है । अम्बिका चौधरी जी बड़े विद्वान सदस्य हैं, लेकिन वह हमेशा व्यवस्था के सवालों में उलझे रहते हैं । कानून व्यवस्था पर चर्चा चल रही थी उस पर सरकार का पक्ष आ गया । मा० सदस्यों ने अपने क्षेत्र की बात प्रस्तुत कर दी है, उनको अवसर मिलता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर बात का प्रति उत्तर दिया जाए । आपने अपनी बात कह ली और वह रिकार्ड हो गयी । हर बात पर रिएक्ट करना ठीक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय समाप्त हुआ । अब दूसरा विषय ले रहा हूं । ...

श्री अफजाल अन्सारी–

अधिष्ठाता महोदय हमारी सूचना अविष्टि है के कारण प्रदेश में, खासतौर से गाजीपुर जनपद में जो जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है, उसके सम्बन्ध में इसकी ग्राह्यता पर प्रकाश डालने के लिये आपने जो अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद । मान्यवर, जनपद गाजीपुर का एक पुराना कस्बा युसुफपुर है और संयोगवश

वह मेरा गृहनगर भी है पिछले 10 सालों के अन्दर जो नई आबादियां बसीं और जो नये मकानात बने उनसे अनेक जगहें जहां से पहले पानी की निकासी होती थी वह पानी के निकासी के रास्ते बन्द हो गये और उसका नतीजा यह हुआ कि पिछले 10 सालों से लगातार बरसात के 4 महीनों में वहां पर आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । प्रतिवर्ष डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर फायर बिग्रेड की सहायता लेकर बड़े-बड़े दमकल लगाकर 4 माह पानी निकालने का काम करता है फिर भी वहुत से मकानात गिर जाते हैं पिछले साल मकानों के गिरने से कैजयुल्टीज भी हुई हैं उस समय भी वहां पर वहुत ही भयावह स्थिति है तीन दिन से लगातार वारिश हो रही है और मुख्य मार्ग के ऊपर 6 फुट से ज्यादा पानी बह रहा है ।

मान्यवर, हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं कि इसी स्थान पर सउदी अरव में भारत के राजदूत श्री हामिद अन्सारी का अपना निजी मकान है । उनके मकान के अन्दर तीन फुट पानी है । कई बार मैंने भी जिलाधिकारी से अनुरोध किया है रोज यह बताया जाता है कि स्थानीय नगर पालिका के लोगों से बातंचीत चल रही है कि खर्च कहां से लाया जाये । दमकल में तेल भराने का खर्च, मात्र इस बिन्दु पर नगर पालिका व डिस्ट्रिक्ट एडमिनेस्ट्रेशन सहमत न होने के कारण पिछले 15 दिनों से दमकल एक जगह पर खड़ा है और पानी नहीं निकाला जा रहा है । लगातार पिछले तीन दिनों से हुई बरसात से पचासों मकान गिर गये हैं जिससे जन-जीवन को क्षति पहुंची है और लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है । इसलिये मैं विषय की गम्भीरता को देखते हुये आपसे कहना चाहता हूं कि आप सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें और सरकार को यह निर्देशित करें कि जिन लोगों को क्षति पहुंची हैं जिनके घर गिर गये हैं, उनको सहायता दी जाये और वहां से तत्काल पानी निकालने की व्यवस्था की जाये स्थानीय निकाय और नगर पालिका के पास पैसा नहीं है कि वह पानी निकाल सकें ।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में जवसे यह सरकार आयी है पूरे तरीके से प्रदेश में विकास अवरुद्ध हो गया है । मान्यवर, इस सरकार ने इस सदन के अन्दर गड्ढामुक्त योजना के अन्तर्गत यह कहा गया था कि प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं उनको गड्ढामुक्त कर दिया जायेगा । मान्यवर, पूरे पूर्वांचल में गड्ढामुक्त योजना के अन्दर नहीं के वरावर कार्य किया गया है । जनपद गोण्डा में बभनान, मनकापुर, वजीरगंज कस्वे हैं बभनान कस्वा बस्ती और गोण्डा की सीमा पर है । बभनान से गौरा चौकी जाने वाली रोड पी०डब्लू०डी० की है । अभी 3 दिन लगातार बारिश हुई है । बभनान बाजार के अन्दर जो सड़क है वह पूरी तरह नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है । वहां पर जलभराव की स्थिति इस तरीके से है कि पानी सड़ चुका है । सड़क के इस पार और सड़क के उस पार रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य इस समय इतना खराब हो चुका है कि उनको उल्टी और दस्त हो रही है । आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध है । समस्या को लेकर के 22-6-99 को वस्ती और गोण्डा के नागरिकों ने जो बभनान क्षेत्र में आता है वहां पर चक्का जाम आन्दोलन किया गया, धरना-प्रदर्शन किया गया और यह मांग की गयी कि बभनान कस्बा करीब पांच सालों से नाले के रूप में परिवर्तित है, आज तक जल निकासी की कोई व्यवस्था सरकार/प्रशासन द्वारा नहीं की गयी । यह मांग वहां की क्षेत्रीय जनता की वरावर रही है और यह आश्वासन भी दिया जाता रहा जो कस्वे के अन्दर सड़के हैं उनको ठीक किया जायेगा, आवागमन दुरुस्त होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया जब लोक निर्माण विभाग के चीफ इन्जीनियर या माननीय लोक निर्माण मंत्री का कोई प्रोग्राम वनता है तो सड़क दुरुस्त हो जाती है । अभी हाल में गोण्डा में जाने का प्रोग्राम माननीय मुख्य मंत्री जी का था और लोगों ने इस तरीके से हल्ला मचाया कि इस रोड से माननीय मंत्री जी एवं चीफ इंजीनियर जायेंगे वह रोड दुरुस्त कर दी गयी ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो जलभराव की स्थिति है वह एक नाले के रूप में है। आवागमन बन्द है। अभी 9 तारीख को मैं क्षेत्र के दौरे पर गया था तो वहां के लोगों ने पकड़कर मुझे नाले में चलाया है और कहा है कि जब तक सड़क नहीं बन जायेगी तब तक घुसने नहीं देंगे। मान्यवर, हमारी यह पीड़ा है। अगर कस्बे की जलभराव की स्थिति को दुरुस्त नहीं कराया गया तो वहां की स्थिति भयावह हो सकती है और कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आपकी बात आ गयी है।

श्री राम विशुन आजाद–

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी आज ही हमारे साथ चले और चलकर देख लें बभनान, मनकापुर व वजीरगंज कस्बे को तो उनको मालूम हो जायेगा कि यह सड़क नहीं नाला है। माननीय अधिष्ठाता जी, इससे ज्यादा लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय कोई दूसरा मामला नहीं हो सकता। मेरा आपसे निवेदन है कि नियमों को निलम्बित करके एक घण्टे की चर्चा करायें। जो जल भराव व महामारी की आशंका बनी हुई है उसको ठीक किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर विचार रखे जा रहे हैं लेकिन कार्यसूची में इससे आगे एक चीज और है यदि अनुमति हो तो मद संख्या–25 को ले लें। उसके बाद चर्चा चलती रहेगी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जब तक कार्यस्थगन नहीं हो जाता तब तक आगे का मद नहीं ले सकते।

श्री हुकुम सिंह–

श्री लालजी वर्मा जी ने कहा है सामान्य रूप से स्थिति यही है। सामान्य रूप से स्थिति यही थी लेकिन अपवाद स्वरूप यह प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। अभी मद संख्या 27 पहले लिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

जो जल भराव के संबंध में दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी को कुछ कहना है।

श्री हुकुम सिंह–

जल भराव के बारे में तो गड्ढा मुक्त आ गया है। वह विषय तो पहले ही ले लिया गया था।

श्री अधिष्ठाता–

जो विषय श्री अफजाल अंसारी व श्री राम विशुन आजाद ने प्रदेश के जनपद गोण्डा, प्रतापगढ़ तथा गाजीपुर के कतिपय कस्बों ग्रामों तथा शहरी क्षेत्रों में जल भराव से जनसामान्य को हो रही असुविधाओं के संबंध में उठाया है उस पर सत्तापक्ष को कुछ नहीं कहना है।

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

ऐसा कैसे कि सत्तापक्ष को कुछ नहीं कहना है । कार्यस्थगन प्रस्ताव पर दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें एक ने गाजीपुर की कुछ कालोनी में पानी भर गया है, दूसरे ने गोण्डा के कुछ कस्वों में सड़क के किनारे कट गये हैं । पहले तो यह विषय सुनिश्चित नहीं है इसलिये कार्य स्थगन का विषय ही नहीं बन सकता है । तात्कालिक तो हो सकता है क्योंकि पानी भर रहा है । लेकिन इसका कारण क्या है । आजकल नगरों की हालत क्या है । वेतरतीबी से मकान बन रहे हैं, कालोनियां बनाई जा रही हैं न तो वहां सीवर की व्यवस्था है, न नालियों की व्यवस्था है कानून का खुला उल्लंघन किया जा रहा है इसी कारण यह कठिनाई बढ़ रही हैं । यह नगरों के अन्दर पैदा होने वाली प्रतिवर्ष की समस्या है जिसका निदान स्थानीय निकाय करते हैं । बार-बार यह बात कही जाती है कि प्रदेश के अन्दर गड्ढा मुक्त सड़क की बात कही गयी थी, जिन लोगों ने कभी विकास नहीं किया वह यह नहीं जानते कि विकास की गति कितनी होती है और इतने बड़े प्रदेश का विकास करने में कितने समय लगेगा । धन कितना लगेगा । इस सरकार के कार्यकाल में सड़कों का जितना काम हुआ उतना पहले 50 वर्षों में नहीं हुआ । इसके पहले कभी इतना योजनाबद्ध तरीके से गांव को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का काम नहीं हुआ, नहरों की पटरियों को पक्का करने का काम इतना 50 वर्षों में नहीं हुआ जितना इस सरकार के कार्यकाल में हुआ । सड़कों का निर्माण हम लोग समयबद्ध तरीके से करा रहे हैं । आप कस्बों के अन्दर सड़क पक्की करा दीजिये लेकिन अगल बगल के लोग नाली भी पाट लेंगे और उस पर गुमटी लगा लेंगे । मकान बना देंगे । लोग नाली बन्द देते हैं जिसके कारण पानी भरता है । फिर भी सरकार कस्बों के अन्दर सड़कों पर पत्थर डालने का काम कर रही है । अनेक कस्बों में यह काम हुआ है मैं चाहूंगा कि जो वहां के प्रतिनिधि हैं वह वहां पर नालियां खुदवाने में व लोग नालियां न पाटें इसमें अपना सहयोग दें । तो यह समस्या नहीं होगी । यह पहली सरकार है जिसने वर्षा शुरू होने से पहले ही 10 करोड़ रुपये लोकल बाडीज को इस काम के लिये वितरित कर दिया । अब लोकल बाडीज अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर ले । यह पहली सरकार है जिसने अपने राजस्व से एक निश्चित धनराशि देने का काम किया है । अब लोकल बाडीज हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो इसके लिये क्या करें । प्रतिवर्ष पम्प सेट लगाकर पानी निकाला जाता रहा है, इस बार भी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं, भले ही कालोनियां अवैध बनी हों और जनता ने सहयोग नहीं लिया बल्कि व्यवस्था को तोड़ने का काम किया है । हमने निर्देश दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाय । मैं तो समझता था कि किसानों के खेतों में जो जल जमाव हो जाता है उस पर विपक्ष बात कहेगा परन्तु बड़े दुख की बात है कि इन छोटे से मामलों जो रोजमर्रा के होते हैं उन पर अपनी बात कहेगा ।

मान्यवर, इस सूचना में कोई ऐसी बात नहीं है और न ही कोई लोक महत्व की आफत आयी है, जिलाधिकारियों और कस्बों तथा टाउन एरियाज़ के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं । सड़कों को निश्चित रूप से अगले एक-दो साल में गड्ढामुक्त कर दिया जायेगा, कस्बों से गुजरने वाली सड़कों को पत्थर और ईंट से बनवाया जा रहा है ताकि टूटने वाली समस्या खत्म हो जाय । गांव से पक्की सड़क को जोड़ने वाली सड़कों को भी गड्ढामुक्त करने के लिये हमारी सरकार कृतसंकल्प है । इसलिये मान्यवर, इस प्रश्न को अस्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अंसारी जी तथा श्री राम विशुन आजाद जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करते हुए अस्वीकार करता हूं क्योंकि शासन ने इस मामले को गम्भीरता से लिया है । अगली सूचना श्री समरपाल सिंह, कौकब हमीद, राजपाल सिंह, परवेज अली, बनारसी दास चन्दाना, बाबू लाल, गजेन्द्र कुमार मुन्ना, तथा श्री विनोद मणि तिवारी जी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों

में समुचित विद्युत आपूर्ति न होने से किसानों को फसल को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ऐसी स्थिति में इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है । चौथी सूचना श्री विनोद मणि तिवारी, श्री दिलीप कुमार वर्मा, श्री राम औतार शाक्य की कारगिल युद्ध में शहीदों के परिवारजनों को समुचित सुविधा, सुरक्षा प्रदान न करने एवं उनके उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसको कल ले लें तो ठीक होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह हमारी अधिकार क्षेत्र में नहीं है । शलाका के अनुसार सूचना निकलती है ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि इसको कल ले लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कल की बात कल होगी । कल यह शलाका में होगी हम कैसे इसे निर्धारित कर सकते हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह विषय इतना महत्वपूर्ण है और माननीय सदस्य ने अपनी ओर से दिया है सदस्य अपनी ओर से देते हैं दल की ओर से नहीं होती है लेकिन सभी दलों ने तय किया है कि यह इतना महत्वपूर्ण इश्यू है कि इस पर एक साथ 15 तारीख को सभी देंगे इसलिये इसको स्थगित कर दें । मैं यही तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । इसको एक साथ एक ही समय सुन लें यह इतना महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय की ग्राह्यता पर आज आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं । आप कल देना चाहते हैं तो ठीक है, इसको कल दे दें । आज फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अगली पांचवीं सूचना श्री मुन्ना सिंह चौहान की बार एसोसियेशन देहरादून के आह्वान पर अधिवक्ताओं द्वारा जारी हड़ताल, धरना व प्रदर्शन से न्यायिक व्यवस्था बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपनी नोटिस के माध्यम से एक ऐसे विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा है, शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा है जो आज की तारीख में बहुत गम्भीर है । देहरादून के अन्दर पिछले कुछ अरसे से ऐसी कुछ घटनाएं होती चली गयीं जिससे वहां की कानून व्यवस्था पर निश्चित रूप से प्रतिकूल असर पड़ता चला गया । श्रीमन् आज देहरादून के अन्दर बार एसोसियेशन द्वारा जो हड़ताल का आह्वान किया गया सभी अधिवक्ता हड़ताल पर चले गये और किसी तरह से वहां पर न्यायिक काम नहीं हो पा रहा है । स्थिति यहां तक हो गई कि जो सेसन ट्रायल मुकदमें थे वह देहरादून से जुरिसडिक्शन शिफ्ट करके मुजफ्फरनगर को करने पड़े । वहां के अधिवक्ताओं ने भी यह तय किया कि जब देहरादून के अधिवक्ता संघ अपने कार्य से विरक्त हैं, हड़ताल पर हैं तो हम देहरादून से संबंधित किसी केस की पैरवी नहीं करेंगे । इस तरह से हितों की अवहेलना हो रही है । जहां पर हम न्याय के लिये गुहार लगाते हैं वहां पर न्याय से हम वंचित हो रहे हैं । आज वहां पर विषम स्थिति पैदा हो गई है । बार एसोसियेशन ने जिस मुद्दे को लेकर हड़ताल का

आह्वान किया वह इस तरह से है । प्रेमचन्द शर्मा नामक अधिवक्ता जो उत्तर प्रदेश शासन के 18 वर्षों तक शासकीय अधिवक्ता रहे और 4 वर्ष तक बार एसोसियेशन के अध्यक्ष रहे ।

श्री हुकुम सिंह--

मैं आपकी अनुमति से विशेष रूप से इस सूचना के संबंध में आग्रह करना चाहता हूं जितने न्यायालय हैं यह सारे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं, जिसमें हमारे अधिवक्ताओं की समस्यायें हैं वह भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में हैं । प्रशासनिक दायित्व, प्रशासनिक अधिकार उनके हैं यह उचित नहीं होगा न्याय पालिका के संबंध में यहां चर्चा की जाए यह प्रकरण उच्च न्यायालय में जांच में है इसमें औचित्य और अनौचित्य के ऊपर बात कहें यह सही नहीं है इस सूचना पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

श्री मुन्ना चौहान--

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी की बात से सहमत हूं मैं उस केस की प्रश्नगत चर्चा नहीं करूंगा जो न्यायालय में विचाराधीन है । मान्यवर, एक अधिवक्ता जो 18 वर्ष तक शासकीय अधिवक्ता रहा जो चार वर्ष तक अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष रहा आपके जिला प्रशासन द्वारा एन० एस० ए० लगा दिया गया । दर्जनों पुलिस के अधिवक्ताओं ने उन्हें शासकीय अधिवक्ता नियुक्त कराया, जो 18 वर्ष तक शासकीय अधिवक्ता रहा हो उसका चरित्र कैसे संदिग्ध हो सकता है । देहरादून में सूचना विभाग के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई । सूडा गूडा के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, यह सब जो किया गया, यह अराजकता फैलाने वाले सत्तापक्ष के ही लोग थे । इसलिये जो घटनायें हुई उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी । जिला प्रशासन डिमॉलाइज हो गया जब लोगों ने थू-थू करना शुरू कर दिया । मैं कहना चाहता हूं अधिवक्ताओं के आचरण को सराहा नहीं जा सकता है मैं निन्दा करता हूं जो एक उदण्डता की घटना जिलाधिकारी के कार्यालय में हुई मैं कारागार एसोसियेशन बार में गया और जाकर मैंने कहा उदंडता से बात नहीं मनवायी जानी चाहिये । श्रीमन् एफ० आई आर० दर्ज हुई अधिवक्ताओं पर मुकदमा कायम किया गया कानून के मुताबिक जमानत हुई जिला प्रशासन उनका समर्थन कर रहा था और एक मामले में 18 वर्ष तक शासकीय अधिवक्ता जो रहा हो चार वर्ष तक बार एसोसियेशन का अध्यक्ष रहा हो उस पर एन० एस० ए० लागू कर दिया जाए यह कानून का मजाक है जहां हम लोग इस बात की हामी भरते हैं कानून सबका है और कानून बनाने का काम करते हैं इसी सदन में, तो अगर सदन को हक नहीं है तो किसी को हक नहीं है कानून के अपमान का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, यह अधिकार किसी को नहीं है कि व्यक्तिगत समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए किसी के ऊपर एन० एस० ए० कानून तामील करें आपने स्टेट लेविल से कन्फर्म कर दिया । यह अब हाउस कोर्ट की कमेटी की स्क्रीनिंग के सामने हैं शासन ने एन० एस० ए० तामील किया देहरादून में यह स्थिति हो गयी है । आज छोटे-छोटे वादों के लिये लोग डिटेन हो रहे हैं, मुल्जिमान को देहरादून से मुजफ्फरनगर जाना पड़ रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करते हुए जो कानूनी परम्परा है वह अवरुद्ध हो गयी है, उसका निदान करने की कृपा करें । यह घटना गम्भीर नहीं थी लेकिन जिस तरह से घटना को पेश किया गया उसने गम्भीर बना दिया है । आप इसमें हस्तक्षेप करें और शासन को स्पष्ट करने की कोशिश करें कि जिला प्रशासन स्तर पर यदि कोई गलत कार्यवाही करें तो शासन हस्तक्षेप करके न्याय दिलाने का काम करें । मैं आग्रह करता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है और इसमें चर्चा करा लें ।

श्री हुकुम सिंह–

आपने बड़ी कृपा की । मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो इस विषय पर चिर परिचित शैली के अनुरूप कई चक्रों में बल दिया । मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि जिस हड़ताल का जिक्र किया गया है समाप्त हो चुकी है । 12 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय से यह सूचना प्राप्त हो गयी है कि अधिवक्ताओं ने मीटिंग करके हड़ताल वापस ले ली है । तो जो असुविधा वाली बात थी वह समाप्त हो गयी है । शेष जो दूसरा बिन्दु है, आपने स्वयं टिप्पणी की कि किसका आचरण कैसा रहा । आपसे ज्यादा जानकारी और किसे हो सकती है क्योंकि आप स्थानीय विधायक हैं । आपने यह स्वीकारा है कि ऐसा नहीं करना चाहिये । क्योंकि एक विषय जांच तलब है तो जो भी निष्कर्ष आयेगा कार्यवाही होगी । माननीय उच्च न्यायालय जांच कर रहा है । उनके द्वारा जांच हो रही है । जो निष्कर्ष होगा वह सामने आयेगा और तदनुरूप कार्यवाही होगी । फिलहाल जो मुख्य बिन्दु था वह समाप्त हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय मुन्ना सिंह चौहान और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद हम इस सूचना को अग्राह्य करते हैं । अब हम छठी सूचना जो सर्वश्री बुनियाद हुसैन अंसारी, लालजी वर्मा, फरीद महफूज किदवई, भीम प्रसाद सोनकर व राम नक्षत्र जी की प्रदेश सरकार की उदासीनता एवं गलत नीतियों के कारण प्रदेश के पावरलूम बुनकरों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के संबंध में है, को लेते हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज प्रदेश के बुनकरों के सामने गंभीर समस्या आ गयी है । जो पावरलूम के बुनकर हैं, जो सस्ता कपड़ा तैयार करके लोगों को कपड़ा मुहैय्या कराने का काम करते हैं अच्छा होता अगर उनको सस्ती दरों पर बिजली देकर उनको लाभ पहुंचाने का काम भी किया जाता । लेकिन सरकार की मनमानी नीति के कारण विद्युत दरों में लगातार वृद्धि करके बुनकरों के सामने चुनौती ला दी गयी है । यही नहीं मीटर रीडिंग के नाम पर उनको लगातार प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है विद्युत सम्पूर्ति 8 घन्टे से ज्यादा नहीं हो पाती है । जबकि आवश्यकता है कि कम से कम 22 घंटे वहां पर विद्युत की आपूर्ति की जाय । जो दो रु० के लगभग प्रति यूनिट का रेट था उसको बढ़ाकर 3.80 रु० कर दिया गया है जो मिनिमम चार्ज 105 रु० प्रतिमाह था उसे बढ़ाकर 250 रु० कर दिया गया है जलालपुर टाण्डा अम्बेदकरनगर–यहां आये दिन बिजली की दिक्कत हो रही है बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं । वहां लोग आज आन्दोलनरत हैं । महाराष्ट्र सरकार ने वहां पावरलूम पर मीटर हटाकर फिक्स कर दिया 160 रु० प्रति हार्स पावर । वहां आज पावरलूम आगे बढ़ रहा है । यहां भी यही मांग है कि मीटर हटाकर फिक्स रेट कर दिया जाये । हमारे यहां आंदोलन के कारण टाण्डा में इलाफतगंज जलालपुर में कानून व्यवस्था को गंभीर समस्या आ गयी है इसका निदान करने की आवश्यकता है उनकी मांगें हैं 22 घंटे बिजली आपूर्ति की जाये उनसे प्रति हार्स पावर के हिसाब से फिक्स रेट लिया जाये जो वर्षों के विद्युत विभाग की गल्तियों के कारण विद्युत आपूर्ति सही ढंग से न होने के कारण उन पर अधिभार हो गया है उनको समाप्त करने का काम किया जाय । इस पर चर्चा हो तो कोई समाधान निकल सके ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, प्रदेश में देश में किसानी के बाद सबसे बड़ा कुटीर उद्योग बुनकरों का है । अफसोस है कि सरकार की लगातार उदासीनता की वजह से जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें 10 प्रतिशत पावरलूम और

हैंडलूम प्रतिवर्ष बन्द होते जा रहे हैं। सूटिंग शर्टिंग का इतना बढ़िया कपड़ा होता है कि मिल का कपड़ा फेल हो जाता है। ऐसे लोग रिक्शा चला रहे हैं या जिला छोड़कर जा रहे है।

मान्यवर, हथकरघा निगम ने इनका कपड़ा क्रय कर लिया लेकिन दो-दो लाख हो गये पैसा मिल नहीं रहा है बुनकरों से जिस तरह आप कर्जा वसूली करते हैं उसी तरह इनको मय ब्याज बकाये का भुगतान किया जाये। एक तो पावरलूम बंद हो रहे हैं दूसरी तरफ विद्युत की दरें बढ़ा दी गयी हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी में लगातार पावरलूम बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, महाराष्ट्र प्रदेश से सूचना मंगा लें वहां मीटर हटाकर फिक्स रेट कर दिया गया है। मीटर के नाम पर आज बिजली विभाग के लोग वसूली कर रहे हैं, इकैती डाल रहे हैं जिसकी वजह से वह परेशान हैं। हम चाहते हैं कि मीटर हटाकर उनका फिक्स रेट कर दिया जाय जिस तरह से महाराष्ट्र में रेट फिक्स किया गया है उसी तरह से इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई काम करे।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि 8 घंटे 7 घंटे लगातार बिजली नहीं आती वह जैसे ही पावरलूम पर बैठता है बिजली चली जाती है यह सरकार कम से कम 22 घंटे बिजली बुनकरों को देना सुनिश्चित करे। दूसरी चीज यह है कि यह उस श्रेणी में नहीं आता है। मान्यवर, जिस तरह से पहले जमाने में किसान हल से खेत जोतता था और आज वह ट्रैक्टर से खेती करता है लेकिन किसान किसान है। किसान को जितनी मदद सरकार की ओर से दी जाती है वह सबको दी जाती है चाहे वह ट्रैक्टर से खेती करे या हल से करें। इसी तरह से अगर बुनकर बिजली का इस्तेमाल करता है तो उसको उसी श्रेणी में लाया जाय कोई भेदभाव न किया जाय तभी यह कुटीर उद्योग बचाये जा सकते हैं नहीं तो लाखों कुटीर उद्योग बन्द हो जायेंगे। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि जनपद में जगह जगह पर टांडा, अम्बेडकरनगर, मऊ, सीतापुर में लहरपुर में कटिया कनेक्शन देने के नाम पर लाखों रुपये की वसूली हो रही है। आज विधान सभा के सामने बुनकरों का इसी वजह से धरना चल रहा है और दूसरे बिजली दी जाय तथा मीटर हटाकर फिक्स रेट किया जाय। मान्यवर, आज बुनकरों के बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है। मेरी मांग है कि उनके बकाये का भुगतान ब्याज सहित तत्काल करने की घोषणा करें। मान्यवर, यह इतने महत्वपूर्ण बिन्दु है इसकी गम्भीरता समझकर इसके ऊपर चर्चा कराई जाय ताकि प्रदेश के लाखों लोगों को बेरोजगार होने से बचाया जा सके।

मेजर जे० पी० सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निर्देश को देखने की कृपा करें इसमें नियम 56 के अन्तर्गत चयनित की जाने वाली सूचनाओं की अधिकतम संख्या ग्राह्यता हेतु सुने जाने के लिए सूचनाओं का चयने चयनित सूचनाओं पर कार्यवाही में दिया हुआ है कि उन 5 सूचनाओं का ग्राह्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने हेतु सुना जा सकता है जो निदेश संख्या 16 के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा अथवा शलाका के आधार पर चयनित हो। तो मान्यवर, इसमें 5 की बात है छठीं सूचना को आप सुन रहे हैं। यह प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश की अवहेलना है।

श्री अधिष्ठाता–

पीठ ने यह निर्णय लिया है। पीठ ने यदि कोई निर्णय लिया है, ऐसा निर्धारित किया है कि छठी सूचना सुनी जायेगी तो उसके बाद कोई टिप्पणी नहीं की जाती है।

मेजर जे० पी० सिंह–

मान्यवर, तो फिर इस प्रस्ताव व निर्देश का कोई महत्व नहीं है, नियमावली का कोई महत्व नहीं है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 314 को देख लें । इसमें दिया है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी । इसी के तहत आपने एक निर्णय लिया और बोलने की अनुमति दे दी, अब उस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं की जा सकती, उसके बावजूद भी माननीय सदस्य इसकी अवहेलना करके अपनी बात कह रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 314 बहुत सुस्पष्ट है, इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं की जा सकती ।

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

हम लोग इनको सुनने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन है कि मद संख्या–25 को ले लिया जाय ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग बैठ जायें, मैंने माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अभी थोड़ी देर पहले कानून व्यवस्था के बारे में काफी लम्बी चर्चा हुई, हम लोगों ने बड़े धैर्य से उसको सुना, उस समय प्रेस के लोग भी थे, जिसको वह कल पूरे प्रदेश में पहुंचाने का काम करेंगे । लेकिन अब लोग अराजक होकर इस तरह अपनी बात कहेंगे, तो कृपया इन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने स्वयं ही बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी बात का उल्लेख किया है, यदि कुछ विषयान्तर होता है तो हम स्वयं अनुरोध कर लेते हैं ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने के लिये आमंत्रित किया, मैं आभारी हूं । बुनकरों के मामले में हमारे माननीय सदस्यों ने काफी बातें रखी हैं, मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं । मैं पावरलूम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा । मैं हैण्डलूम के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं । हैण्डलूम बाराबंकी जिले में, सीतापुर आदि में ज्यादा उत्पादित हो रहा है । हैण्डलूम में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके सामने आज सबसे बड़ी समस्या कच्चा माल की है, वह उनको नहीं मिल रहा है और जो सूत उन्हें मिल रहा है, वह महंगे दामों पर मिल रहा है, इसका यह है कि इस काम में अब बिचौलिये आ गये, जिन्हें हम लोग सुतहा बोलते हैं । यह लोग सूत ले आते हैं, इनके पास पैसा होता है और यह सुतहा गांव में बैठ जाता है, छोटा व्यापारी जिसे हथकरघा वाला कहते हैं, इनसे सूत लेने को मजबूर हो जाता है । जिसका नतीजा यह होता है कि उसका शोषण होता है । सरकार की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था की जाय, उसकी ओर से डिपो खोल दिये जायें, जिससे जो कताई मिल सूत बना रही हैं, उनसे सूत उन डिपो पर आ जाय और जिस तरह राशन कार्ड बनते हैं ।

और जिस प्रकार से राशन कार्ड बनता है, और उस पर प्रत्येक परिवार की यूनिट लिखी रहती है, उसी प्रकार से बुनकरों के लिये भी व्यवस्था की जाये, और उसी के अनुसार उनको सूत दिया जाये। इससे उनके साथ जो धोखा-धड़ी होती है वह नहीं होने पायेगी। जो ट्रेडर हैं, जो उनके साथ धोखा-धड़ी करते हैं, उनसे उनका बचाव हो जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरी गुजारिश है कि आप इस विषय पर चर्चा करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम नक्षत्र जी आप अपनी बात को संक्षेप में कहें। गागर में सागर भर दें।

श्री राम नक्षत्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, आप सभी जानते हैं कि बुनकरों की जो समस्या है, वह बड़ी कठिन समस्या है। उनको बिजली नहीं मिलती है। जो बिजली की दरें हैं उनसे अधिक ली जाती हैं। इससे उन पर बहुत अधिक भार पड़ता है। इसको दूर किया जाये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस उद्योग में बहुत से लोग रोजगार पाये हुये हैं। मान्यवर, पहले 30 यूनिट मिनिमम चार्ज था, लेकिन उसको बढ़ाकर 70 यूनिट कर दिया गया है। इससे उन पर बहुत भार बढ़ गया है। बिजली का चार्ज 2.25 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपया कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण अंचलों में बिजली नहीं मिल रही है। अगर कहीं पर ट्रान्सफारमर जल जाता है, तो कई-कई दिनों तक बिजली नहीं आती है और बेचारे बुनकर परेशान होते हैं। मान्यवर, बुनकर देश की जनता को कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन यह जो धन्धा है वह चौपट हो रहा है। आज बुनकर समाज खुले आसमान में रह रहा है और तड़प रहा है। मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि आप इस विषय पर चर्चा करा दें। यह बड़ा लोक महत्व का विषय है और बुनकरों से जुड़ा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मा० अधिष्ठाता महोदय, बुनकरों की जो समस्या पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारा प्रदेश जिस तरह से किसान प्रदेश है, उसी तरह से बुनकर प्रदेश भी है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण बुनकरों के साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ शोषण हो रहा है, जबकि मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि बिजली की आपूर्ति कम हो गयी है क्योंकि उद्योगपतियों को चोरी से बिजली दी जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बुनकरों के साथ सरकार सहूलियत देकर 160/- रुपया प्रति हार्स पावर कर दिया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि यह अंधी-गूंगी, बहरी सरकार यहां पर सहूलियतें दें। 2.50 प्रति हार्स पावर के हिसाब से उनको बिजली दी जाए और साथ ही साथ बिजली की आपूर्ति नहीं कराई जा रही है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूं कि उनको कम से कम 24 घन्टे बिजली दी जाए। जिससे उनका कारोबार चल सके। दूसरा उनके बिजली के रेट उन पर बकाये हैं, उसे माफ किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

माननीय कल्याण सिंह जी की पहली सरकार है । जिसने बुनकर भाईयों पर ध्यान दिया है । मान्यवर, हमारी सरकार का ध्येय है कि भारत का विकास भारतीय के हाथों मे देश की इस पुरानी कला को है उसको बढ़ावा दिया जाए । मान्यवर, सरकार ने 15 करोड़ के ब्याज की माफी की घोषणा की है, 14 फरवरी को की गयी है ।

(व्यवधान)

इस प्रकार से बुनकरों को सहायता दी गयी है । मान्यवर, विचौलियों की जो बात कही गयी है, वह सही है, उसको दूर करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है । विचौलियों के माध्यम से इस बुनकर व्यवस्था को दीमक की तरह चाट लिया है । बुनकरों का माल बिका नहीं, जो विधायक हो गये, मंत्री हो गये उन्होंने अपना माल सप्लाई किया और इतना गंदा माल सप्लाई किया, पुरानी सरकार के समय में जो बिका नहीं है । तो स्वाभाविक है कि घाटा होगा । आज यह लोग बुनकरों की दुहाई दे रहे हैं । इनको शर्म आनी चाहिये, हया आनी चाहिये कि इतना गंदा माल दिया है जो बिक नहीं रहा है । हैंडलूम को इन्होंने चाट लिया है और जो बुनकरों का बुरा हाल हुआ है उसके लिये पिछली सरकार दोषी है । हमने प्रोजेक्ट पैकेज के माध्यम से जो विचौलिये थे उनको खत्म किया है । हमने समितियों को लगभग 20 करोड़ रुपया दिया है । उसमें ट्रेनिंग, डिजाइन और सस्ता माल देना भी शामिल है । सरकार ने समितियों को पैसा दिया है जिससे बुनकरों को लाभ हुआ है । यह पहली सरकार है जिसने पूरे हिंदुस्तान में बुनकरों के लिये यह न्योता दिया है कि यूपिका/यू०पी० हैण्डलूम के शो रूमों में अपना माल जहां भी चाहें अपना माल रखकर बेचिये और मुनाफा कमाइये हमने उनको मारकेट दिया है जिसका लाभ बहुत से बुनकर उठा रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है । मान्यवर, बिजली की मांग बहुत पहले से चली आ रही है । मुझे बहुत अफसोस है कि दोनों भाई मायावती जी की सरकार में मंत्री रहे हैं उस समय इन्होंने बिजली में रियायत नहीं दी, अगर यह बुनकरों के हितैशी होते तो बिजली में सहूलियत देते । हमारी सरकार का प्रयास है कि जिस दर पर किसानों को बिजली मिलती है उसी रेट पर बिजली दी जाय । इसके लिये विद्युत परिषद् से वार्ता चल रही है । हम जल्दी से जल्दी बुनकरों की समस्याओं को दूर करेंगे । माननीय अधिष्ठाता जी, इस समय जब हमारी सरकार की पापुलरटी बढ़ रही है और बुनकर रैलियों में माइनारिटीज के बुनकर भाई चढ़कर आ रहे हैं, और माननीय कल्याण जी उनको सम्बोधित कर रहे हैं उसको वह लोग पचा नहीं पा रहे हैं । इन्होंने यहां पर कुछ लोग बैठा दिये हैं । 3 बजे मुझे जाना था अनशन तुड़वाने के लिये, अभी हम जाकर उनकी हड़ताल तुड़वा देंगे । यह लोग बुनकरों को गुमराह कर रहे हैं । उनका शोषण करके उनको इन लोगों ने तबाह किया है । आज माननीय कल्याण सिंह के नेतृत्व में यह पहली सरकार है जो बुनकरों के हित में काम कर रही है । 13 अगस्त, 98 को माननीय मंत्री काशीराम राणा ने समस्त वस्त्रोद्योग मंत्रियों की बैठक बुलायी थी और बुनकरों को सीधे प्रतिपक्ष को लाभ पहूंचाने की घोषणा की थी । सरकारे अपने समय में जो निगम को खा गये थी उसको रिवाइव करने के लिये बैठक के माध्यम से मदद हम करने जा रहे हैं । इतना ही नहीं बुनकरों के हित के लिये अभी आगरा में 11 तारीख को बहुत बड़ी बुनकर हाट का शिलान्यास मा० केन्द्रीय मंत्री जी ने किया है । लखनऊ एवं वाराणसी में भी हम हाट खोलने जा रहे हैं । यहां पर बुनकर अपना माल बेचें और यहां के लोग तथा विदेश के लोग भी सामान खरीदेंगे जिसका लाभ बुनकरों को मिलेगा । यह सरकार बुनकरों की हितैषी है ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने बुनकरों के हित में बड़ी-बड़ी बातें की हैं । इन्हीं की सरकार महाराष्ट्र में है । महाराष्ट्र सरकार ने 160 रुपये प्रति हार्स पावर की दर से विद्युत का फिक्स रेट

निर्धारित किया है साथ ही साथ 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। क्या उसी तर्ज पर 160 रुपये हार्स पावर का रेट फिक्स कर 24 घंटे नहीं तो कम से कम 22 घंटे बिजली देने की कृपा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो भी सुझाव आये हैं उसका हम आदर करते हैं। हमारे भाई आकर वार्ता कर लें और जो भी बुनकर के हित की बात होगी उसको किया जायेगा। हम महाराष्ट्र नहीं महाराष्ट्र से भी आगे चले जायेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे बड़ा निर्णय यह लिया है कि कोई भी संस्थान, संस्था, निगम या सरकार जो भी माल खरीदेगी वह हैण्डलूम से खरीदा जायेगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। मान्यवर, इससे सबसे बड़ा लाभ बुनकरों को होगा।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

माननीय अधिष्ठाता जी, एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि 15 करोड़ रुपया माफ कर दिया। यह माननीय सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

यह सरकार बुनकर विरोधी है, बुनकरों के सम्बन्ध में कोई बात सुनना नहीं चाहती है। मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री लालजी वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री लालजी वर्मा, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री भीम प्रसाद सोनकर एवं श्री राम नक्षत्र को एवं सम्बन्धित माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य घोषित करते हुए निरस्त करता हूं।

"सातवीं सूचना श्री राम सिंह सैनी, श्री राम ललित चौधरी एवं श्री काजी मुहीउद्दीन की प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य अपनी बात रखें।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां पर मुख्यतः जो फसलें पैदा होती हैं उसमें गन्ने की मुख्य फसल है। जो गन्ना किसान हैं वह अपना गन्ना मिलों को देते हैं। उनके गन्ना मूल्य का भुगतान न तो सहकारी मिलों द्वारा और न ही निजी मिलों द्वारा किया जा रहा है। किसान, जिसके ऊपर कोई भी देनदारी, चाहे वह राजस्व का हो या आबकारी का हो, चाहे बिजली का हो उसको इस सरकार के द्वारा जेल भेज दिया जाता है लेकिन उसका करोड़ों रुपया गन्ना मूल्य का बकाया है उस पर उनको कोई ब्याज नहीं दिया जाता है न समय से गन्ना मूल्य ही मिलता है परन्तु उनकी कोई देनदारी है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। हम यह समझते हैं कि इस तरह से यह किसानों के ऊपर बहुत बड़ी ज्यादती है। हमारे यहां इकवालपुर में महालक्ष्मी शुगर फैक्ट्री है उस पर किसानों का पिछले वर्ष 6 करोड़ रुपये बकाया था इस वर्ष बढ़कर 7.1/2 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह से दूसरी गन्ना मिलें हैं जहां पर लगातार किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ता जा रहा है। किसान इस तरह से उत्पीड़ित हैं उनका जो पैसा है उस पर ब्याज का प्राविधान नहीं किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर एक बैठक हुई थी उस समय हमने प्रश्न उठाया

था गन्ना मंत्री जी भी वहां मौजूद थे कि जब महालक्ष्मी शुगर फैक्ट्री गन्ने का भुगतान नहीं कर पाती तो उसको गन्ने का क्यों आवंटन किया जाता है लेकिन इसके बाद भी उसको गन्ना आवंटित किया गया। इसका मतलब यह था कि पिछले वर्ष साढ़े छः करोड़ रुपये बकाया था इस वर्ष बढ़कर साढ़े सात करोड़ रुपये हो गये। इसी तरह से अन्य मिलें भी हैं जो गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रही है। उन पर बकाया बढ़ता जा रहा है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का है इसमें गन्ना किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। मैं मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा ली जाए। ताकि किसानों का उत्पीड़न रुक सके।

श्री हुकुम सिंह–

अधिष्ठाता जी, श्री सैनी जी ने गन्ना किसानों की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया सम्भवतः विधान सभा के इतिहास का यह पहला अवसर है जब उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का लगभग 96 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया। इतना विधान सभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सैनी जी ने एक मिसाल इकबालपुर महालक्ष्मी शुगर फैक्ट्री की दी वह आज से नहीं पहले से बीमार है। उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं है वह केवल विवशता वश चलायी जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कोष से 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की यह देखते हुए कि जो मिलें गन्ना किसानों का भुगतान करने की स्थिति में न हों वहां के गन्ना किसानों का इन पैसों से भुगतान हो व उनको दिक्कत न आये। इसके लिए दो शब्द उनको सरकार को बधाई का देना चाहिए था। इतिहास में पहली बार 96 प्रतिशत गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान हुआ है। जो चीनी मिलें बीमारी से ग्रस्त हैं उनके सम्बन्ध में भी प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम सिंह सैनी–

महालक्ष्मी शुगर फैक्ट्री का पिछले वर्ष कितना अवशेष था, इस वर्ष कितना अवशेष है ?

श्री हुकुम सिंह–

सैनी साहब ने स्वयं बताया कि पिछले वर्ष 6 करोड़ बकाया था इस वर्ष साढ़े सात करोड़ हो गया। प्रश्न यह है कि यहां ऐसा कोई किसान नहीं है जिसका एक करोड़ रुपये बाकी हो। यह हजारों या लाखों में होगा। प्रयास हमारा यह होगा कि उसका भुगतान हो जाय।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम सिंह सैनी जी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त किया जाता है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गयी, उनके नाम हैं सर्वश्री छोटे लाल, जय प्रकाश, स्वामी ओइमवेश, उदयराज, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री जगदीश नारायण राय, श्री रामपाल, श्री अखिलेश सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री समरपाल सिंह, श्री गजपाल सिंह, श्री कौकव हमीद, श्री संजय गर्ग, श्री बाबू लाल, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बनारसी दास चांदना और श्री परवेज हलीम।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, विचार किया जाय।

मान्यवर, यह एक छोटा सा संशोधन बिल है । हमारे सदन की प्रतिनिहित विधायन समिति ने कुछ संशोधन किये थे और उन संशोधनों का आदर करते हुए यह संशोधन किये गये हैं । इलेक्ट्रिसिटी इयूटी अधिनियम-52 के मूल अधिनियम की धारा–2 का हिन्दी अनुवाद किया गया उसमें शब्द निहित अधिकारी इस्तेमाल किया गया जिसे नियुक्ति प्राधिकारी किया गया है । इस प्रकार कुछ और शाब्दिक संशोधन हैं जिनका कोई ऐसा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

किसी को इस पर कुछ कहना है ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इसकी कापी दिलवाई जाय तभी तो विचार होगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कभी-कभी बुद्धि के बोझ में आदमी दबा रह जाता है । इसका पुरःस्थापन तो पहले ही हो गया था उस समय इसकी कापी उपलब्ध हो गयी थी । जब बुद्धि का वजन ज्यादा हो जाता है तो सोच ही नहीं पाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (इयूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2–4 तक खण्ड । प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (इयूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,–

(एक) खण्ड (क) में,–

(क) शब्द ''नियत अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''नियुक्त प्राधिकारी'' रख दिया जायगा,

(ख) शब्द ''की पूर्ति करने (सप्लाई)'' जहां कहीं भी आयें हों, के स्थान पर शब्द ''को सम्भरित करने'' रख दिये जायेंगे ।

(दो) खण्ड (च) में शब्द ''की पूर्ति करने (सप्लाई करने)'' के स्थान पर शब्द ''के सम्भरण'' रख दिये जायेंगे ।

(तीन) खण्ड (ज) में शब्द "की पूर्ति (सप्लाई)" के स्थान पर शब्द "के सम्भरण" रख दिये जायेंगे ।

धारा 5 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "पूर्ति करने" के स्थान पर शब्द "सम्भरण" रख दिया जायेगा ।

धारा 10 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में, खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(छछ) रीति जिससे धारा 4-ख की उपधारा (2) के अधीन कोई अपील दाखिल की जायेगी और उसे निस्तारित करने की प्रक्रिया ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1999 पर पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

लोक सभा एवं विधान सभाओं को पांच वर्ष के पूर्व विघटित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–28 माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित की गयी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 13-7-99 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुई ।

स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन की मेरठ स्थित कताई मिल की बन्दी से मजदूरों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :–

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) ज्ञानपुर में प्रस्तावित 33 के०वी०ए० पावर हाउस सेमराधनाथ तथा रमईपुर में निर्माण के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय की सूचना ।

प्रदेश में फर्जी कम्पनियों द्वारा करोड़ों/अरबों रुपयों का घोटाला किये जाने एवं जनता को धोखा देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य की सूचना ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

जनपद अम्बेदकर नगर के जहांगीरगंज विथान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नहरों की सफाई न होने से किसानों की फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर की सूचना ।

जनपद जालौन के विभिन्न खण्ड विकास क्षेत्रों में नालों में सफाई व खुदाई न होने से बरसात में बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न हो जाने की स्थिति के बारे में श्री राम पाल की सूचना ।

प्रदेश में उत्तरांचल क्षेत्र के सन् 1962 एवं 1965 के युद्ध में शौर्य एवं पराक्रम दिखाने वाले सैनिकों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने एवं कारगिल में शहीदों के परिजनों को 5 लाख रुपये से भूमि खरीदने हेतु दी जा रही सहायता राशि से तराई क्षेत्र में भूमि दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट की सूचना ।

जनपद मथुरा में ''गोवर्धन-गिरिराज महाराज'' के अधिक मास मेले में पुलिस द्वारा की गयी अनियमितताओं तथा मेला '' गुरु पुर्णिमा '' तथा अधिक मास के पूर्व को प्रदेश की मेला सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया की सूचना ।

कृषि उप निदेशक, भूमि संरक्षण, शारदा नहर प्रणाली मण्डल, उन्नाव में वर्ष 1998-99 में आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किये जाने तथा विकास कार्यों में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री कृपा शंकर सिंह की सूचना तथा

जनपद सुल्तानपुर में राजस्व वसूली में बर्बरतापूर्वक अमानुषिक तरीकों से की जा रही वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री तेजभान सिंह की सूचना ।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
13 जुलाई, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

(देखिये अता० प्र० सं० 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

अता० प्र० सं०–43 का संलग्नक

वाराणसी शहर के 11 स्वीकृत मार्गों की भौतिक/वित्तीय प्रगति से संबंधित सूची

खण्ड का नाम	क्र०सं०	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत लाख रु० में	अब तक व्यय लाख रु० में	भौतिक प्रगति	मार्ग पूर्ण होने का माह/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
प्रान्तीय खण्ड, वाराणसी	1–	बी०एच० यू० लहरतारा मार्ग	14.00	13.99	कार्य पूर्ण है ।	6/96
	2–	गोदौलिया लंका मार्ग.	16.00	15.61	आगणन में प्राक्धिान 32100 वर्गमी० (एम० एस०एस० के विरुद्ध केवल 15456 वर्ग मी०) एम० एस० एस० का कार्य हुआ ।	आंशिक कार्य 6/96 में पूर्ण
	3–	गोदौलिया से मेदागिन मार्ग	4.00	3.92	आगणन में 7510 वर्गमी० एम०एस०एस० कार्य का प्राविधान था, परन्तु कोई कार्य नहीं हुआ ।	2/97
निर्माण खण्ड नं० 1, वाराणसी	4–	रथयात्रा लक्सा गोदौलिया दशाश्वमेघ मार्ग	12.89	12.89	कार्य पूर्ण	2/97

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	5– वरुणा पुल से लहुरावीर मार्ग	19.00	15.85	कार्य पूर्ण (नि० सं० नं०–3 द्वारा)	2/99
	6– कैंट से लंका मार्ग	30.00	30.00	कार्य पूर्ण	
निर्माण खण्ड नं०–2 (प्रा० खं० वाराणसी)	7– तोलियाबाग-चौकाघाट मकबूल आलम से सर्किट हाउस तक भाग	16.89	16.89	कार्य पूर्ण	
निर्माण खण्ड सं० (अब प्रा० ख०–चन्दौली)	8– पंचकोशी मार्ग	32.22	32.22	कार्य पूर्ण	2/97
रा०मा० नं०–1, वाराणसी	9– एन०एच०56से तरनासे वरुणापुल मार्ग–	20.00	20.06	कार्य पूर्ण	1/96
रा०मा० नं०–2, वाराणसी	10– एन०एच०–29 के वाराणसी कचहरी से आशापुर तक ।	20.00	20.00	कार्य पूर्ण	12/95
	11– एन० एच०–2 का शहरीभाग लहरतारा से काशी अण्डार ब्रिज	60.00	60.00	कार्य पूर्ण	1/98
	कुल योग	245.00	241.43		

कलराज मिश्र

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

संख्या–वे०आ०–2-1007/दस-17-जी-98

प्रेषक,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा/उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा/सचिव, कृषि, उ० प्र० शासन ।
(2) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/ माध्यमिक /बेसिक, उत्तर प्रदेश ।
(3) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
(4) वित्त अधिकारी/ कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 1998

विषय :–वेतन समिति, उ०प्र० (1998) के द्वितीय प्रतिवेदन (आंशिक) छठे प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा राज्य के विश्वविद्यालय/कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति ।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या–प०मा०नि०–225/दस–5(एम)–97, दिनांक 9 अक्टूबर, 1997 द्वारा किया गया । उक्त समिति द्वारा अपना द्वितीय प्रतिवेदन/छठा प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ संकल्प संख्या वे०आ०–2-1005/दस–17जी-98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

2–वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन (आंशिक)/छठे प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं राज्य के विश्वविद्यालयों/कृषि विश्वविद्यालयों सहित उक्त संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान दिनांक 1-1-96 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । संलग्न तालिका में पुनरीक्षित वेतनमान यू०जी०सी० वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों पर लागू नहीं है ।

3–उक्त संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान अरबी मदरसों/संस्कृत पाठशालाएं/प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल/हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के शिक्षकों के अतिरिक्त ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये समयमान वेतनमान के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि/शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनांक 1-1-96 को प्राप्त कर रहे थे । यह सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान ऐसे पदधारकों को वैयक्तिक रूप से मिलता रहेगा ।

4–शिक्षकों के अतिरिक्त ऐसे पदधारक जिनको वर्तमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनांक 1-1-96 के बाद पूर्व के वेतनमान में वैयक्तिक रूप से प्राप्त हुआ है, पुनरीक्षित वेतनमान में समयमान वेतनमान का लाभ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर स्थगित रहेगा अर्थात् पदधारकों को प्रोन्नति वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा । इसी प्रकार यदि पूर्व के वेतनमान में सेवा अवधि के आधार पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वृद्धिरोध वेतनवृद्धि दिनांक 1-1-96 के बाद प्रदान की जा चुकी है तो उसके आधार पर दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान में लाभ देय नहीं होगा और यह स्थगित रहेगा । दिनांक 1-1-96 के बाद उपरोक्त मामलों में निर्णय बाद में लिया जायेगा ।

5–ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 1-1-96 के बाद हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 1-1-96 को विद्यमान वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन लें ।

6–उक्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त (पदमाप दण्ड निर्धारण) अनुभाग के शासनादेश संख्या प०मा०नि०–357/दस-21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के अनुसार किया जायेगा ।

7–उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमानों के लागू होने के फलस्वरूप निर्धारित वेतन तथा संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य लाभ यथा-विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन, अन्य भत्ते आदि की धनराशि में (दिनांक 1-1-96 से 30-9-97 तक की अवधि में) कोई परिवर्तन नहीं होगा । दिनांक 1-10-97 से आगे की अवधि में इनकी धनराशि दिनांक 1-10-97 को देय धनराशि ही रहेगी परन्तु यदि किसी मामले में स्थिति दिनांक 1-10-97 से 1-12-97 तक परिवर्तित होती है तो ऐसे मामले में दिनांक 1-12-97 की स्थिति के अनुसार अनुमन्य धनराशि ही देय होगा ।

8–इस शासनादेश द्वारा केवल शिक्षण संस्थाओं एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय सहित, उक्त संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरों के अधीन संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

9–अरबी मदरसों/संस्कृत पाठशालायें/प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल/हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के शैक्षिक पदों पर अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नत वेतनमान वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुसार लागू रहेगा और इनका दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षण भी संलग्न तालिका के अनुसार होगा ।

10–सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर पुनरीक्षित वेतनमान में विकल्प की सुविधा होगी ।

भवदीय,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (पुनरीक्षित वेतनमानों की तालिका)

संख्या–वे०आ०–2-1007(1)/दस–17जी-98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ ।

(2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

(3) उ० प्र० सचिवालय के अन्तर्गत शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग ।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

(5) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(6) समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उ० प्र० ।

(7) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(8) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

संख्या–वे-आ०–2-1282/दस-17-(जी)/98

प्रेषक,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा/उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा/सचिव, कृषि, उ० प्र० शासन ।

(2) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/ माध्यमिक/बेसिक, उत्तर प्रदेश ।

(3) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।

(4) वित्त अधिकारी/ कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 1998

विषय :- वेतन समिति, उ०प्र० (1998) के द्वितीय प्रतिवेदन(आंशिक)छठे प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा राज्य के विश्वविद्यालय/कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति ।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०–वे०आ०-2-1007/दस-17जी-98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 द्वारा पुनरीक्षित तथा उसके साथ संलग्न पुनरीक्षित वेतनमानों की तालिका में माध्यमिक शिक्षकों से सम्बन्धित पुनरीक्षित वेतनमानों के क्रम की संख्या–16.3, 19.1, 19.2 तथा 19.3 के सम्मुख उल्लिखित पुनरीक्षित वेतनमानों के स्थान पर आंशिक संशोधनोपरान्त निम्नानुसार वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

क्रमांक	शासनादेश दिनांक 10-7-98 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1	16.3 8900–200–9700 एल०टी० ग्रेड (प्रोन्नति वेतनमान)	6500–200–10500 एल०टी० ग्रेड (प्रोन्नति वेतनमान)

1	2	3
2	19.1 5000–150–8000 प्रवक्ता (सामान्य वेतनमान)	5500–175–8650 प्रवक्ता (सामान्य वेतनमान)
3	19.2 6500–200–9900 (सेलेक्शन ग्रेड)	6500–200–10500 (सेलेक्शन ग्रेड)
4	19.3 10500–250–11600 प्रवक्ता (प्रोन्नति वेतनमान)	8000–275–13500 प्रवक्ता (प्रोन्नति वेतनमान)

2–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि संशोधनोपरान्त उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमान केवल माध्यमिक शिक्षकों पर ही लागू होंगे तथा इस शासनादेश द्वारा संशोधित वेतनमान माध्यमिक शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य किसी पदों पर देय नहीं होंगे । अन्य पदों पर शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 के संलग्नक में दर्शाये गये वेतनमान पूर्व की भांति अनुमन्य रहेंगे । तद्नुसार शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

संख्या–वे०आ०–2-1282(1)/दस–17जी-98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ ।

(2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

(3) उ० प्र० सचिवालय के अन्तर्गत शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग ।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

(5) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(6) समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उ० प्र० ।

(7) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(8) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

(9) निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, अरबी मदरसाज, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

(10) समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

(11) उ० प्र० के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य ।

(12) प्रधानाचार्य, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ।

(13) प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर ।

(14) कुल सचिव, दयालबाग, एजूकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा ।

(15) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर ।

(16) निदेशक, के० एन० इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, सुल्तानपुर ।

(17) निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, लखनऊ ।

(18) निदेशक, एच०बी०टी०आई, कानपुर ।

(19) प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ० प्र० के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य ।

(20) प्रधानाचार्य, डी०ए०वी० (एल०टी०) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर ।

(21) प्रधानाचार्य, क्रिश्चियन (एल०टी०) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ ।

(22) प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल०टी०) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा ।

(23) प्रधानाचार्य, के०पी० (एल०टी०) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद ।

(24) प्रधानाचार्य, एल०टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी ।

(25) व्यवस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मंदिर, सेवापुरी, वाराणसी ।

(26) पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर ।

(27) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(28) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।

(29) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

आर० एस० सिंह,

विशेष सचिव ।

संख्या–वे०आ०–2–1282(2)/दस–17 जी–98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ० प्र० इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–154 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर ।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–154 के उत्तर का संलग्नक ।

जनपद बागपत में वित्तीय वर्ष 1995-96, वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 एवं वर्ष 1998-99 में जिलायोजनान्तर्गत स्वीकृत मार्ग कार्यों की सूची तथा निर्माण कार्यों की स्थिति का विवरण

वर्ष	स्वीकृत मार्गों के नाम	स्वीकृत मार्गों की लम्बाई (कि०मी०)	दिनांक 15-12-98 तक लेपित मार्ग की लम्बाई (कि०मी०)	विभिन्न स्तर तक अपूर्ण मार्गों की अवशेष लम्बाई (कि०मी०)
1995-96	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1996-97	1–ग्राम कनौली में दौजा तक का शेष भाग ।	1.00	1.00	—
	2–निगंजपुर चौपले से गांधी का शेष भाग ।	1.00	1.00	—
	3–ग्राम ढौडरा से बुढेरा स्कूल तक ।	2.00	—	2.00
	4–वाजिदपुर से मुराजा	2.00	—	2.00
	5–तूम से नाला	1.50	—	1.50
	6–सिनेली से ओढापुर	1.50	—	1.50
	7–सिताना से रठौरा नाले की पटरी ।	1.20	—	1.20
	8–छछरपुर नहर की पटरी का शेष भाग ।	0.50	—	0.50
	9–तेडा बाईपास मार्ग	2.00	1.50	0.50
	10–पुसार बाईपास मार्ग	0.20	—	0.20
	11–निरपुडा से बरात मार्ग	0.20	—	0.20
	12–चौपुरा से तबेला गढ़ी	0.30	—	0.30
	13–बिनौली अमीनगर सराय का कमाता के पास शेष भाग	0.25	0.25	—
	14–सिरसती से रन्छाड वाया शमशान ।	0.77	—	0.77

1	2	3	4	5
1996-97	15–आदमपुर पुलिया से इदीरशपुर ।	2.00	2.00	—
	16–बन्थला–ढिकौलल मार्ग से विनयपुर	0.20	0.20	—
	17–बन्थला–ढिकौली मार्ग से फूलेरा दादी महाराजी धाम ।	1.00	1.00	—
	18–बन्थला–ढिकौली मार्ग से नहर की पटरी होकर	1.20	1.20	—
	19–रढोल से लोनी निरोजपुर ऐमा का शेष भाग	0.25	0.25	—
	20–खेकड़ा–बसी मार्ग	1.50	1.50	—
	21–गोना से लच्चौडा मार्ग	1.00	1.00	—
	22–खेकड़ा फिडर मार्ग कि०मी० 02 (5.50 मी० चौ०)	0.60	0.60	—
	23–मिनोली गिठोन मार्ग (रटोल लोनी की ओर से डिनोली)	1.40	1.40	—
	24–बन्थला टिकोती से नगला बाडी	0.40	0.40	—
	25–खेकडा–बडा गांव कि०मी०–1	1.00	0.78	0.22
	26–सैदपुर कलां सम्पर्क मार्ग	2.50	2.50	—
	27–आनन्दपुर से बन्दपुर	2.00	2.00	—
	28–जहांगीरपुर सम्पर्क मार्ग	1.00	1.00	—
1997-98	29–चान्दन होडी से सिलाना मार्ग	1.00	—	1.00
	30–हलालपुर से छपरौली का शेष भाग	0.775	—	0.775

1	2	3	4	5
	31–चौहल्दा सम्पर्क मार्ग	2.50	2.50	—
	32–लोनी–रटौल मार्ग से गिठौरा गांव तक सम्पर्क मार्ग।	1.00	—	1.00
1997-98	33–सूजरी से दोघट सम्पर्क मार्ग	1.00	—	1.00
	34–बिजवाड़ा सम्पर्क मार्ग	0.60	0.60	—
	35–हबीबपुर नगला सम्पर्क मार्ग	2.00	2.00	—
1998-99	36–दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग से सन्तोषपुर	3.40	—	3.40
	37–दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग से असरफाबाद	4.50	—	4.50
	38–बागपत–सिल्वर नगर से अहमदपुर गढीना।	0.50	—	0.50
	39–निरोजपुर चौपले गांधी का शेष भाग।	0.50	—	0.50
	40–दिल्ली–यमनोत्री मार्ग से चीडघर निरोजपुर।	2.50	1.00	1.50
	41–कोताना से लुहारी	1.80	—	1.80
	42–कासिमपुर खेडी से कन्हेरा	3.00	—	3.00
	43–मुठ्ठी से धनौरा का शेष भाग	0.30	—	0.30
	44–कोताना से लुहारी का शेष भाग	0.40	—	0.40
	45–कासिमपुर खेडी में कन्डेरा का शेष भाग	1.50	—	1.50
	46–खेकड़ा मुबारिकपुर का शेष भाग	1.40	—	1.40

1	2	3	4	5
	47–बन्थला ढिकोली मार्ग से डग्गरपुर	0.80	—	0.80
	48–दतनगर से मुकारी का शेष भाग	0.80	—	0.80
	49–दोघट से सूजली का शेष भाग	3.20	—	3.20
	50–जिमाना प्याऊ से बिजवाडा मार्ग	0.35	—	0.35
	51–सिरएली से रन्छाड का शेष भाग	1.00	—	1.00
	52–बडा गांव से फकरपुर का शेष भाग	3.40	—	3.40
	53–मु० नगर–बुढाना बडौता से नामनौली स्कूल ग्राम तक मार्ग ।	0.80	—	0.80
	54–रन्छाड से दादरी मार्ग का शेष भाग	1.60	—	1.60
	योग =	71.095	25.68	45.415

पी० एस० यू० पी० एल० 263 विधान सभा ( )–2000–813 डी० टी० पी०) ।